महानगर नई दिल्ली गुरुवार 12 मार्च, 2020, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

ताहिर हुसैन पर धनशोधन का मामला

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, इस्लामी समूह पीएफआइ और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन और दंगों के लिए कथित तौर पर पैसा मुहैया करवाने का मामला दर्ज किया।

ताहिर हुसैन

अधिकारियों ने बताया कि हुसैन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजंसी ने मामला धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया है। हुसैन पर पिछले महीने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। शर्मा का शव चांद बाग इलाके में एक नाले में मिला था। उनके परिवार ने हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पार्षद इस आरोप को नकारते बाकी पेज 8 पर

ताहिर के तीन साथियों को भी पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

आरोपी निलंबित आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन के तीन साथियों को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए।

पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दयालपुर निवासी आबिद और नेहरू विहार निवासी मोहम्मद शादाब तथा राशिद सैफी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को गिरफ्तार किया।

इससे पहले ताहिर के भाई शाह आलम को भी सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर दंगे में शामिल उन सभी के कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है।

पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दयालपुर निवासी आबिद और नेहरू विहार निवासी मोहम्मद शादाब तथा राशिद सैफी को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वे जिले में हिंसा के बाकी पेज 8 पर

शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश से आए थे दंगाई; गहरी साजिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि किसी निर्दोष को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने दंगों को एक साजिश करार दिया और कहा कि यह पूर्वनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ जो इस बात से स्पष्ट होता कि यह कितनी तेजी से फैला। उन्होंने यह भी कहा कि 300 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से आए थे जो गहरी साजिश की ओर संकेत देता है।

उन्होंने कहा कि हम जनवरी के बाद से दिल्ली में हवाला के जरिए आने वाली राशि का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें तीन लोगों को दंगों का वित्तपोषण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आइएस से जुड़े दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आइटी कानून के तहत 25 मामले दर्ज किए गए हैं और 60 ऐसे सोशल मीडिया खातों की जांच चल रही है जो दंगा शुरू होने से पहले शुरू हुए और बाद में बंद हो गए। शाह ने कहा कि इस मामले में 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 2,647 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर जांच हो रही है

उन्होंने कहा कि फेस आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1,100 से ज्यादा लोगों के चेहरे पहचाने हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 40 टीमें बनाई गई हैं, जो दिन-रात लगी हुई हैं। शाह ने कहा कि हमने लोगों से, मीडिया से कहा है कि यदि उनके पास दंगों का कोई फुटेज है तो वे पुलिस को दें। मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने पुलिस को हजारों की तादाद में वीडियो भेजे हैं। मुझे आशा है कि अंकित शर्मा की हत्या का खुलासा भी उन्हीं वीडियो में से बाहर आने वाला है।

गृह मंत्री ने कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी (कांग्रेस) ने सीएए विरोधी रैली की, उसमें पार्टी की अध्यक्ष महोदया भाषण में कहती हैं कि घर से बाहर निकलो, आर-पार की लड़ाई करो, अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने कहा कि उसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाओगे। यह हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाला भाषण) नहीं है क्या? इसके बाद ही 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ।

गृह मंत्री ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दंगों में बाकी पेज 8 पर

तीन सौ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से आए थे जो गहरी साजिश की ओर संकेत देता है। हम जनवरी के बाद से दिल्ली में हवाला के जरिए आने वाली राशि का मूल्यांकन कर रहे हैं। फेस आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1,100 से ज्यादा लोगों के चेहरे पहचाने हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 40 टीमें बनाई गई हैं।
-अमित शाह, गृह मंत्री

दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा

आर-पार वाले बयान को लेकर सोनिया पर साधा निशाना ।

कांग्रेस ने गृह मंत्री के जवाब का किया बायकॉट, सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया।

गृह मंत्री ने कहा कि आइटी कानून के तहत 25 मामले दर्ज किए गए हैं और 60 ऐसे सोशल मीडिया खातों की जांच चल रही है जो दंगा शुरू होने से पहले शुरू हुए और बाद में बंद हो गए। शाह ने कहा कि इस मामले में 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। और 2,647 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर जांच हो रही है।

सिंधिया भाजपा में, मिला राज्यसभा का टिकट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया को सदस्यता की पर्ची देकर और पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके कुछ ही घंटे बाद भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वे शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे।

कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज सिंधिया ने मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज सिंधिया ने मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी से अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

सिंधिया को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद नड्डा ने कहा आज हम अपनी वरिष्ठ नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया को याद करते हैं जिनका भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजमाता आदर्श और दृष्टि व दिशा देने वाली नेता रहीं। राजमाता ने पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन-रात बाकी पेज 8 पर

फोटो ; अरुष चोपड़ा

"*मेरे* जीवन में दो तारीखें बहुत महत्त्वपूर्ण रहीं, जिन्होंने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उनमें से पहली तारीख 30 सितंबर, 2001 है। इस तारीख को जब मैंने अपने पूज्य पिता जी को खोया, वह मेरे लिए जीवन बदलने का दिवस था। और उसी के साथ दूसरी तारीख थी, 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थीं। इस दिन मेरे जीवन में एक नई परिकल्पना और एक नए मोड़ का सामना करके मैंने एक निर्णय लिया है।
-ज्योतिरादित्य सिंधिया

राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये नाम तय किए गए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

समिति की ओर बाकी पेज 8 पर

विशेष विमान से जयपुर पहुंचे कांग्रेस के विधायक

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
जयपुर/भोपाल, 11 मार्च।

मध्य प्रदेश में जारी उठापठक के बीच करीब 90 विधायक बुधवार को भोपाल से जयपुर पहुंचे। इन विधायकों को एक विशेष चार्टर विमान से मध्य प्रदेश बाकी पेज 8 पर

'हर हाल में ज्योतिरादित्य के साथ'

भोपाल, 11 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से बागी होकर बंगलुरु गए सिंधिया खेमे के 19 विधायकों ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि वे किसी दबाव में नहीं बाकी पेज 8 पर

पोस्टर हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के आरोपियों के पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को शीर्ष अदालत में अपील दायर की। अदालत ने नौ मार्च को लखनऊ प्रशासन को यह आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस का अवकाशकालीन पीठ आज करेगा सुनवाई।

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की इस अपील पर गुरुवार को न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस का अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगा। हालांकि, राघवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील के आधार की जानकारी देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि कानूनी प्रावधान के बगैर ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएं। अदालत ने आरोपियों के नाम और फोटो के साथ लखनऊ में सड़क किनारे लगाए गए इन पोस्टरों को तुरंत हटाने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि पुलिस की यह ार्रवाई जनता की निजता में अनावश्यक हस्तक्षेप है।

अदालत ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च या इससे पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। इन पोस्टरों बाकी पेज 8 पर

सातों कांग्रेसी सांसदों का निलंबन वापस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कांग्रेस के सात सदस्यों के निलंबन के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की जिन्हें पिछले सप्ताह गुरुवार को सदन का निरादर करने और घोर कदाचार के मामले में मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा की कार्य नियमावली के नियम 374 (2) का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टेगोर और गुरजीत सिंह औजला के बाकी पेज 8 पर

पंद्रह अप्रैल तक सभी वीजा निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

नोवेल कोरोना विषाणु (कोविड-19) के दुनिया में बढ़ते फैलाव के मद्देनजर बुधवार को उच्चस्तरीय मंत्रिसमूह ने 15 अप्रैल 2020 तक सभी वीजा निलंबित कर दिया है। राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कर्मचारी और प्रोजेक्ट वीजा पर आने वालों को इससे छूट है। यह आदेश 13 मार्च बाकी पेज 8 पर

राजनयिकों व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छूट

संक्रमित लोगों की संख्या 60 हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

कोरोना विषाणु से संक्रमण के बुधवार को दिल्ली में एक और कुल दस मामले सामने आने के बाद भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केरल में आठ और दिल्ली व राजस्थान में संक्रमण का एक-एक नया मामला सामने आया है। इस बीच, ईरान से निकाले गए 58 लोगों का पहला जत्था 10 मार्च को दिल्ली पहुंचा, जिसमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं और दो बच्चे हैं। इन सभी में फिलहाल लक्षण नहीं हैं। वहीं, इटली से आए 83 यात्रियों को मानेसर स्थित सेना बाकी पेज 8 पर

दो कंपनियों का दावा, दो कर्मी संक्रमित

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों 'डेल' और 'माइंडट्री' के दो कर्मचारी जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग बयान जारी कर यह बाकी पेज 8 पर

कोविड-19 को महामारी कहा जा सकता है : डब्लूएचओ

जेनेवा, 11 मार्च (एएफपी)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रॉस गेब्रेयेसस ने बुधवार को कहा कि नए कोरोना विषाणु को अब महामारी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, 'कोविड-19 को अब महामारी कहा जा सकता है।

स्टेट बैंक ने खाताधारकों को दी राहत

न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता खत्म

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44.51 करोड़ बचत खाताधारकों के लिए खाते में औसत मासिक न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता बुधवार को समाप्त करने की घोषणा की। इससे अब बैंक के सभी बचत खाताधारकों को 'जीरो बैलेंस' खाते की सुविधा मिलने लगेगी।

इसके अलावा बैंक बाकी पेज 8 पर

बैंक ने मियादी जमाओं, कर्ज पर ब्याज में कमी की

मेट्रो शहरों में बचत खाताधारकों को एएमबी के रूप में 3,000 रुपए, कस्बों में 2,000 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए खाते में रखने होते हैं। एएमबी की शर्तें पूरी नहीं करने पर उन्हें पांच से 15 रुपए तक जुर्माने और करों का भुगतान करना होता है।

दरअसल

तय समय से काफी देर से शुरू हुआ कार्यक्रम

नई पारी

सदस्यता की पर्ची देने के बाद नड्डा ने पहनाया पटका

गंभीर मुद्रा में पहुंचे, मुस्कान बिखेरते निकले 'महाराज'

सुशील राघव
नई दिल्ली, 11 मार्च।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर दो बजकर चालीस मिनट पर भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इसके तुरंत बाद वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गंभीर मुद्रा में संवाददाता सम्मेलन कक्ष में पहुंचे जहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। सिंधिया और नड्डा मंच पर चढ़े और नड्डा ने अपनी कुर्सी खींचने के बाद सिंधिया को बैठने का इशारा किया। इसके बाद दोनों बैठ गए।

कुर्सी पर बैठने के बाद सफेद कुर्ते पजामे और काली जैकेट पहने सिंधिया को कागज और पेन दिया गया जिस पर उन्होंने कुछ लिखा और फिर पानी के गिलास से एक घूंट पानी पीया। इस दौरान वे खुद को सहज दिखने की कोशिश में लगे हुए थे। एक पत्रकार ने जब उनका अभिवादन किया जो उन्होंने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। नड्डा ने सिंधिया को सदस्यता दिलाने के लिए सबसे पहले सदस्यता की एक पर्ची दी। फिर सिंधिया को एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। सबसे बाद में नड्डा ने सिंधिया को पार्टी का पटका पहनाया और उसके बाद मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पटका पहनाया। इसके बाद नड्डा ने अपना संबोधन शुरू किया और इस दौरान सिंधिया कागज पर कुछ लिखते रहे।

नड्डा ने अपने संबोधन की समाप्ति पर सिंधिया से कहा कि आप अपनी बात उन्मुक्त वातावरण और उन्मुक्त तरीके से रखिए। इस बात पर पूरे कक्ष में हंसी की आवाज गूंज गई। अपनी बात खत्म करने के बाद सिंधिया मुस्कुराते हुए नड्डा के साथ कक्ष से निकल गए।

इससे पहले भाजपा मुख्यालय का संवाददाता सम्मेलन कक्ष दोपहर साढ़े बारह बजे तक पूरी तरह से भर चुका था। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तो मंगलवार से ही लग रही थीं लेकिन बुधवार को जब संवाददाताओं को भाजपा मुख्यालय बुलाया गया तो इस बात की पुष्टि हो गई थी कि सिंधिया दिल्ली में ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। संवाददाताओं को दोपहर साढ़े बारह बजे का समय दिया गया था लेकिन सिंधिया को लेकर जेपी नड्डा दो बजकर चालीस मिनट के बाद ही पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के दिल्ली पहुंचने में देरी और नड्डा को संसद में कुछ काम होने की वजह से यह देरी हुई। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने की अटकलें थीं। बीच में कुछ सुरक्षाकर्मियों ने मंच की जांच भी की। दरवाजों पर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हो गए। लेकिन शाह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस दौरान मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और सिंधिया के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंयत जय पांडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम मौजूद थे।

गांधी परिवार पर नहीं की कोई टिप्पणी

ज्योतिरादित्य ने भाजपा का दामन थामने के बाद कांग्रेस की तो कई कमियां गिनवाईं लेकिन उन्होंने गांधी परिवार के किसी सदस्य पर कोई टिप्पणी नहीं की।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Shalu Waria D/o Nirmal Singh Waria W/o Ratnesh Sharma R/o B-1 901,Tulip Ace, Sector 89, Pataudi Road, Gurgaon 122505, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Surveen Waria Sharma. 0050163667-1

It is for general information that I, Radha Rani W/o Lalit Kumar R/o-13 Double Storey Welcome Seelampur-3 Delhi-110053,inform that name of mine hasbeen wrongly written as Radhika in State Bank of India S.A/c-10174475891 & LIC Policy.The actual name of mine is Radha Rani which may be amended accordingly. 0040535168-4

I,Sushil Gupta S/O Pratap Singh Gupta R/O-B-901, Gulistan-Cghs Ltd, Plotno.1b, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078. Changed my name to Sushil Kumar Gupta. 0040535186-5

I,Shakuntla Chabbra alias Shakuntla Devi D/O-Ram Payra Chabbra W/o,Sushil Ahuja R/o-A-96,Vivek-Vihar Phase-II,Delhi-92,have changed my name to Kiran Ahuja for,all purpose. 0040535208-2

I, Vijay Jain S/O Rameshwar Das Jain, H.No.Plot-No-62 Shivpuri, Krishna Nagar, Delhi-110051, Changed My Name To Vijay Kumar Jain. 0040535179-1

I, Vaishnavi Kataria D/o Mukesh Kumar Kataria R/o Flat No-15-A, 4th Floor, Building No-4405/5, Part-2, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-110002, that name of my father has been wrongly written as Mukesh Kumar in my Educational Documents. The actual name of my father is Mukesh Kumar Kataria. 0070702375-1

I, Umesh Kumar S/O Puran Chand R/O-110, Sharda Apartment-3, West Enclave Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name to Umesh Kumar Batra. 0040535137-2

I, Tarsem Singh Bhardwaj S/O Nikka Ram R/o-75, PKT-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Tarsem Bhardwaj. 0040535200-1

I, Sunil Kumar Suklain,S/O Late Sh.Dhoop Singh R/O-Rz-28om, Gali No-7.Rajnagar-2, Palam-Colony, New Delhi-110077, Have Changed My Name To Sunil Kumar, Permanently. 0040535179-10

I, Sunil Kumar Munshi, S/O Moti Lal Munshi R/O-Flat.No-15,Shalimar-Apartment,Mayur Vihar Phase-1,Delhi-110091, Have Changed My Name To Sunil Munshi,For All,Future Purposes. 0040535186-1

I, Srishti W/o Prateek Vohra R/O-A-206, FF, Susershan Park, Delhi-15. have changed my name to Bhavya Vohra, permanently. 0040535179-7

I, Sonia Jain D/o Chander Sain Jain W/o Tushar Jain R/o-H.No.7518 St.No.4, Raghubarpura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name to Swati Jain,for all purposes. 0040535168-1

I, Sindhu Kumari D/o Sh. Chandra Bhushan Mishra & W/o Sh. Vivek Kumar Pandey Second-in-Command, ITBP, R/o H.No. F/312, 3rd Floor, Pragati Vihar Hostel, Lodhi Road, New Delhi-110003, have changed my name to Sindhu Pandey for all future purposes. 0040535139-1

I, Shilpa Matharu W/o Amandeep Singh R/o-A-462, Resttelement Colony, Khyala, New Delhi-110018. have change my name to Shilpa Kaur. 0040535179-6

I, Shajahan Khan W/o: Late Firoj Khan Dus R/o: T-363A, 3rd Floor, Mandir Marg, Baljeet Nagar, New Delhi - 110008 have changed my name to Mary Basilica Anthony. 0040534970-1

I, Renu Nagpal W/O Gopal Dass Nagpal R/o-B-37, New India-Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Reena Nagpal. 0040535137-10

I, Ravin Kumar S/o Rajender Pal Agarwal R/o 4V/904, AWHO Gurjinder Vihar Sector Chi-1 Greater Noida have changed my name to Raveen Kumar for all future purpose. 0040535106-2

I, Ramesh Chander Uppal S/O Hargopal Uppal R/O-A-77, West Patel Nagar, Delhi-110008. Have Changed My Name To Ramesh Uppal. 0040535137-6

I, Dhiraj Choudhary S/o Shyam Sunder R/o-17 Masjid-Lane-Jangpura-Bhogal New Delhi-110014,have changed my name,from Dhiraj Choudhary to Dheeraj Choudhary for,all purposes. 0040535200-2

I, Pujan Kapur W/o Dhananjaya Sharma R/o-C-8/8047, VasantKunj, New Delhi-110070, have changed my name to Pujan Kapur Sharma. 0040535186-3

I, Puja kumari W/o Kanwar Akhilesh singh pathania R/o 243, NAC, Shivalik Enclave, Manimajra, Chandigarh 160101 have changed my surname to Puja Kumari Verma. 0070702369-1

I, Pradeep Singh S/o Shri Ram Singh R/o 35/22, Block No.35, Trilok Puri, Delhi-110091 Inform that Pradeep & Pradeep Singh are one and same person. 0040535185-1

I, Parth Bansal,S/o Giriraj Kishore Bansal, R/o D-12/68-69, Sector-8, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Partth G Bansal. 0040535186-2

I, Nisha Chhilotia D/o Bholo Chhilotia W/o-Rafiq Ahmad R/o-308-A, Okhla-Village, Jamia-Nagar, ND-110025, changed my name after-marriage and shall-hereafter be known as Nisha Naaz. 0040535200-3

I, Neetu Verma W/O Kamal Kishor R/O-B-85, First Floor, Hari Nagar, N.Delhi-110064 Have Changed My Name To Samta Soni. 0040535137-9

I, Neelam Khotani W/o Harshvardhan Teckchandani R/o Tower-9, Flat No.-501, Lotus Panache Sector-110, Noida(U.P.) have changed my name to Pooja Teckchandani for all future purposes. 0040535106-3

I, Narender Bansal S/O Mithan Lal R/O-4350, Budh Nagar, Trinagar, Delhi-110035. Have Changed My Name To Narender. 0040535137-3

I, Mukesh Kumar Bhutani S/O Govind Ram Bhutani R/O-B-4/37a, Lawrance Road, Keshav Puram, Delhi-110035. Changed My Name to Mukesh Bhutani. 0040535137-5

I, Mirza Ahmad Beig S/O Zahir Beig R/O-Q-105, Galino.2, Vikas Vihar,Uttam Nagar, Delhi-110059. Changed my Name to Mirza Ahmed Beig. 0040535137-1

I, Mandeep Singh S/O Sukhcharan Singh Bhambra, R/O-F-29 2nd Floor, Kirtinagar, Rameshnagar, Delhi-110015.Have Changed My Name To Mandeep Singh Bhambra. 0040535145-9

I, Kamini Venkata Subbarao Gavara W/o Venkata Subbarao Gavara R/o 324, Dakshinayan Apartments, Plot No-19, Dwarka Sector-4, South West Delhi-110078 India. I have changed my name from Kamini Kapal to Kamini Venkata Subbarao Gavara for all purposes. 0040535100-1

I, Kamal Kumar Kakar S/o Ramesh Datt Kakar R/o-3273, B-3, Bogainvilla-Apartments, VasantKunj, Delhi-110070 have changed my name to Kamal Kakkar. 0040535179-8

I, Ishita Ladha W/o Ritesh Ladha R/o W-51, Greater Kailash-2, Delhi-110048, have changed my minor daughter's name from Mirayah Ladha aged 5 years to Merayah Ladha forever 0070702376-1

I, Indramani Tiwari S/o Satguru Tiwari R/o TiwariPur Savana Dist.Ambedkar Nagar, UP, declare that my father name has been recorded as Jagdish Prasad Tiwari in educational certificates, pan card, Corp Bank A/c & EPF A/c, correct name of my father is Satguru Tiwari. 0050163670-1

I, Himanshu, R/o G-23, Double Storey Quarters, Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055, have changed my name to Himanshu Makker. 0070702371-1

I, Hashmi W/o Aqeel Ahmad R/O 477, Gali-20A, Zakir Nagar, JamiaNagar, Okhla, Delhi-25 have changed my name to Hashmi Bano. 0040535179-5

I, Harsh Kumar Sharma S/O Nanak Chand Sharma R/O 1/204, 2nd Floor,Sadar Bazar, Delhi Cantt.Delhi-110010 state that name of my minor son has been mentioned as Rish Vashisht (DOB 3-2-2007) in LIC Policy No.331796174 whereas his actual name is Divyansh Vashisth which may be amended accordingly. 0040535097-1

I, Harpreet Dhillon W/o Sreekumar Prabhakaran R/o H.No-P-25/3, Tarapore-Enclave Opposite-Nangal Dewat New Delhi-110070, have changed my name to Harpreet Sreekumar. 0040535186-4

I, Gurbux Singh R/O 503 Sector-21b Faridabad Have Change Name To Gurbaksh Singh For All. 0040535145-1

I, Dinesh Kumar s/o Soni Devi Dayal r/o A-117, Jawahar Park, Khanpur, Delhi-110062 have changed my name to DINESH TOLANI. 0040535167-1

I Pawan Baliyan S/O Prem Singh R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To Pawan Kumar. 0040535179-4

I Sanjay Chaddha S/o Yash Pal Chadha R/0-62 Kamdhenu Apartments Plotno-51 Sector-9 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Sanjay Chadha. 0040535137-7

I, Dashleen Kaur Bindra D/o Kawaljit Singh R/o B-163,Ist Floor, Fateh Nagar,Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name as Dashleen Kaur for record and future purposes. 0040535097-2

I, Chitprubh Kaur R/o 68, Gurdwara Gobind Sadan, Gadaipur, South Delhi, 110030 have changed my name to Chitprabh Kaur. 0070702366-1

I, Chirag Kumar S/O Laxmi Chand, H.No-92, Ward.No-6 And-7, Saini-Mohalla, Ganaur,Sonipat, Haryana-131101 Have Changed My Name To Chirag. 0040535145-6

I, Nitu Devi Khatri S/O Pawan Kumar R/O-178, Levan, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Neetu. 0040535137-4

I, Balwinder Kaur W/O Mandeep Singh Bhambra R/O-F-29. 2nd-Floor. Kirtinagar. Rameshnagar. Delhi-110015. Have Changed My Name To Balwinder Kaur Bhambra. 0040535145-7

I, Avineet Kaur D/O Mandeep Singh Bhambra R/O-F-29 2nd-Floor. Kirtinagar. Rameshnagar. Delhi-110015. Have Changed My Name To Avineet Kaur Bhambra. 0040535145-8

I, Arun Kumar S/O Purushottam Tiwari R/O Village -Laxman Pur, post- Sikandar Pur, District- Basti, Uttar Pradesh (up), 272129 have changed my name to Arun Tiwari for all future purposes. 0050163668-2

I, Arshiya Asad Khan W/O Syed Asad Moin R/O-Nigar-Cottage, A7 Khajoori-Road, Joga-Bai Extn., Okhla, New Delhi-110025. have changed my name to Arshiya Khan. 0040535179-9

I, Anita Rani D/o Sh. Ram Narain W/o Bhuvnesh Kumar Grover R/o 214, Netaji Subhash Appt., Phase-1,Pocket-1, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078 have changed my name to Anita Grover for all purposes. 0040535116-1

I Yumtso W/O, Lobsang Chotar R/o T.r. Camp No. 6 H.no.03 Agling Leh Ladakh J&k have changed my name to Tsering Yumtso for all purposes. 0040535128-1

I Yogesh Kumar Yadav S/O Sh.Jai shankar Yadav R/O-75/D-11 Sector-8, Rohini Delhi-110085,have Changed my Name Yogesh Yadav for all purposes. 0040535136-1

I Thomas Thomas, Alias Varun Thomas, S/O ANIL Thomas, R/O Meethapur Extn. Badarpur New Delhi- 110044 have changed my name to Varun Thomas. 0070702370-1

I Suresh Kumari W/O, Narinder Singh R/O H.no.62 ,vpo-Tint. Distt.-Rewari, Haryana Pin-123101 have changed my name to Suresh Devi for all purposes. 0040535132-1

I Sumbul Mustafa Alias Sumbul Samar D/O.M H Israili, W/O Samar Ahsan,R/O-N-16, Block-N, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, Okhla, Delhi-110025, Have Changed My Name To Sumbul Samar,For All Purposes. 0040535186-6

I Shamsul Sadaf W/O Mohd. Qamar Tanveer D/O Aas Mohammad R/O Plot.No. 116/Ground Floor, Gyan Khand-3, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014 have changed my name and shall hereafter be known as Sadaf Tanveer 0040535168-3

I Shalini W/O Pawan Kumar R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To shalini Baliyan. 0040535179-3

I Shakeel Ahmed S/O Shafi Ahmed R/O 1002, Neem Street H. H. Haider Punjabi Phatak Delhi-6 have Changed my Name From Mohd Shakeel to Shakeel Ahmed for All Future Purposes. 0040535134-1

I Savita Nigam/Savita Saran Nigam R/O Flat No. 35, Plot 5, Uttaranchal Society, I.P.Extension, Delhi-110092 have changed my name to Savita Sharan Nigam. 0070702368-1

I Sadaf Shakeel W/O Shakeel Ahmed R/O 1002, Neem Street H. H. Haider Punjabi Phatak Delhi-6 have Changed my Name From Shabana Begum to Sadaf Shakeel for All Future Purposes. 0040535134-2

I Monu Garg R/O House No. 607/25 Street No. 5, Sector 9, Ravi Nagar Ext. Gurgaon Haryana 122001 Have Changed My Name To Monika Modi As Per Document. 0070702372-1

I Mohd Shoaib S/O Ghulam Mohd R/O,-111 Kot-Mohalla Basti Hazrat-Nizamuddin South/West Delhi-110013 inform that Mohd Shoaib and Shoaib are one and the same person. 0040535145-2

I Manpreet Kaur W/O Damanjit Singh Sethi H.No-41 Gopal-Nagar Fateh Nagar Delhi-110018, Changed My Name To Manpreet Kaur Sethi. 0040535145-5

I Harsh S/O Pawan Kumar, R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To Harsh Baliyan. 0040535179-2

I Mohammad Afraz Ahmad S/O, Niyaz Ahmad R/O G-9/283, Sangam Vihar, South Delhi, Delhi-110062 have changed my name to Afraz Ahmad for all purposes. 0040535119-1

I Manoj Goel S/0-Pawan Kumar Goel H.No-159 1st-Floor Pkt-12 Sector-24 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Manoj Gupta. 0040535145-3

I Manmeet Singh Anand S/O, Amrik Kaur R/O 34 9 And 10 3rd Floor Mukherjee Park Tilak Nagar, New Delhi have changed my name to Manmeet Singh from Manmeet Singh Anand for all purposes via affidavit certificate on IN-DL34548547034074S. 0040535173-1

I Manisha Goel W/o Manoj Gupta H.No-159 1st-Floor Pkt-12 Sector-24 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Manisha Gupta. 0040535145-4

I Maimoona Khatoon Siddiqui Alias Maimoona Ahsan, D/O Late.Isshtiyaq Ahmed Siddiqui, W/O Ahsanul Haq, R/O-N-16, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, New Friends Colony, Delhi-110025,Have Changed My Name To Maimoona Ahsan,For All Purposes. 0040535186-7

I Hanuman Prasad Mot S/O Nasra Ram Mot R/O Flat No-1010, Regalia Heights, Shipra Suncity, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014, have changed my name to Hanuman Mal Mot. 0070702373-1

I Govind Yadav S/O Satbir Yadav R/O-H.no.57, Tibdi-Mohalla Dundahara Sector-20. Gurgaon, Haryana-122016 declare that name of my father has been wrongly-written as Satvir Yadav in my Driving-Licence no.DL-1120150315419. The actual name of my father is Satbir Yadav, which may be amended accordingly. 0040535168-5

I Chand Singh S/O Randhir Singh R/O-H.No.309 Sainik-Nagar Bahadurgarh Distt.Jhajjar Haryana,inform that my minor son name wrongly written as Jai Pervesh Suhag in my service(Army)record actual name of my minor son Jaipervesh. 0040535145-10

I Babli Kumar D/o. Bhupal Singh, R/o. E-106, Alpha 1, Greater Noida, Rampur Jagir, Surajpur, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201306 have changed my name from Babli Kumar to Babli Rajput for all purposes. 0070702374-1

I Ashish Kumar Arora S/O Satpal Arora R/O-B-2/33 Phase-2 Ashok-Vihar N.Delhi-110052 Have Change My Name Ashish Arora 0040535137-8

I Arjanbir Singh Sodhi S/O, Ajay Bir Singh R/o #524, Sector 10-d Chandigarh have changed my name to Arjan Bir Singh Sodhi for all purposes. 0040535140-1

I MOHD ARIF S/O Tahir Husain R/O 346/168/33 National Colony Mehndiganj Lko Change My Name From Mohd Arif to Arif Husain For All Purposes. 0130015279-1

I Ahsanul Haq Hashmi Alias Ahsanul Haque Alias Ahsanul Haq, S/O Late.Izharul Haq, R/O-N-16, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, New Friends Colony, Delhi-110025, Have Changed My Name To Ahsanul Haq,For All Purposes. 0040535186-8

मैं, गायत्री महापात्रा पत्नी श्री नावाकृष्ण महापात्रा (NABAKRISHNA MAHAPATRA) निवासिनी-ग्राम-कोठारिसिंगी, पोस्ट- कोठारिसिंगी, जिला- गंजाम, राज्य-ओडिशा, पिन-761008 ने जिला-न्यायालय, बेरहम, ओडिशा में दिनांक 20.12.2018 को शपथ पत्र देकर अपना नाम गायत्री महापात्रा (GAYATHRI MAHAPATRA) से बदलकर गायत्री महापात्रा (GAYATRI MAHAPATRA) करवा ली हूं।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलान आली मोहम्मद मिर्जा पुत्र श्री सकरूद्दीन व उनकी पत्नी ... निवासीगण-21/410 ... दिल्ली-110091 ने अपने पुत्र नूर मोहम्मद व उसकी पत्नी ... से अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिए हैं ... [illegible]

राजेश शर्मा अधिवक्ता
Chamber No.: G-216, 2nd Floor, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032

खोया+पाया

I, Ajay Kumar S/o Jay Ram R/o.Village-Bisheshwarpur, Post-Gauspur, Distt.-Ghazipur, U.P.-233227 have lost my original Migration Certificate of B.A., Roll No.600583, Enrolment No.D9620567, Passed in year-2000, Session-1997-2000, issued by University of Allahabad-U.P. Contact at M:8860853354. 0040535168-6

I, Hitanshu Khullar S/o Parveen kr Khullar R/o-EA-1/29 U.G - floor Inderpuri New Delhi. have lost my original certificate/marksheet class-10th (2008) Rollno-6162877 class-12th (2010) Rollno-6256327 CBSE-Delhi. 0040535168-9

I, Alok Kumar Sinha S/o Onkar Prasad Sinha do hereby inform that the original allotment letter of House No.70B MIG Flat Sector-93, Noida has lost some where and not traceable. Contact: 9304286094 0040535106-1

I, Milind Wankhande S/o Shyam LalWankhande R/o-D148/A G8 DCM-Colony Ibrahimpur-Extn. Delhi-110036, has lost my Original CBSE-Certificate 12th-Class Roll No.-9141375 Year-2019. 0040535168-8

I, Shalja Kumari D/o Kamlesh Kumar H.No.133, Gali-No.-2, Darshan-Vihar, Burari Delhi-110084. has lost my Original CBSE Certificate 12th-Class Roll No.9133255 Year-2015. 0040535168-7

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary Examination of Year-2017 Roll.No.8251041 issued by CBSE has been actually lost.Gautam Dagar R/o-VPO Issapur New Delhi-110073 CONT.9711159446. 0040535200-5

Lost my original Sale-deed of Flat-E/3D, Belair Apartment, Main-Road, Ranchi(Document Number-1/368/15426. Finder please contact:Bimal Prasad, B-204, Alaknanda Apartment,GH-45, Sector-56, Gurgaon-122011.Mob-9650448434. 0040535186-10

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Shri Jai Singh, S/o Late Shri Maulhar Singh, R/o RZ-50B, Gali No. 4, Mohan Block, West Sagarpur, New Delhi-110046, has disowned his grandson Mr. Rachy ... and his mother Smt. Aysha Joyti, W/o Late Shri Rajender Kumar Saxena and has revoked all relationship with them due to their bad behaviour and bad intensions. My client has debarred them all from their rights of inheritance. Claims in any manner from his moveable and immoveable properties.

Mehar Chand Premi, Advocate
Ch. No 435, Distt. Court, Dwarka, ND-75

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल ... [illegible]

KAMAL SINGH (ADVOCATE)
Ch.no.512, Distt. Court, Rohini, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public in large that my client SH. RAM KUMAR SHARMA S/O SH. J.P. SHARMA R/O C-67, KRISHAN VIHAR, N.W. DELHI-110086 has disowned, debarred and disinherited his son's namely Neeraj Kumar Sharma and Prince Sharma from all his moveable and immoveable properties due to their bad conduct and misbehave. My client severed all relations from them as they are no more in the control of my client. Anybody deals with them my client and his wife will not be responsible in any manner whatsoever in future.

PRATIMA SHARMA (ADVOCATE)
OFFICE AT F-144, GROUND FLOOR, DHARAM MARKET ROAD, KRISHAN VIHAR, DELHI-110086

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely Mr. Kallu Ram S/o Tilwa Singh and Mrs. Shakuntala W/o Shri Kallu Ram both R/o N-17A/426, T-Huts, Pattharwala Bagh, J.J. Colony Wazirpur, Delhi-110052, wants to disown his/their son namely Mr. Kuldeep and his wife namely Mrs. Preeti from self acquired movable and immovable property for future all actions, & above said statements are true and correct in the best of my knowledge & belief.

Place: New Delhi
Date: 07.03.2020
Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

रिक्त स्थान

RAO RAM SINGH COLLEGE OF EDUCATION
Bhora Kalan, Gurugram, HR.

(REQUIRED following Teaching Staff for B.Ed. Course)
Perspectives in Education-01, Pedagogic Subjects - (Eng.1, Maths-1, Physical Science-1, Bio-Science-1, Eco-1, H. Science-1, Fine Arts I Performing Arts-1.
Education Qualification - As per qualification latest norms of M.D. University / Rohtak / State Govt. / NCTE.
Apply within 21 days to Chairman of college and send one C.V. copy of Dean College Development Council M.D. University Rohtak.
Chairman - 9813585255

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that our clients Jaspal Singh Bedi S/o Late Sh.Balbir Singh Bedi and Anita Bedi W/o Sh.Jaspal Singh Bedi both R/o H-294, F.F., H-Block, Vikaspuri, New Delhi-110018, do hereby disown and debar from all movable and immovable properties their son Rahul Bedi, His wife Pawan Talwar Bedi and all his children because they are out of control of my clients.
Anybody dealing with his/their shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. Our clients will not be held responsible for any consequences.
Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
S.R-II,B Campus,Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS SH. VED PRAKASH & HIS WIFE SMT. REENA BOTH R/O H. NO: 317, BANJARA GALI, HAIDERPUR VILLAGE, DELHI-110088, SEVERE ALL PERSONAL & SOCIAL RELATIONS & DEBAR THEIR DAUGHTER NEHA PAL W/O ATUL RATHORE FROM ALL THEIR MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO HER MISCONDUCT, DISOBEDIENCE & BEING OUT OF CONTROL. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR HER ANY ACTS / DEALINGS IN FUTURE. IF ANYBODY DEALS WITH HER, SHALL DO AT HIS OWN COST/RISK.
Sd/-
PANKAJ SHARMA (ADVOCATE)
CH. NO: 1108 ROHINI COURT, DELHI

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, PREET VIHAR : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, SHAKARPUR : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

राज्यसभा चार बार स्थगित नहीं हुआ कामकाज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

राज्यसभा में खनन एवं दिवाला कानून से संबंधित दो अध्यादेशों से जुड़े विधेयकों को बुधवार को ही पारित कराने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण उच्च सदन की बैठक चार बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को कोरोना वायरस से प्रभावित देश ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी के प्रयासों पर अपना बयान देने को कहा।

जयशंकर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर सुझाव दिए और उनसे स्पष्टीकरण पूछे। मंत्री द्वारा उनका जवाब दिए देने के बाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान(अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इसके बाद उन्होंने दो अध्यादेशों से संबंधित विधेयकों को पारित कराने की बाध्यता बताते हुए सदन से इन पर चर्चा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों पर 13 मार्च तक राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, इसलिए बुधवार को ही इन्हें पारित नहीं कराए जाने पर प्रशासनिक संकट पैदा हो जाएगा।

इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इन विधेयकों का जिक्र सदन की दोपहर बाद जारी संशोधित कार्यसूची में किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये विधेयक इतने जरूरी थे तो सरकार ने इन्हें मूल कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं किया।

राजीव मामले में दोषी नलिनी की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज

चेन्नई, 11 मार्च (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु मंत्रिमंडल के एक फैसले के आधार पर समय पूर्व रिहाई की मांग की गई थी।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के प्रभावी होने के लिए प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं लेकिन फिर भी माफी, सजा कम करने या रिहाई के लिए अधिकृत करने को राज्यपाल के दस्तखत अनिवार्य हैं।

भागलपुर : दो गुटों में संघर्ष और गोलीबारी

भागलपुर, 11 मार्च (जनसत्ता)।

मंगलवार रात भागलपुर हवाई अड्डे के नजदीक सच्चिदानंद नगर में दो गुटों के संघर्ष में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और तीन वाहन फूंक दिए गए। एसएसपी आशीष भारती सात गोलियां चलने की बात कहते हैं मगर वहां खाली खोखे बताते हैं कि गोलियां ज्यादा दागी गई है। एसएसपी के मुताबिक हालात काबू में है। आपसी रंजिश और विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह मौके पर भारी पुलिस बल लेकर देर रात पहुंचे, तब हालात काबू में आया।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने ग्यारह आरोपियों को मौके पर पहुंच गिरफ्तार किया है। जिस घर में लोग इकट्ठा थे उसकी तलाशी ली गई। वहां से एक लाइसेंसी रायफल, एक लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक, 40 जिंदा कारतूस और दस मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसके साथ ही छह दो पहिए वाहन भी जब्त किए गए हैं।

लोग होली मनाने के बाद घरों में बंद थे। इधर मोहल्ले के एक घर में वाकए को अंजाम देने कुछ लोग शाम ढलने के बाद जमा होने लगे थे और रात नौ बजे के बाद अचानक गोली बारी करने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लोगबाग दहशत में आ गए और पथराव करने लगे। वाहनों को तोड़फोड़ कर आगजनी की घटना कर दी।

सूचना मिलते ही कई थानों से पुलिस बल लेकर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और गुस्से से भरे लोगों को शांत कराया। और एक घर में जमा लोगों को दबोचा। उनके हथियार कब्जे में किए। कुछ लोग पहली मंजिल पर छुप गए थे। उनको पुलिस ने नीचे उतार गिरफ्तार कर थाने लाई। तब मामला काबू में आ सका। पुलिस आगे की जांच और कारर्वाई करने में जुटी है।

हरियाणा में विस्तार के लिए तैयार आप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

-चार क्षेत्रों में हरियाणा को बांटकर लागू किया जाएगा अभियान
-संगठन के पदाधिकारियों की आम आदमी पार्टी ने की घोषणा

आम आदमी पार्टी जल्द ही हरियाणा में राष्ट्र निर्माण अभियान की शुरुआत करेगी। बुधवार को इस अभियान के तहत हरियाणा को चार क्षेत्रों में बांटकर एक विशेष टीम तैयार की गई है। यह टीम क्षेत्र में नए सदस्य बनाने और पार्टी के विस्तार का काम करेगी।

आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य सभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर चार टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही पार्टी मुख्य इकाइ, मुख्य प्रकोष्ठ व विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की टीम घोषित करेगी। दक्षिण जोन हरियाणा का संयोजक आरएस राठी को बनाया गया है। इस टीम में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, सचिव ब्रजेश सिंह व कोषाध्यक्ष हरेंद्र भाटी को बनाया गया है।

इस क्षेत्र में चार उपाध्यक्ष होंगे जिनमें ऋषि गोयल, राजुद्दीन, रंधीर चौहान व धर्मेंद्र शामिल हैं। इसी प्रकार डॉ. सारिका, वकील अशोक वर्मा, विनय यादव, मुकेश शर्मा, कौशल कुमार पार्टी प्रवक्ता होंगे। लीगल सेल संयोजक अशोक वर्मा और आप व्यापारी संगठन का संयोजक अमन गोयल को बनाया गया है।

डॉ. सुशील गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी नए सदस्यों बनाएगी। पार्टी दिल्ली में किए गए कार्यों और विकास के आधार पर दूसरे राज्यों में भी आप का विस्तार करेगी और इस राष्ट्र निर्माण अभियान को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएगी।

पार्टी ने एक नंबर भी जारी किया है। 9871010101 पर मिस कॉल कर पार्टी की सदस्यता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की तरह ही देश की जनता भी विकास करने वालों का ही साथ देने की तैयारी में है।

सिंधिया इकलौते व्यक्ति थे जो कभी भी मेरे घर आ सकते थे : राहुल

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का समय नहीं देने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सिंधिया इकलौते व्यक्ति थे जो उनके घर कभी भी आ सकते थे।

दरअसल, संसद परिसर में गांधी से सवाल किया गया था कि क्या सिंधिया को सोनिया गांधी या आपसे (राहुल) मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'सिंधिया इकलौते शख्स हैं जो उनके घर कभी भी आ सकते थे क्योंकि वे मेरे साथ कॉलेज में थे।' गांधी ने बुधवार को ट्विटर पर अपना एक पुराना ट्वीट फिर से साझा किया जो उन्होंने दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के चयन के समय किया था।

इस ट्वीट में उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी और विचारक लियो टॉलस्टॉय के इस कथन को उद्धृत किया, 'धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं।' उधर, सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय से उनके नाम की नेमप्लेट हटा दी गई। करीब 18 वर्षों तक कांग्रेस में रहे सिंधिया बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने रविवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, 'ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग होते देखना दुखद है। काश चीजों को पार्टी के अंदर ही साथ मिलकर सुलझा लिया गया होता।'

पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका खारिज

श्रीनगर, 11 मार्च (भाषा)।

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें घाटी में प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और धीरज सिंह ठाकुर के खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'यह स्पष्ट है कि जब तक अनियंत्रित भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, बल का इस्तेमाल अपरिहार्य होता है।'

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Shalu Waria D/o Nirmal Singh Waria W/o Ratnesh Sharma R/o B-1 901,Tulip Ace, Sector 89, Pataudi Road, Gurgaon 122505, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Surveen Waria Sharma. 0050163667-1

It is for general information that I, Radha Rani W/o Lalit Kumar R/o-13 Double Storey Welcome Seelampur-3 Delhi-110053,inform that name of mine hasbeen wrongly written as Radhika in State Bank of India S.A/c-10174475891 & LIC Policy.The actual name of mine is Radha Rani which may be amended accordingly. 0040535168-4

I,Sushil Gupta S/O Pratap Singh Gupta R/O-B-901, Gulistan-Cghs Ltd, Plotno.1b, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078. Changed my Name to Sushil Kumar Gupta. 0040535186-5

I,Shakuntla Chabbra alias Shakuntla Devi D/O-Ram Payra Chabbra W/o,Sushil Ahuja R/o-A-96,Vivek-Vihar Phase-II,Delhi-92,have changed my name to Kiran Ahuja for,all purpose. 0040535208-2

I, Vijay Jain S/O Rameshwar Das Jain, H.No.Plot-No-62 Shivpuri, Krishna Nagar, Delhi-110051, Changed My Name To Vijay Kumar Jain. 0040535179-1

I, Vaishnavi Kataria D/o Mukesh Kumar Kataria R/o Flat No-15-A, 4th Floor, Building No-4405/5, Part-2, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-110002, that name of my father has been wrongly written as Mukesh Kumar in my Educational Documents. The actual name of my father is Mukesh Kumar Kataria. 0070702375-1

I, Umesh Kumar S/O Puran Chand R/O-110, Sharda Apartment-3, West Enclave Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name to Umesh Kumar Batra. 0040535137-2

I, Tarsem Singh Bhardwaj S/o Nikka Ram R/o-75, PKT-19, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Tarsem Bhardwaj. 0040535200-1

I, Sunil Kumar Suklain,S/O Late Sh.Dhoop Singh R/O-Rz-28om, Gali No-7.Rajnagar-2, Palam-Colony, New Delhi-110077, Have Changed My Name To Sunil Kumar, Permanently. 0040535179-10

I, Sunil Kumar Munshi, S/O Moti Lal Munshi R/O-Flat.No-15,Sahyog-Apartment,Mayur Vihar Phase-1,Delhi-110091, Have Changed My Name To Sunil Munshi,For All,Future Purposes. 0040535186-1

I, Srishti W/o Prateek Vohra R/o-A-206, FF, Susershan Park, Delhi-15. have changed my name to Bhavya Vohra, permanently. 0040535179-7

I, Sonia Jain D/o Chander Sain Jain W/o Tushar Jain R/o-H.No.7518 St.No.4, Raghubarpura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name to Swati Jain,for all purposes. 0040535168-1

I, Sindhu Kumari D/o Sh. Chandra Bhushan Mishra & W/o Sh. Vivek Kumar Pandey Second-in-Command, ITBP, R/o H.No. F/312, 3rd Floor, Pragati Vihar Hostel, Lodhi Road, New Delhi-110003, have changed my name to Sindhu Pandey for all future purposes. 0040535139-1

I, Shilpa Matharu W/o Amandeep Singh R/o-A-462, Resttelement Colony, Khyala, New Delhi-110018. have change my name to Shilpa Kaur. 0040535179-6

I, Shajahan Khan W/o: Late Firoj Khan Dus R/o: T-363A, 3rd Floor, Mandir Marg, Baljeet Nagar, New Delhi - 110008 have changed my name to Mary Basilica Anthony. 0040534970-1

I, Renu Nagpal W/o Gopal Dass Nagpal R/o-B-37, New India-Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Reena Nagpal. 0040535137-10

I, Ravin Kumar S/o Rajender Pal Agarwal R/o 4V/904, AWHO Gurjinder Vihar Sec-Chi-1 Greater Noida have changed my name to Raveen Kumar for all future purpose. 0040535106-2

I, Ramesh Chander Uppal S/O Hargopal Uppal R/O-A-77, West Patel Nagar, Delhi-110008. Have Changed My Name To Ramesh Uppal. 0040535137-6

I, Dhiraj Choudhary S/o Shyam Sunder R/o-17 Masjid-Lane-Jangpura-Bhogal New Delhi-110014,have changed my name,from Dhiraj Choudhary to Dheeraj Choudhary for,all purposes. 0040535200-2

I, Pujan Kapur W/o Dhananjaya Sharma R/o-C-8/8047, VasantKunj, New Delhi-110070, have changed my name to Pujan Kapur Sharma. 0040535186-3

I, Puja kumari W/o Kanwar Akhilesh singh pathania R/o 243, NAC, Shivalik Enclave, Manimajra, Chandigarh 160101 have changed my surname to Puja Kumari Verma. 0070702369-1

I, Pradeep Singh S/o Shri Ram Singh R/o 35/22, Block No.35, Trilok Puri, Delhi-110091 Inform that Pradeep & Pradeep Singh are one and same person. 0040535185-1

I, Parth Bansal,S/o Giriraj Kishore Bansal, R/o D-12/68-69, Sector-8, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Partth G Bansal. 0040535186-2

I, Nisha Chhilotia D/o Bholo Chhilotia W/o-Rafiq Ahmad R/o-308-A, Okhla-Village, Jamia-Nagar, ND-110025, changed my name after-marriage and shall-hereafter be known as Nisha Naaz. 0040535200-3

I, Neetu Verma W/O Kamal Kishor R/O-B-85, First Floor, Hari Nagar, N.Delhi-110064 Have Changed My Name To Samta Soni. 0040535137-9

I, Neelam Khotani W/o Harshvardhan Teckchandani R/o Tower-9, Flat No.-501, Lotus Panache Sector-110, Noida(U.P.) have changed my name to Pooja Teckchandani for all future purposes. 0040535106-3

I, Narender Bansal S/O Mithan Lal R/O-4350, Budh Nagar, Trinagar, Delhi-110035. Have Changed My Name To Narender. 0040535137-3

I, Mukesh Kumar Bhutani S/O Govind Ram Bhutani R/O-B-4/37a, Lawrance Road, Keshav Puram, Delhi-110035. Changed My Name to Mukesh Bhutani. 0040535137-5

I, Mirza Ahmad Beig S/O Zahir Beig R/O-Q-105, Galino.2, Vikas Vihar,Uttam Nagar, Delhi-110059. Changed my Name to Mirza Ahmed Beig. 0040535137-1

I, Mandeep Singh S/O Sukhcharan Singh Bhambra, R/O-F-29 2nd Floor, Kirtinagar, Rameshnagar, Delhi-110015.Have Changed My Name To Mandeep Singh Bhambra. 0040535145-9

I, Kamini Venkata Subbarao Gavara W/o Venkata Subbarao Gavara R/o 324, Dakshinayan Apartments, Plot No-19, Dwarka Sector-4, South West Delhi-110078 India. I have changed my name from Kamini Kapal to Kamini Venkata Subbarao Gavara for all purposes. 0040535100-1

I, Kamal Kumar Kakar S/o Ramesh Datt Kakar R/o-3273, B-3, Bogainvilla-Apartments, VasantKunj, Delhi-110070 have changed my name to Kamal Kakkar. 0040535179-8

I, Ishita Ladha W/o Ritesh Ladha R/o W-51, Greater Kailash-2, Delhi-110048, have changed my minor daughter's name from Mirayah Ladha aged 5 years to Merayah Ladha forever 0070702376-1

I, Indramani Tiwari S/o Satguru Tiwari R/o TiwariPur Savana Dist.Ambedkar Nagar, UP, declare that my father name has been recorded as Jagdish Prasad Tiwari in educational certificates, pan card, Corp Bank A/c & EPF A/c, correct name of my father is Satguru Tiwari. 0050163670-1

I, Himanshu, R/o G-23, Double Storey Quarters, Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-110055, have changed my name to Himanshu Makker. 0070702371-1

I, Hashmi W/o Aqeel Ahmad R/o 477, Gali-20A, Zakir Nagar, JamiaNagar, Okhla, Delhi-25 have changed my name to Hashmi Bano. 0040535179-5

I, Harsh Kumar Sharma S/o Nanak Chand Sharma R/o 1/204, 2nd Floor,Sadar Bazar, Delhi Cantt.Delhi-110010 state that name of my minor son has been mentioned as Rish Vashisht (DOB 3-2-2007) in LIC Policy No.331796174 whereas his actual name is Divyansh Vashisth which may be amended accordingly. 0040535097-1

I, Harpreet Dhillon W/o Sreekumar Prabhakaran R/o H.No-P-25/3, Tarapore-Enclave Opposite-Nangal Dewat New Delhi-110070, have changed my name to Harpreet Sreekumar. 0040535186-4

I, Gurbux Singh R/O 503 Sector-21b Faridabad Have Change Name To Gurbaksh Singh For All. 0040535145-1

I, Dinesh Kumar s/o Soni Devi Dayal r/o A-117, Jawahar Park, Khanpur, Delhi-110062 have changed my name to DINESH TOLANI. 0040535167-1

I Pawan Baliyan S/O Prem Singh R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To Pawan Kumar. 0040535179-4

I Sanjay Chaddha S/o Yash Pal Chadha R/0-62 Kamdhenu Apartments Plotno-51 Sector-9 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Sanjay Chadha. 0040535137-7

I, Dashleen Kaur Bindra D/o Kawaljit Singh R/o B-163,Ist Floor, Fateh Nagar,Tilak Nagar, New Delhi-110018 have changed my name as Dashleen Kaur for record and future purposes. 0040535097-2

I, Chitprubh Kaur R/o 68, Gurdwara Gobind Sadan, Gadaipur, South Delhi, 110030 have changed my name to Chitprabh Kaur. 0070702366-1

I, Chirag Kumar S/O Laxmi Chand, H.No-92, Ward.No-6 And-7, Saini-Mohalla, Ganaur,Sonipat, Haryana-131101 Have Changed My Name To Chirag. 0040535145-6

I, Nitu Devi Khatri S/O Pawan Kumar R/O-178, Levan, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Neetu. 0040535137-4

I, Balwinder Kaur W/O Mandeep Singh Bhambra R/O-F-29. 2nd-Floor. Kirtinagar. Rameshnagar. Delhi-110015. Have Changed My Name To Balwinder Kaur Bhambra. 0040535145-7

I, Avineet Kaur D/O Mandeep Singh Bhambra R/O-F-29 2nd-Floor. Kirtinagar. Rameshnagar. Delhi-110015. Have Changed My Name To Avineet Kaur Bhambra. 0040535145-8

I, Arun Kumar S/o Purushottam Tiwari R/o Village -Laxman Pur, post- Sikandar Pur, District- Basti, Uttar Pradesh (up), 272129 have changed my name to Arun Tiwari for all future purposes. 0050163668-2

I, Arshiya Asad Khan W/o Syed Asad Moin R/o-Nigar-Cottage, A7 Khajoori-Road, Joga-Bai Extn., Okhla, New Delhi-110025. have changed my name to Arshiya Khan. 0040535179-9

I, Anita Rani D/o Sh. Ram Narain W/o Bhuvnesh Kumar Grover R/o 214, Netaji Subhash Appt., Phase-1,Pocket-1, Sector-13, Dwarka, Delhi-110078 have changed my name to Anita Grover for all purposes. 0040535116-1

I Yumtso W/O, Lobsang Chotar R/o T.r. Camp No. 6 H.no.03 Agling Leh Ladakh J&k have changed my name to Tsering Yumtso for all purposes. 0040535128-1

I Yogesh Kumar Yadav S/o Sh.Jai shankar Yadav R/o-75/D-11 Sector-8, Rohini Delhi-110085,have Changed my Name Yogesh Yadav for all purposes. 0040535136-1

I Thomas Thomas, Alias Varun Thomas, S/o ANIL Thomas, R/o - A-887, Sai Nagar, Meethapur Extn. Badarpur New Delhi- 110044 have changed my name to Varun Thomas. 0070702370-1

I Suresh Kumari W/O, Narinder Singh R/o H.no.62 ,vpo-Tint, Distt.-Rewari, Haryana Pin-123101 have changed my name to Suresh Devi for all purposes. 0040535132-1

I Sumbul Mustafa Alias Sumbul Samar D/O.M H Israili, W/O Samar Ahsan,R/O-N-16, Block-N, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, Okhla, Delhi-110025, Have Changed My Name To Sumbul Samar,For All Purposes. 0040535186-6

I Shamsul Sadaf W/O Mohd. Qamar Tanveer D/O Aas Mohammad R/O Plot,No. 116/Ground Floor, Gyan Khand-3, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.-201014 have changed my name and shall hereafter be known as Sadaf Tanveer 0040535168-3

I Shalini W/O Pawan Kumar R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To shalini Baliyan. 0040535179-3

I Shakeel Ahmed S/o Shafi Ahmed R/o 1002, Neem Street H. H. Haider Punjabi Phatak Delhi-6 have Changed my Name From Mohd Shakeel to Shakeel Ahmed for All Future Purposes. 0040535134-1

I Savita Nigam/Savita Saran Nigam R/o Flat No. 35, Plot 5, Uttaranchal Society, I.P.Extension, Delhi-110092 have changed my name to Savita Sharan Nigam. 0070702368-1

I Sadaf Shakeel W/o Shakeel Ahmed R/o 1002, Neem Street H. H. Haider Punjabi Phatak Delhi-6 have Changed my Name From Shabana Begum to Sadaf Shakeel for All Future Purposes. 0040535134-2

I Monu Garg R/O House No. 607/25 Street No. 5, Sector 9, Ravi Nagar Ext. Gurgaon Haryana 122001 Have Changed My Name To Monika Modi As Per Document. 0070702372-1

I Mohd Shoaib S/O Ghulam Mohd R/O,-111 Kot-Mohalla Basti Hazrat-Nizamuddin South/West Delhi-110013 inform that Mohd Shoaib and Shoaib are one and the same person. 0040535145-2

I Manpreet Kaur W/o Damanjit Singh Sethi H.No-41 Gopal-Nagar Fateh Nagar Delhi-110018, Changed My Name To Manpreet Kaur Sethi. 0040535145-5

I Harsh S/O Pawan Kumar, R/O R7/10, Raj Nagar, Ghaziabad, U.P-201002, Changed My Name To Harsh Baliyan. 0040535179-2

I Mohammad Afraz Ahmad S/O, Niyaz Ahmad R/o G-9/283, Sangam Vihar, South Delhi, Delhi-110062 have changed my name to Afraz Ahmad for all purposes. 0040535119-1

I Manoj Goel S/0-Pawan Kumar Goel H.No-159 1st-Floor Pkt-12 Sector-24 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Manoj Gupta. 0040535145-3

I Manmeet Singh Anand S/O, Amrik Kaur R/o 34 9 And 10 3rd Floor Mukherjee Park Tilak Nagar, New Delhi have changed my name to Manmeet Singh from Manmeet Singh Anand for all purposes via affidavit certificate no IN-DL34548547034074S. 0040535173-1

I Manisha Goel W/o Manoj Gupta H.No-159 1st-Floor Pkt-12 Sector-24 Rohini Delhi-110085, Changed My Name To Manisha Gupta. 0040535145-4

I Maimoona Khatoon Siddiqui Alias Maimoona Ahsan, D/O Late.Isshtiyaq Ahmed Siddiqui, W/O Ahsanul Haq, R/O-N-16, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, New Friends Colony, Delhi-110025,Have Changed My Name To Maimoona Ahsan,For All Purposes. 0040535186-7

I Hanuman Prasad Mot S/o Nasra Ram Mot R/o Flat No-1010, Regalia Heights, Shipra Suncity, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014, have changed my name to Hanuman Mal Mot. 0070702373-1

I Govind Yadav S/o Satbir Yadav R/o-H.no.57, Tibdi-Mohalla Dundahara Sector-20. Gurgaon, Haryana-122016 declare that name of my father has been wrongly-written as Satvir Yadav in my Driving-Licence no.DL-1120150315419. The actual name of my father is Satbir Yadav, which may be amended accordingly. 0040535168-5

I Chand Singh S/o Randhir Singh R/o-H.No.309 Sainik-Nagar Bahadurgarh Distt.Jhajjar Haryana,inform that my minor son name wrongly written as Jai Pervesh Suhag in my service(Army)record actual name of my minor son Jaiparvesh. 0040535145-10

I Babli Kumar D/o. Bhupal Singh, R/o. E-106, Alpha 1, Greater Noida, Rampur Jagir, Surajpur, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201306 have changed my name from Babli Kumar to Babli Rajput for all purposes. 0070702374-1

I Ashish Kumar Arora S/O Satpal Arora R/O-B-2/33 Phase-2 Ashok-Vihar N.Delhi-110052 Have Change My Name Ashish Arora 0040535137-8

I Arjanbir Singh Sodhi S/O, Ajay Bir Singh R/o #524, Sector 10-d Chandigarh have changed my name to Arjan Bir Singh Sodhi for all purposes. 0040535140-1

I MOHD ARIF S/O Tahir Husain R/O 346/168/33 National Colony Mehndiganj Lko Change My Name From Mohd Arif to Arif Husain For All Purposes. 0130015279-1

I Ahsanul Haq Hashmi Alias Ahsanul Haque Alias Ahsanul Haq, S/O Late.Izharul Haq, R/O-N-16, AbulFazal-Enclave, Jamia-Nagar, New Friends Colony, Delhi-110025, Have Changed My Name To Ahsanul Haq,For All Purposes. 0040535186-8

मैं, गायश्री महापात्रा पत्नी श्री नाबाकृष्ण महापात्रा (NABAKRISHNA MAHAPATRA) निवासिनी-ग्राम-कोठारसिंगी, पोस्ट- कोठारसिंगी, जिला- गंजाम, राज्य- ओडिशा, पिन-761008 ने जिला-न्यायालय, बेरहम, ओडिशा में दिनांक 20.12.2018 को शपथ पत्र देकर अपना नाम गायश्री महापात्रा (GAYATHRI MAHAPATRA) से बदलवाकर गायत्री महापात्रा (GAYATRI MAHAPATRA) करवा ली हूँ।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलगण अली मौहम्मद सैफी पुत्र श्री सकरूद्दीन व उसकी पत्नी वहीदा बेगम निवासीगण-21/410 झुग्गी, कल्याणपुरी, दिल्ली-110091 ने अपने पुत्र नूर मौहम्मद व उसकी पत्नी नाजरीन एवं पुत्र असरफ उर्फ अफसर व उसकी पत्नी निलोफर को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी सभी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। उनके किसी भी कार्य के लिए मेरे मुवक्किलगण व उनके परिवारजन जिम्मेदार नहीं होंगे।

राजेश शर्मा
अधिवक्ता
Chamber No.: G-216, 2nd Floor, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032

खोया+पाया

I, Ajay Kumar S/o Jay Ram R/o.Village-Bishesherpur, Post-Gauspur, Distt.-Ghazipur, U.P.-233227 have lost my original Migration Certificate of B.A., Roll No.600583, Enrolment No.D9620567, Passed in year-2000, Session-1997-2000, issued by University of Allahabad-U.P. Cantact at M:8860853354. 0040535168-6

I, Hitanshu Khullar S/o Parveen kr khullar R/o-EA-1/29 U.G - floor Inderpuri New Delhi. have lost my original certificate/marksheet class-10th (2008) Rollno-6162877 class-12th (2010) Rollno-6256327 CBSE-Delhi. 0040535168-9

I, Alok Kumar Sinha S/o Onkar Prasad Sinha do hereby inform that the original allotment letter of House No.70B MIG Flat Sector-93, Noida has lost some where and not traceable. Contact: 9304286094 0040535106-1

I, Milind Wankhande S/o Shyam LalWankhande R/o-D148/A G8 DCM-Colony Ibrahimpur-Extn. Delhi-110036, has lost my Original CBSE-Certificate 12th-Class Roll No.-9141375 Year-2019. 0040535168-8

I, Shalja Kumari D/o Kamlesh Kumar H.No.133, Gali-No.-2, Darshan-Vihar, Burari Delhi-110084. has lost my Original CBSE Certificate 12th-Class Roll No.9133255 Year-2015. 0040535168-7

It is notified for the information that my Original-Qualifying Examination-Certificate of Main-Secondary Examination of Year-2017 Roll.No.8251041 issued by CBSE has been actually lost.Gautam Dagar R/o-VPO Issapur New Delhi-110073 CONT.9711159446. 0040535200-5

Lost my original Sale-deed of Flat-E/3D, Belair Apartment, Main-Road, Ranchi,Document Number-1/368/15426. Finder please contact:Bimal Prasad, B-204, Alaknanda Apartment,GH-45, Sector-56, Gurgaon-122011.Mob-9650448434. 0040535186-10

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Shri Jai Singh, S/o Late Shri Mauthra Singh, R/o RZ-50B, Gali No. 4, Mohan Block, West Sagarpur, New Delhi-110046, has disowned his grandson Mr. Richy replendent Raj s/o Late Shri Rajender Kumar Saxena his wife, son and his mother Smt. Aysha Jyoli, w/o Late Shri Rajender Kumar Saxena and has revoked all relationship with them due to their bad behaviour and bad intensions. My client has debarred them all from their rights of inheritance i.e. Claims in any manner from his moveable and immoveable properties.

Mehar Chand Premi, Advocate
Ch. No 435, Distt. Court, Dwarka, ND-75

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अशोक कुमार सपुत्र श्री नत्थुराम और श्रीमती उषा और विमला धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार सभी निवासी 3681/12, कन्हैया नगर, त्रीनगर, दिल्ली के रहने वाले है और मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र प्रदीप को और उसकी धर्मपत्नी निशा जोकि अपनी मर्जी से दक्षिणपुरी, दिल्ली में लगभग 1 साल से अलग रह रहे है, उनके दुर्व्यवहार और घर मे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करने के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रहे हैं, और उनसे अपना सम्बन्ध, रिश्ता-नाता तोड़ रहे हैं जिससे भविष्य मे उनके द्वारा किया हुआ कार्य व लेन-देन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल व उसका परिवार उत्तरदायी नहीं होंगे।

KAMAL SINGH (ADVOCATE)
Ch.no.512, Distt. Court, Rohini, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public in large that my client SH. RAM KUMAR SHARMA S/O SH. J.P. SHARMA R/O O-67, KRISHAN VIHAR, N/W, DELHI-110086 has disowned, debarred and disinherited His son's namely Neeraj Kumar Sharma and Prince Sharma from all his movable and immovable properties due to their bad conduct and misbehave. My client severed all relations from them as they are no more in the control of my client. Anybody deals with them my client and his wife will not be responsible in any manner whatsoever in future.

PRATIMA SHARMA (ADVOCATE)
OFFICE AT F-144, GROUND FLOOR, DHARAM MARKET ROAD, KRISHAN VIHAR, DELHI-110086

PUBLIC NOTICE

I declare that my clients namely Mr. Kallu Ram S/o Tilwa Singh and Mrs. Shakuntala W/o Shri Kallu Ram both R/o N-17A/426, T-Huts, Pattharwala Bagh, J.J. Colony Wazirpur, Delhi-110052, wants to disown his/her son namely Mr. Kuldeep and his wife namely Mrs. Preeti from self acquired movable and immovable property for future all actions; & above said statements are true and correct in the best of my knowledge & belief.

Place: New Delhi
Date: 07.03.2020

Shama Rani (Advocate)
Enrolment No. D-843/1992

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)
Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST
PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, PREET VIHAR : AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, SHAKARPUR : PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

राज्यसभा चार बार स्थगित नहीं हुआ कामकाज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

राज्यसभा में खनन एवं दिवाला कानून से संबंधित दो अध्यादेशों से जुड़े विधेयकों को बुधवार को ही पारित कराने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण उच्च सदन की बैठक चार बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को कोरोना वायरस से प्रभावित देश ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी के प्रयासों पर अपना बयान देने को कहा।

जयशंकर के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर सुझाव दिए और उनसे स्पष्टीकरण पूछे। मंत्री द्वारा उनका जवाब दिए देने के बाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान(अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इसके बाद उन्होंने दो अध्यादेशों से संबंधित विधेयकों को पारित कराने की बाध्यता बताते हुए सदन से इन पर चर्चा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों पर 13 मार्च तक राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, इसलिए बुधवार को ही इन्हें पारित नहीं कराए जाने पर प्रशासनिक संकट पैदा हो जाएगा।

इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इन विधेयकों का जिक्र सदन की दोपहर बाद जारी संशोधित कार्यसूची में किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये विधेयक इतने जरूरी थे तो सरकार ने इन्हें मूल कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं किया।

राजीव मामले में दोषी नलिनी की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज

चेन्नई, 11 मार्च (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु मंत्रिमंडल के एक फैसले के आधार पर समय पूर्व रिहाई की मांग की गई थी।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के प्रभावी होने के लिए प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं लेकिन फिर भी माफी, सजा कम करने या रिहाई के लिए अधिकृत करने को राज्यपाल के दस्तखत अनिवार्य हैं।

भागलपुर : दो गुटों में संघर्ष और गोलीबारी

भागलपुर, 11 मार्च (जनसत्ता)।

मंगलवार रात भागलपुर हवाई अड्डे के नजदीक सच्चिदानंद नगर में दो गुटों के संघर्ष में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और तीन वाहन फूंक दिए गए। एसएसपी आशीष भारती सात गोलियां चलने की बात कहते हैं मगर वहां खाली खोखे बताते हैं कि गोलियां ज्यादा दागी गई है। एसएसपी के मुताबिक हालात काबू में है। आपसी रंजिश और विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया।

डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवकुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही ईश्वर खंडरे, सतीश झारकीहोली और सलीम अहमद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके साथ ही अजय सिंह को विधानसभा और एम नारायणस्वामी को विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाया गया है। पार्टी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहेंगे। डीके शिवकुमार ने दिनेश गुंडूराव का स्थान लिया है।

हरियाणा में विस्तार के लिए तैयार आप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

आम आदमी पार्टी जल्द ही हरियाणा में राष्ट्र निर्माण अभियान की शुरुआत करेगी। बुधवार को इस अभियान के तहत हरियाणा को चार क्षेत्रों में बांटकर एक विशेष टीम तैयार की गई है। यह टीम क्षेत्र में नए सदस्य बनाने और पार्टी के विस्तार का काम करेगी।

आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य सभा सांसद सुशील गुप्ता ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर चार टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही पार्टी मुख्य इकाइ, मुख्य प्रकोष्ठ व विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों की टीम घोषित करेगी। दक्षिण जोन हरियाणा का संयोजक आरएस राठी को बनाया गया है। इस टीम में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। संगठन मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, सचिव ब्रजेश सिंह व कोषाध्यक्ष हरेंद्र भाटी को बनाया गया है।

इस क्षेत्र में चार उपाध्यक्ष होंगे जिनमें ऋषि गोयल, राजुद्दीन, रंधीर चौहान व धर्मेंद्र शामिल हैं।

> –चार क्षेत्रों में हरियाणा को बांटकर लागू किया जाएगा अभियान
> –संगठन के पदाधिकारियों की आम आदमी पार्टी ने की घोषणा

इसी प्रकार डॉ. सारिका, वकील अशोक वर्मा, विनय यादव, मुकेश शर्मा, कौशल कुमार पार्टी प्रवक्ता होंगे। लीगल सेल संयोजक अशोक वर्मा और आप व्यापारी संगठन का संयोजक अमन गोयल को बनाया गया है।

डॉ. सुशील गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी नए सदस्यों बनाएगी। पार्टी दिल्ली में किए गए कार्यों और विकास के आधार पर दूसरे राज्यों में भी आप का विस्तार करेगी और इस राष्ट्र निर्माण अभियान को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएगी।

पार्टी ने एक नंबर भी जारी किया है। 9871010101 पर मिस कॉल कर पार्टी की सदस्यता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की तरह ही देश की जनता भी विकास करने वालों का ही साथ देने की तैयारी में है।

रिक्त स्थान

RAO RAM SINGH COLLEGE OF EDUCATION
Bhora Kalan, Gurugram, HR.

(REQUIRED following Teaching Staff for B.Ed. Course)
Perspectives in Education-01, Pedagogic Subjects - (Eng.1, Maths-1, Physical Science-1, Bio-Science-1, Eco-1, H. Science-1, Fine Arts / Performing Arts-1.
Education Qualification - As per qualification latest norms of M.D. University / Rohtak / State Govt. / NCTE.
Apply with in 21 days to Chairman of college and send one C.V. copy of Dean College Development Council M.D. University Rohtak.
Chairman - 9813585255

PUBLIC NOTICE

Know all men by these presents that our clients Jaspal Singh Bedi S/o Late Sh.Balbir Singh Bedi and Anita Bedi W/o Sh.Jaspal Singh Bedi both R/o H-294, F.F., H-Block, Vikaspuri, New Delhi-110018, do hereby disown and debar from all movable and immovable properties their son Rahul Bedi, His wife Pawan Talwar Bedi and all his children because they are out of control of my clients.
Anybody dealing with his/their shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibilities. Our clients will not be held responsible for any consequencies.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
S.R-II,B Campus,Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS SH. VED PRAKASH & HIS WIFE SMT. REENA BOTH R/O H. NO: 317, BANJARA GALI, HAIDERPUR VILLAGE, DELHI-110088, SEVERE ALL PERSONAL & SOCIAL RELATIONS & DEBAR THEIR DAUGHTER NEHA PAL W/O ATUL RATHORE FROM ALL THEIR MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTY(S) DUE TO HER MISCONDUCT, DISOBEDIENCE & BEING OUT OF CONTROL. MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR HER ANY ACTS / DEALINGS IN FUTURE. IF ANYBODY DEALS WITH HER, SHALL DO AT HIS OWN COST/RISK.

Sd/-
PANKAJ SHARMA (ADVOCATE)
CH. NO: 1108 ROHINI COURT, DELHI

सिंधिया इकलौते व्यक्ति थे जो कभी भी मेरे घर आ सकते थे : राहुल

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का समय नहीं देने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सिंधिया इकलौते व्यक्ति थे जो उनके घर कभी भी आ सकते थे।

दरअसल, संसद परिसर में गांधी से सवाल किया गया था कि क्या सिंधिया को सोनिया गांधी या आपसे (राहुल) मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'सिंधिया इकलौते शख्स हैं जो उनके घर कभी भी आ सकते थे क्योंकि वे मेरे साथ कॉलेज में थे।' गांधी ने बुधवार को ट्विटर पर अपना एक पुराना ट्वीट फिर से साझा किया जो उन्होंने दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के चयन के समय किया था।

इस ट्वीट में उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी और विचारक लियो टॉलस्टॉय के इस कथन को उद्घृत किया, 'धैर्य और समय दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं।' उधर, सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय से उनके नाम की नेमप्लेट हटा दी गई। करीब 18 वर्षों तक कांग्रेस में रहे सिंधिया बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने रविवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, 'ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग होते देखना दुखद है। काश चीजों को पार्टी के अंदर ही साथ मिलकर सुलझा लिया गया होता।'

पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका खारिज

श्रीनगर, 11 मार्च (भाषा)।

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें घाटी में प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और धीरज सिंह ठाकुर के खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'यह स्पष्ट है कि जब तक अनियंत्रित भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है, बल का इस्तेमाल अपरिहार्य होता है।'

www.readwhere.com

खारी बावली में प्याऊ तोड़ा, भाजपा नेताओं ने दर्ज कराई प्राथमिकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

खारी बावली इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने 9–10 मार्च को लगभग 150 साल पुराने प्याऊ को तोड़ दिया। इस वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय नागरिकों समेत भाजपा के नेताओं ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। जल प्याऊ, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की संपति है और इसका रखरखाव कटरा ईशवर भवन वेल्फेयर एसोसिएशन करता है।

मामले में स्थानीय व्यापारी एवं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि शहरी क्षेत्र के वार्ड 84 के सहायक अभियंता एवं कटरा ईश्वर भवन वेल्फेयर एसोसिएशन की तरफ से तीन प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। संबंधित अधिकारियों ने प्याऊ का निरिक्षण कर टूटे ढांचे को सुरक्षित किया है और पुनर्निर्माण के आदेश दिए हैं। इस मौके पर स्थानीय पार्षद रविंद्र कुमार, पूर्व पार्षद सुमन कुमार गुप्ता व भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर भी उपस्थित थे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

दिल्ली अंचल कार्यालय
15, एनबीसीसी टॉवर्स, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66
मुख्य कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005
दूरभाष : (011) 26164817/26197769 फैक्स : (011) 26171554, ई-मेल : legaldel@mahabank.co.in

इरादतन चूककर्ता

इरादतन चूककर्ता के फोटोग्राफ का प्रकाशन

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आरबीआई द्वारा निर्धारित एवं अनुबन्धित प्रक्रियाओं के अनुपालन के पश्चात आरबीआई तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया है। बैंक ने आरबीअई तथा क्रेडिट सूचना कम्पनियों को उपर्युक्त व्यक्तियों के इरादतन चूककर्ता के रूप में सूचित करते हुए उचित सम्प्रेषण भेजा है। एतद्वारा हम जनसामान्य के सूचनार्थ इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ प्रकाशित कर रहे हैं :

क्र. सं.	खाते का नाम	कर्जदार का नाम	क्र. सं.	खाते का नाम	कर्जदार का नाम
1.	a) मैसर्स सिमट्रोनिक्स सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड b) मैसर्स सम्मी इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा.लि.	भावना सभरवाल (डीआईएन नं. : 0211339); इन्द्रजीत सभरवाल (डीआईएन : 0211237); आमोघ सभरवाल (डीआईएन सं. : 1286632)	10.	शगुन एन्टरप्राइजेज	श्री राजीव राठी (प्रोपराइटर)
2.	मैसर्स आशीर्वाद चैन कं.	अमित सिंगला (प्रोपराइटर)	11.	पी.के. कंस्ट्रक्शन	श्री प्रदीप कुमार सिंह (प्रोपराइटर)
3.	a) मैसर्स आर.एच. क्लोदिंग (इण्डिया) b) मैसर्स रॉक हडसन क्लोदिंग (इण्डिया)	श्री नितिन कुमार अरोड़ा (प्रोपराइटर)	12.	a) मैसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्रा.लि. b)अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	श्री अनिल शर्मा (डीआईएन नं. 0103025); श्री शिव प्रिया (डीआईएन नं. 0219929)
4.	मैसर्स एस.एस. गणपति डायमण्ड एण्ड ज्वेल्स प्रा.लि.	श्री राम कुमार बंसल (डीआईएन : 2999157); श्री गौरव बंसल (डीआईएन : 2999165); श्री मायविश योगेश शाह (डीआईएन : 6849196)	13.	मैसर्स अल्ट्रा होम कॉंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	श्री अजय कुमार (डीआईएन नं. 0112253)
5.	a) मैसर्स शक्ति ज्वैलर्स b) मैसर्स एस.एस. गणपती डायमंड एंड ज्वेल्स प्रा.लि. c) मैसर्स बीलीयानेयर डायमंडस प्रा.लि. (मैसर्स शक्ति ज्वैर्ल्स के कॉर्पोरेट जामनती)	श्री शक्ति सोनी (डीआईएन नं. 3141019)	14.	मैसर्स उदित कंट्रैक्टर्स	श्री कैलाश चन्द्र जोशी; श्री तारा जोशी
6.	राठी ब्राइट इण्डस्ट्रीज	श्री ध्रुव राठी; श्रीमती मधु राठी	15.	मैसर्स एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि.	श्री दिनेश बहादुर सिंह (डीआईएन नं. 0290481); श्रीमती जया सिंह (डीआईएन नं. 0634957)
7.	भाई साहिब एण्ड सन्स	श्री अजय अरोड़ा	16.	मारुति केसरी नन्दन एग्रो फूड्स	श्री शेषन कुमार मंगला (प्रोपराइटर)
8.	(a)मैसर्स एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (b)मैसर्स एक्यूरेट ट्रांसफॉर्मर्स लि.	श्री छिद्दा लाल शर्मा (जमानती)	17.	मैसर्स आदित एन्टरप्राइजेज प्रा.लि.	श्री कपिल गुप्ता (डीआईएन नं. 3256105); श्री राज कुमार गुप्ता (डीआईएन नं. 3255993)
9.	मैसर्स एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी	श्री दीपक शर्मा (जमानती)	18.	मैसर्स ग्रिड इण्डिया पॉवर केबल्स प्रा.लि.	श्री राजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन : 1139133)

तिथि : 11.03.2020, स्थान : दिल्ली

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाप्रबन्धक एवं अंचल प्रबन्धक, दिल्ली क्षेत्र

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	25.6 डि.से.	27.4 डि.से.
न्यूनतम	14.8 डि.से.	14.8 डि.से.	14.7 डि.से.	14.6 डि.से.

कल होगा दिल्ली विस का विशेष सत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 13 मार्च को होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने सत्र को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) व राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरपी) पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोरोना विषाणु पर भी सत्र के दौरान चर्चा होगी। तो वहीं, आप नेता दिलीप कुमार पांडे को बुधवार को दिल्ली विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में एनआरसी को देशभर में लागू करने के प्रस्ताव, एनपीआर और कोरोना विषाणु की स्थिति पर चर्चा करेंगे। एनआरसी और एनपीआर को लेकर पहले ही दिल्ली में काफी बवाल मच चुका है। इस मामले में अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे। इसके माध्यम से बीते दिनों दिल्ली में बने हालात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के एक नेता एनआरसी कानून को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं। हालांकि पार्टी के मुखिया इस मामले में पहले ही दावा कर चुके हैं कि दोषी पाए जाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के नेता को दो गुना सजा दी जाए। जबकि एक अन्य नेता ने मामले में पार्टी की सोच से हटकर बयान दिया है।

कई दिनों से चल रही थी बजट सत्र की तैयारी

मंत्रिमंडल ने इस सरकार के पहले बजट सत्र को भी मंजूरी दी है। यह सत्र केवल तीन दिन के लिए बुलाया गया है। बजट सत्र मार्च के अंतिम हफ्ते तक चलेगा। इस सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए घोषित की गई योजनाओं के लिए विस्तृत खाका बजट में पेश करेगी। इस बजट की तैयारी दिल्ली सरकार में बीते कई दिनों से चल रही है। जहां पर विभिन्न विभागों के साथ उनकी योजनाओं और उनके वित्तीय प्रावधानों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इसी आधार पर दिल्ली का नया बजट तैयार किया गया है।

बिजली–पानी इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा है। 201 से 400 यूनिट वालों की राहत, महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, क्लस्टर बस सेवाओं का विस्तार जैसी योजनाएं शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि यदि मुफ्त बिजली के वार्षिक प्रावधानों को देखा जाए तो इसके लिए दिल्ली सरकार को कम से कम 2500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करना होगा। क्योंकि निजी वितरण कंपनिया व जल बोर्ड पहले भी कई बार अपने घाटे की दुहाई देते हुए दरों में बढ़ोतरी करने के संकेत दे चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले इन्हें मंजूरी नहीं दी है। बीते सालों में इस योजना का लाभ करीब 13.67 लाख परिवारों ने लिया है। बताया जा रहा है कि केवल बिजली–पानी और मेट्रो में मुफ्त यात्रा के लिए ही सरकार को 4000 करोड़ से अधिक का प्रावधान करना होगा।

इसी तरह महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर के लिए करीब 425 करोड़ और छात्रों व बुजुर्गों के मुफ्त पास के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की योजना पर सरकार को करीब 350 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह पहले कार्यकाल में कुछ मुख्य घोषणाओं को अपने लक्ष्य में रखेगी।

इस योजनाओं के लिए भी वित्त मंत्री को बजट के लिए पैसा जुटाना होगा। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों के लिए कच्ची कालोनियां अहम मुद्दा रही हैं। इसलिए कॉलोनियों के विस्तार के लिए शहरी विकास विभाग की तरफ से अधिक धनराशि की जरूरत होगी। इस बजट सत्र में इन बुनियादी सुविधाओं समेत कच्ची कॉलोनियों की विस्तार योजनाओं को प्रमुखता से बजट में शामिल करना ही वित्त मंत्री की बड़ी चुनौती होगी। बीते कार्यकाल में दिल्ली सरकार केवल 406 कॉलोनियों को पानी के नेटवर्क से जोड़ पाई थी। अब दिल्ली सरकार को बाकी बची हुई कॉलोनियों को इस नेटवर्क से जोड़ना होगा।

किसानों के मुद्दों को राज्यसभा में रखे जाने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 मार्च।

उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) इन दिनों कड़ी मेहनत में लगी हुई है। बुधवार को 'आप' गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात कर नोएडा के किसानों के प्रमुख मुद्दों को राज्यसभा में रखे जाने की मांग की। आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि व प्राधिकरण अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और शासन को किसानों के प्रति गुमराह करने का काम करते रहे हैं। किसानों के चार सूत्रीय मांग पत्र को भी सौंपा।

जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने बताया कि नोएडा के 81 गांवों के किसान गत 10 जनवरी 2020 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 11 किसानों को पुलिस ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया था। पूर्व में भी इन्हीं मांगों को लेकर 40 साल से धरना प्रदर्शन होते आए हैं। ऐसा एक प्रमुख धरना 12 फरवरी से एक मार्च 2019 तक चला था। तब सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ने मांगें मान ली गई हैं कहकर, धरना समाप्त कराया था।

खबरों में शहर

कंपनी के शौचालय में मिला युवक का शव

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 मार्च।

सेक्टर–2 स्थित एक कंपनी में बुधवार सुबह एक 23 साल के युवक का शव शौचालय में मिला। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर–20 पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान ओमनाथ के रूप में हुई है। पुलिस ने अत्याधिक शराब पीने के कारण युवक की मौत होने की आशंका जताई है। मृतक कंपनी में रहकर उनकी देखभाल भी करता था। सेक्टर–2 स्थित कंपनी में ओमनाथ (23) रहता था। वह मूलरूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था। उसने होली के त्योहार पर ज्यादा शराब पी थी। उसके पिता धर्मराज ने पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह जब वे पहुंचे, तो ओमनाथ कंपनी में नहीं था। उसे तलाश करते हुए जब वे शौचालय के पास पहुंचे, तो वह मृत पड़ा दिखा। पिता ने पुलिस को बताया कि वह शराब का अधिक सेवन करता था।

खौलते तेल की कड़ाही में गिरा बच्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

जन्मदिन की पार्टी के दौरान नरेला में छह दिन का बच्चा रिश्तेदार के हाथ से खौलते तेल की कड़ाही में गिर गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह महज एक घटना थी या इसे साजिशन अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां की एक फैक्टरी में काम करने वाले शंकर अपनी पत्नी सुनीता व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नरेला के सेक्टर–पांच में रहते हैं। सुनीता ने बेटे को जन्म दिया था। ऐसे में उसके छह दिन के होने पर रात को घर पर छठी पूजन किया जा रहा था जिसमें रिश्तेदार सहित कई लोग शामिल हुए। घर में ही बड़े चूल्हे पर कड़ाही में भोजन तैयार किया जा रहा था। रात 12 बजे बच्चा अपने चाचा मंटू की गोद में था। इसी दौरान बाहर से शराब के नशे में धुत कुछ रिश्तेदार आए और बच्चे को गोद में लेने की जिद करने लगे। एक युवक ने मंटू के हाथ से बच्चा ले लिया लेकिन बच्चा उसके हाथ से छूटकर खौलते तेल में गिर गया। इसके बाद मंटू और एक अन्य रिश्तेदार ने खौलते तेल वाली कड़ाही में हाथ डालकर बच्चे को निकालकर उसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल के लिए भेज दिया गया।

सड़क हादसे में युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

होली के दिन सिविल लाइंस में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक होली की सुबह पानीपत हरियाणा में रहने वाले सोनू श्रीवास्तव अपने साथी सुमित के साथ दिल्ली के बदरपुर में रिश्तेदार के यहां होली खेलने आ रहे थे। दोनों मोटरसाइकिल पर थे। सुमित मोटरसाइकिल चला रहे थे। सोनीपत में दोनों ने शराब पी। सुमित तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहे थे तभी बाबा नील करोली मंदिर के पास मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। दोनों गंभीर हालत में घायल हो गए। ट्रॉमा सेंटर में रात नौ बजे के करीब सुमित को डॉक्टरो ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस पर हमला करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित पुलिस अधिकारी ने गोविंदपुरी के निवासी दीपक (28) को चोरी के एक मामले में पकड़ा था।

दक्षिणी–पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि शनिवार को गोविदपुरी पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) फैयाज अहमद नेहरू कैंप स्थित सी ब्लाक में दीपक को गिरफ्तार करने गए। जब एएसआइ ने दीपक को पकड़ लिया तब आरोपी ने उनके सिर पर हमला किया। घायल पुलिस अधिकारी को एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

भारी संख्या में काटे गए चालान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

हुड़दंगियों पर लगाम लगाने की अपनी कवायद के मुद्देनजर होली पर भी दिल्ली पुलिस की सख्ती बरकरार रही। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जहां 647 चालान काटे गए। वहीं, बिना हेल्मेट के वाहन चलाने वाले 1192 पर जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को दिन भर जारी इस अभियान में दोपहिया पर तीन लोगों को बैठाकर गाड़ी चलाने के मामले में भी 181 लोगों के चालान काटे गए, जबकि 156 लोगों के चालान खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए काटे गए।

पुलिस ने शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित होली सुनिश्चित करने के लिए 170 से ज्यादा यातायात पिकेट बनाए थे। इसके अलावा जिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। करीब 1600 पुलिक वाले केवल दिल्ली यातायात पुलिस ने तैनात किए थे।

होली पर शिक्षक समेत तीन की हत्या

तीन अलग–अलग जगहों के हैं मामले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

होली पर मंगलवार को अलग–अलग जगहों पर तीन हत्याएं की गईं। गाजीपुर में एक शिक्षक की लाठी डंडे से पीट–पीटकर हत्या, वजीरपुर और न्यू उस्मानपुर में पैसे के लेन देन के कारण आपसी झगड़े में दो लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है।

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में एक दंपति पर एक शिक्षक की पीट–पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है। 30 साल का राजकुमार पश्चिम विनोद नगर में रहता था। आरोप है कि उसके पास महिला की कुछ आपत्तिजनक रिकार्डिंग थी जिससे वह महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राजकुमार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता था। वह महिला को ट्यूशन पढ़ाने घर जाता था। इसी कारण दोनों में बातचीत थी। महिला के पति सचिन को राजकुमार की यह

गाजीपुर और न्यू उस्मानपुर मामले के आरोपी गिरफ्तार, तो वहीं, वजीरपुर मामले के आरोपी की तलाश जारी

आदत अच्छी नहीं लगती थी। सोमवार देर रात महिला ने फोन करके राजकुमार को बुलाया। जब राजकुमार उसके घर पहुंचा तो सचिन और उसका दोस्त विजय पहले से ही मौजूद थे। सभी ने मिलकर राजकुमार को लाठी–डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बाद में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पूर्वी दिल्ली के जिला उपायुक्त जसमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक महिला सहित सचिन और विनय को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, न्यू उस्मानपुर में 35 साल के किरणपाल नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किरण परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर में रहता था। किरण घर के पास ही फलों की रेहड़ी लगाता था। उसका भाई मिथुन भी फलों की रेहड़ी लगाता था। दोनों मौसेरे भाई होने के अलावा अच्छे दोस्त भी थे। आरोप है कि कुछ दिनों पहले दोनों ने साथ मिलकर इलाके में एक कमेटी में पैसे डाले थे। किरण को मिथुन से साढ़े तीन लाख रुपए लेने थे। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद था। होली के दिन मंगलवार को किरणपाल अपने साथी जय सिंह के साथ चौथे पुश्ते पर होली मना रहा था। इस बीच दोपहर करीब तीन बजे वहां मिथुन भी पहुंच गया। दोनों के बीच रुपयों को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान मिथुन ने पिस्तौल निकालकर किरण पर गोली चला दी। गोली उसके सिर के आर पार होने के बाद जयसिंह को भी लग गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किरण व जयसिंह को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां किरण को मृत घोषित कर दिया गया, जयसिंह का इलाज जारी है। उपायुक्त जयसूर्या के मुताबिक पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं, वजीरपुर की झुग्गियों में सट्टे के पांच हजार रुपए के लेन–देन में नीरज उर्फ मिनी (27) नामक युवक की हत्या कर दी गई। वह परिवार के साथ आजादपुर के हरमंदिर इलाके में रहता था। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है।

पुलिस ने जनता का जताया आभार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

दिल्ली पुलिस ने होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग करने के लिए बुधवार को नगरवासियों का आभार जताया और कहा कि इस बार होली पर उनके पास आने वाले फोन कॉल 2019 की तुलना में लगभग आधे रहे। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा– दिल्ली की सड़कों पर होली के दौरान दिल्ली पुलिस की व्यापक मौजूदगी रही। यह पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। पुलिस ने ट्वीट में कहा कि पीसीआर में आने वाली कॉल घटकर 8,667 रह गईं जो पिछले साल 18,798 थीं।

मिठाई के डिब्बे देकर की हौंसला अफजाई

दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव होली के दिन सुबह से शाम तक दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके सहित अन्य इलाके में घूमते रहे। आयुक्त ने होली पर हिंसा ग्रस्त ही नहीं बल्कि ड्यूटी निभा रहे

अपने कर्मियों को भी मिठाई के डिब्बे देकर हौंसला अफजाई की। आयुक्त ने सबसे पहले उत्तर–पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाके में अमन कमेटी के सदस्यों के साथ इलाके का भ्रमण किया। आयुक्त ने शांति बहाली में उनकी भूमिका की सराहना की और उन्हें मिठाइयों का डिब्बा भेंट किया। दक्षिणी और उत्तरी परिसर में ड्यूटी कर रही महिला पुलिस कर्मियों के साथ वे कमांड रूम में गए। उनके साथ विभागीय आला अधिकारी और पुलिस मित्र मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान अपने कर्मियों को भी मिठाई का डिब्बा देकर होली की शुभकामनाएं दी।

'कोरोना से संक्रमित 80 फीसद मरीजों को किसी तरह के उपचार की जरूरत नहीं'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 मार्च।

कोरोना विषाणु को लेकर तरह–तरह की चर्चाओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को पल्मोनोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. राजेश गुप्ता ने कोरोना विषाणु के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके मुताबिक इस विषाणु का नया नाम कोविड–19 है, जिसकी पहचान चीन के वुहान में दिसंबर 2019 में अज्ञात कारणों से फैलने वाले निमोनिया के दौरान की गई थी। तब से यह विषाणु भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। अभी तक 90 हजार से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 3200 से ज्यादा की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि मास्क केवल स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड–19 संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों व उनके परिजनों और उनकी देखभाल करने वाले करीबियों को ही लगाना चाहिए।

176 लोग निगरानी में, 45 के नमूनों की रिपोर्ट आनी बाकी

कोरोना वायरस को लेकर गौतमबुद्धनगर का स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अभी तक 463 संदिग्ध लक्षण वाले लोगों को चिह्नित किया जा चुका है। इसमें 176 निगरानी में हैं। अब तक कुल 147 लोगों के नमूने लिए गए, जिनको एनसीडीसी भेजा गया है। इसमें से 102 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 45 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उधर, बाजारों में किटाणु मुक्त जैल व मास्क को लेकर होड़ मची हुई है। ब्रांडेड कंपनियों के किटाणु मुक्त जैल बाजारों से गायब हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद प्रिंट भाव पर ही लोगों को किटाणु मुक्त जैल बेचे जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर हर रोज सैंकड़ों की संख्या में फोन आ रहे हैं। उन लोगों को समझाया जा रहा हैं कि जिसको वे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं, वह सामान्य फ्लू है। ऐसे में संदिग्ध मिलने पर ही लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ ही उनके पिछले कुछ दिनों की दिनचर्या (हस्ट्री) के बारे में पूछा जा रहा है। ताकि यदि वे किसी के संपर्क में आए हैं तो उसकी भी जांच की जा सके।

उन्होंने बताया कि कोविड–19 की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनसे निमोनिया के हल्के से लेकर गंभीर किस्म के लक्षण शामिल हैं और उपचार के लिए गहन चिकित्सा देखभाल जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना विषाणु से संक्रमित करीब 80 फीसद मरीजों को किसी किस्म के उपचार की जरूरत नहीं होती और वे तत्काल स्वस्थ भी हो जाते हैं। लेकिन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीओपीडी व कैंसर से प्रभावित बुजुर्गों में इस वजह से गंभीर रोग पैदा होने की आशंका रहती है। ऐसे करीब 25 फीसद मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है। कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या बोलता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली छींटों के जरिए करीब तीन फुट के दायरे में कोरोना विषाणु फैलता है।

तापमान बढ़ने के साथ ओखला व धनौरी से प्रवासी पक्षियों का पलायन शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 मार्च।

गर्मी की शुरुआत होने के साथ गौतमबुद्धनगर के दो प्रमुख पक्षी विहार ओखला और धनौरी से प्रवासी पक्षियों का पलायन शुरू हो गया है। यहां अधिकांश प्रवास करने वाले पक्षी साइबेरियन क्षेत्र से आते हैं। खास बात यह है कि इस बार धनौरी वेटलैंड में सर्वाधिक 50 हजार की संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे। वहीं, ओखला पक्षी विहार में मार्च की शुरुआत तक मौजूद रहे करीब 20 हजार प्रवासी पक्षियों का जाना निरंतर जारी है। जिला वनाधिकारी पीके श्रीवास्तव के मुताबिक धनौरी वेटलैंड में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचे। वहीं, ओखला में भी पक्षियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। आगामी सर्दी में यहां पक्षियों की संख्या कई गुना अधिक होने की उम्मीद है। तब तक ओखला पक्षी विहार में काफी विकास कार्य पूरे हो जाएंगे।

धनौरी वेटलैंड में पहुंचे करीब 50 हजार प्रवासी पक्षी

ओखला पक्षी विहार में मार्च की शुरुआत में पक्षियों की संख्या पहुंची करीब 20 हजार

2019 में ओखला पक्षी विहार और धनौरी में नवंबर आखिर तक ही पक्षी आ गए थे। धनौरी वेटलैंड में 62 प्रजाति के करीब 50 हजार से अधिक पक्षी इस बार देखे गए। जबकि वहीं, ओखला पक्षी विहार में 28 प्रजाति के करीब 10 हजार पक्षी प्रवास कर रहे हैं। करीब चार किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले ओखला पक्षी विहार जलीय पक्षियों की पसंदीदा जगह है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण और ओखला बैराज के निर्माण के बाद पक्षियों को खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। तापमान बढ़ने के कारण प्रवासी पक्षियों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ओखला पक्षी विहार को संवारने के लिए एक करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाने हैं। जिसके लिए उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल यहां नाव, बैंच, मुख्य द्वार बनाने का काम किया जा रहा है। आगामी महीनों में अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। ओखला पक्षी विहार में नॉर्दन शॉवलर, कामन टील, यूरेशियन कूट, गडवाल, नॉर्दन पिंटल, ग्रेलेग गूज, यूरेशियन स्पूनबिल, माइग्रेटरी वाटर बर्ड, रैप्टर्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो, विस्कर्ड टर्न, कॉमन किंग फिशर, वागटेल्स, मार्श हैरियर, ब्लू टेल्ड बी इटर, लार्ज इग्रेट जैसे विदेशी पक्षी प्रवास करने पहुंचे। वहीं, धनौरी में ब्लू थ्रोट, लेक टेल्ड, यूरेशियन वुड्स, पिंक टेल्स, कॉमन टील्स, रेड मुनिया, परपल स्वेमफेन, लेसर विस्लिंग डक, वुली स्टार्क व सारस क्रेन की गूंज सुनाई दी।

बेकसूर लोगों को थाने बुलाकर परेशान न करे पुलिस : गोपाल राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च

बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री व प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस मामले में परेशान नहीं किया जाएगा। गोपाल राय ने बुधवार को संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार व उत्तर पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश सूर्या से मुलाकात की।

गोपाल राय ने कहा कि बेकसूर लोगों को पूछताछ के नाम पर थाने बुला कर परेशान नहीं किया जाए। उपायुक्त ने कानून के दायरे में न्याय संगत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के इलाकों में हुए हिंसक दंगों की जांच पुलिस कर रही है। संबंधित इलाकों में जगह–जगह से शिकायत आ रही थी कि कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, जो इस पूरे दंगे में शामिल नहीं थे। उन्होंने बताया कि पुलिस को

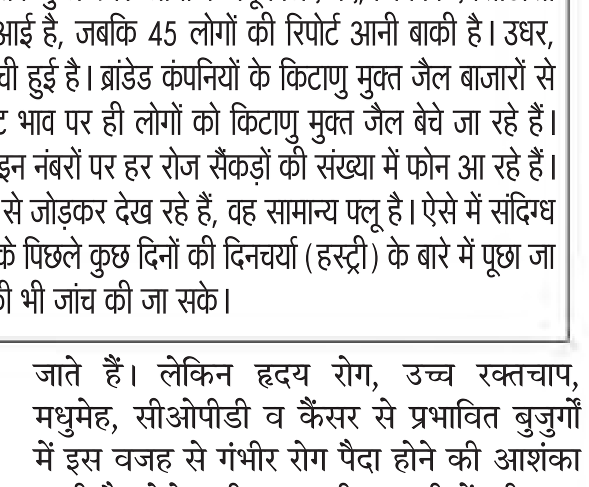

बैठक में कहा गया कि कार्रवाई के दौरान ऐहतियात बरती जाए। जिसके खिलाफ सबूत हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और एफआइआर भी दर्ज की जाए।

बीती फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए थे। इस हिंसक दंगे में करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौतें हो गई। दंगे में बेघर हुए लोग घर छोड़ कर दिल्ली सरकार के राहत शिविरों और अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहां रह रहे हैं।

www.readwhere.com

दिल्ली में कांग्रेस ने खेला युवा कार्ड, अनिल चौधरी अध्यक्ष बनाए गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाने के बाद कांग्रेस ने आखिरकार सूबे में नौजवान अनिल चौधरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ पांच उपाध्यक्षों की एक टीम का भी एलान किया गया है जिनमें ज्यादातर युवा हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही अभिषेक दत्त, जयकिशन, मुदित अग्रवाल, अली हसन और शिवानी चोपड़ा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सुभाष चोपड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह शक्ति सिंह गोहिल को बिहार का प्रभार दिया गया है।

युवाओं को आगे करने का फैसला

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल, पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली हसन और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की पुत्री शिवानी चोपड़ा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सभी उपाध्यक्षों में जयकिशन को छोड़ कर बाकी सभी युवा हैं।

अनिल चौधरी दो बार पटपड़गंज से विधायक रहे हैं। वे दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दूसरी ओर उपाध्यक्ष बनाए गए अभिषेक दत्त मौजूदा समय में पार्षद हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में वे कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़े थे। इसी प्रकार वरिष्ठ दलित नेता व पूर्व विधायक जयकिशन को भी उपाध्यक्ष बना कर पार्टी ने मजबूत पहल की है जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल, पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली हसन और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की पुत्री शिवानी चोपड़ा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सभी उपाध्यक्षों में जयकिशन को छोड़ कर बाकी सभी युवा हैं।

दिल्ली हिंसा : हत्या के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान एक मिठाई दुकानदार की हत्या के मामले में बुधवार को 27 वर्षीय एक युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दुकानदार का क्षत-विक्षत शव गोकुलपुरी से बरामद हुआ था।

कड़कड़डूमा अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद शाहनवाज को 24 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। उसकी दो दिन की पुलिस हिरासत अवधि बुधवार को समाप्त होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था।

पीड़ित दिलबर नेगी (22) को कथित रूप से टुकड़े-टुकड़े करने के बाद भीड़ ने उसके शव को जला दिया था। पुलिस के अनुसार, 24 फरवरी को शिव विहार के पास हुई हिंसा के दौरान आरोपी और कई अन्य ने पथराव किया, लूटपाट की और दुकानें जलाईं। अन्य दंगाइयों के साथ मिलकर आरोपी ने एक किताब की दुकान और एक मिठाई दुकान के गोदाम को आग लगा दी।

नक्सलियों से संबंध के संदेह में महिला हिरासत में

कोयंबटूर, 11 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक में नक्सलियों के साथ संबंध होने के संदेह में बुधवार को एक महिला को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर क्यू शाखा पुलिस अनैकत्ति बस अड्डे के पास तैनात हुई जहां कर्नाटक के चिकमंगलूर की रहने वाली श्रीमती ने शहर के लिए बस ली। इसके बाद उन्होंने एक जीप से बस का पीछा किया और एक जांच चौकी के समीप श्रीमती और एक अन्य महिला को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है।

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई-नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6, 8, 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तिया जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **30.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स रंजीत प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 4316/192, 1 और 2, चौथा तल, सैनी मार्केट, बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 और गारंटर - श्रीमती अलका निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली -110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092, श्री सतीश कुमार निगम, सी-191, तृतीय तल, आनंद विहार, नई दिल्ली-110092 श्री आशीष निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092, श्रीमती कशिश निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय, गगन विहार, दिल्ली-110092 (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी 2, द्वितीय तल, मानक विहार, कड़कड़डूमा, पूर्व, दिल्ली -110092 श्रीमती पूजा मलिक पत्नी श्री सुमित मलिक पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम, (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी के-31/1, जी.एफ. मॉडल टॉउन - 3, दिल्ली-110009 श्रीमती अलका निगम पत्नी स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092 श्री आशीष निगम पुत्र स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली -110092	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड मकान नं. 1917, वार्ड नं. 3, कुचाँ कलाँ, खाड़ी बावली, दिल्ली- 110006 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री रंजीत कुमार निगम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निगम के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - गली, पश्चिम में - सम्पत्ति नं. 1916, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - रोड	27-12-2017 रु. 4,13,48,253.99 (दिनांक 29.04.2017 तक ब्याज सहित) + अनापेक्षित ब्याज + अन्य खर्चे एवं प्रभार इत्यादि	₹ 72.00 लाख ₹ 7.20 लाख ₹ 0.50 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
2	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	उधारकर्ता/गारंटर मैसर्स विपुल एंटरप्राइजेज श्री सुनील कुमार अरोड़ा, गारंटर श्री विपुल अरोड़ा, गारंटर और पार्टनर श्री वरुण अरोड़ा, गारंटर श्रीमती वंदना अरोड़ा, गारंटर श्री राम लाल खेतान -गारंटर और पार्टनर मैसर्स स्वेटेक्स एक्सेल प्रा. लि. गारंटर श्री नीतीश खेतान गारंटर और पार्टनर श्री संजय शर्मा गारंटर और पार्टनर श्री मदन गोपाल अग्रवाल गारंटर और पार्टनर	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन जिसका खसरा नं. 446/9/3 और के एच नं. 159/4/3 जोकि गाँव खेड़ी, काला एएमबी, तहसील - नाहान, जिला सिरमौर (एच.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज़ के नाम पर है। क्षेत्रफल 40.8 बीगा, चौहद्दी : उत्तर में - खुली भूमि, दक्षिण में - रोड, पूरब में - मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री, पश्चिम में - खुली भूमि इच्छुक बोलीदाता को प्लांट एवं मशीनरी और भूमि एवं भवन हेतु समेकित रूप से/एक साथ बोली देनी होगी।	03.03.2017 Rs. 6,80,95,298.18 + interest from 01.03.2017 + other expenses etc till date.	फैक्ट्री भूमि एवं भवन रु. 3,00,00,000/- प्लांट एवं मशीनरी रु. 70,00,000/- + जीएसटी लागू कुल रु. 3,70,00,000/- + जीएसटी लागू पी एण्ड एम पर ₹ 37,00,000/- ₹ 1,00,000/-	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
3	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	उधारकर्ता/गारंटर मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री श्री सुनील कुमार अरोड़ा (प्रोपराइटर) एवं गारंटर श्री विपुल अरोड़ा - गारंटर श्री वरुण अरोरा - गारंटर श्रीमती वंदना अरोड़ा - गारंटर मैसर्स स्वेटेक्स पैकेजिंग प्रा. लि.-गारंटर मैसर्स स्वेटेक्स एक्सेल प्रा. लि.-गारंटर	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन जिसका खसरा नं. 10/3, खाता खतौनी नं. 187मिन/202 मिन (ओल्ड नं. 155/166 मिन) जोकि मौज़ाखेड़ी, हदबस्त नं. 137, गाँव खेड़ी, काला एएमबी, तहसील - नाहान, जिला सिरमौर (एच.पी.) यह सम्पत्ति स्वेटेक्स पैकेजिंग इंडस्ट्री में स्थित, क्षेत्रफल 8 बीगा और 13 बिस्वा, सम्पत्ति चौहद्दी : उत्तर में - खुली भूमि, दक्षिण में - रोड, पूरब में - मैसर्स एस.जी. इंजीनियर्स, पश्चिम में - मैसर्स विपुल इंटरप्राईजेज़ इच्छुक बोलीदाता को प्लांट एवं मशीनरी और भूमि एवं भवन हेतु समेकित रूप से/एक साथ बोली देनी होगी।	03.03.2017 Rs. 3,99,81,628.25 + interest from 01.03.2017 + other expenses etc. till date.	फैक्ट्री भूमि एवं भवन रु. 1,33,00,000/- प्लांट एवं मशीनरी रु. 10,00,000/- + जीएसटी लागू कुल रु. 1,43,00,000/- + जीएसटी लागू पी एण्ड एम पर ₹ 14,30,000/- ₹ 1,00,000/-	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
4	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स कंसल मेडिकोस	बेसमेंट सम्पत्ति नं. 274, खसरा नं. 189/150/1,189/150/1/1, 189/150/3 गाँव गढ़ी, झारिया मारिया, संत नगर, नई दिल्ली - 110065 में स्थित (सनातन धर्म मन्दिर के पास) यह सम्वत्ति श्रीमती ममता कंसल के नाम पर है।	15.10.2014 रु. 1,55,22,587/- प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	₹ 10.40 लाख ₹ 1.04 लाख ₹ 0.10 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	110911999999 BKDN0711109 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री राहुल प्रताप मो. 9152941109
5	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसीज़ लि. (सीआईएन U65921MN2002PLC008241) कर्जदार/ गारंटर: 1. श्री कीशिंग जेम्स लालरंगबावल 2. सुश्री लाल रेमसीम 3. श्री राम लाल केशरी 4. श्री कीशिंग आशांग विवियन 5. श्री एबेल डार्कहुई हमार	अचल फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. सी-596, सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत / टैरेस अधिकार के, साथ में 20% अविभाजित, प्लॉट भूमि अविभाज्य और लागू स्वामित्व अधिकार के साथ (क्षेत्रफल 324 वर्ग मी.) विकासपुरी, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति कम्पनी मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसीज़ लि. के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - 24 मी. चौडी रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. 589 और 590, पूरब में - प्लॉट नं. 595, पश्चिम में - प्लॉट नं. 597	19-12-2016 रु. 25,25,65,212.00 दिनांक 18-12-2016 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	₹ 246.00 लाख ₹ 24.60 लाख ₹ 1.00 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	Account no. and IFSC code 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
6	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसीज़ लि. (सीआईएन U65921MN2002PLC008241) कर्जदार/ गारंटर: 1. श्री कीशिंग जेम्स लालरंगबावल 2. सुश्री लाल रेमसीम 3. श्री राम लाल केशरी 4. श्री कीशिंग आशांग विवियन 5. श्री एबेल डार्कहुई हमार	अचल फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. सी-596, सम्पूर्ण द्वितीय तल, बिना छत / टैरेस अधिकार के, साथ में 20% अविभाजित, प्लॉट भूमि अविभाज्य और लागू स्वामित्व अधिकार के साथ (क्षेत्रफल 324 वर्ग मी.) विकासपुरी, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति कम्पनी मैसर्स नॉर्थ ईस्ट रीज़न फिनसर्विसीज़ लि. के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - 24 मी. चौडी रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. 589 और 590, पूरब में - प्लॉट नं. 595, पश्चिम में - प्लॉट नं. 597	19-12-2016 रु. 25,25,65,212.00 दिनांक 18-12-2016 से प्लस ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	₹ 226.00 लाख ₹ 22.60 लाख ₹ 1.00 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	Account no. and IFSC code 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
7	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	1. मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज प्रा. लि., 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली - 110055 2. मो. सईद, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली-110055 3. मो. सलीम, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली-110055 4. मो. नईम, 11027-ए, मोतिया खान, दिल्ली-110055	साम्यिक बंधक सम्पत्ति जोकि खाता नं. 119, खसरा नं. 2692, क्षेत्रफल **1-18-0 Pukhta of part of ¼ measuring 0-4-10 Pukhta lagni about 63 paise** गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खसरा नं. 2695 क्षेत्रफल 0.240 एचए (19 बिस्वा पुख्ता) खसरा नं. 2698 (के) क्षेत्रफल 0.215 एचए या (17 बिस्वा पुख्ता) कुल नं. 2 खसरा 01 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 438, खसरा नं. 2697, क्षेत्रफल 0-19-0 पुख्ता (0.240 एचए) बिस्वा पुख्ता गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 1127, खसरा नं. 2698 (केएच.) क्षेत्रफल 1-1-0 पुख्ता क्षेत्रफल 0-10-10 पुख्ता का ½ भाग और खसरा नं. 2699 क्षेत्रफल 0-6-0 पुख्ता, क्षेत्रफल 0-3-0 पुख्ता का ½ भाग, कुल भूमि क्षेत्रफल 2 खसरा क्षेत्रफल 0-13-10 पुख्ता **about Lagani 5.40Ps** गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। खाता नं. 1127, खसरा नं. 2698 (के एच) क्षेत्रफल 0.266 एचए (1 बीघा 1 बिस्वा पुख्ता) क्षेत्रफल 0.133 एचए का ½ भाग (10 बिस्वा 10 बिस्वांसी पुख्ता) और खसरा नं. 2699 क्षेत्रफल 0.076 एचए या (6 बिस्वा पुख्ता), क्षेत्रफल 0.038 एच ए का ½ भाग (3 बिस्वा पुख्ता) कुल क्षेत्रफल 13 बिस्वा 10 बिस्वासी पुख्ता गाँव डासना, परगना डासना, एनएच 24 भूर गढ़ी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, कुल भूमि क्षेत्रफल 13072 वर्ग गज, यह सभी सम्पत्ति मैसर्स मॉर्डन ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है।	18-01-2019 बकाया राशि ₹ 12,96,85,820.00 (रु. बारह करोड छियान्वे लाख पिच्चासी हजार आठ सौ बीस मात्र) दिनांक 29-07-2016 तक (एनपीए की तिथि) प्लस (दिनांक 01.07.2016 से) अनपेक्षित ब्याज संविदात्मक दर पर ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी	₹ 330.00 लाख ₹ 33.00 लाख ₹ 0.50 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
8	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः (1) 1818, नया बाजार, दिल्ली-110006, एन.एम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय : (1) 1818, नया बाजार, दिल्ली-110006, एन.एम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 115, वर्धमान सिटी 2 प्लाजा, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, सुश्री सुविधा जैन पुत्री स्वं. श्री रजनीश जैन (एलआर स्वं. श्री रजनीश जैन, आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद- (उ.प्र.) 201002, श्री रजनीश जैन एचयूएफ, आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) - 201002, मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2-ए /17, नेहरू नगर, गाजियाबाद (यू.पी.)-201001, मैसर्स ओनेक्स बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालयः 1818, नया बाजार, दिल्ली-110006, सुश्री श्रेया जैन पुत्री स्वं. श्री रजनीश जैन (एलआर स्वं. श्री रजनीश जैन, आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) -201002 श्री मनीष जैन एचयूएफ, आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.)-201002, मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 108-110, वर्धमान सिटी 2 प्लाजा, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री मनीष जैन, आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद - 201002, एन.एम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., हाउस नं.1889 और नया नं। 33957-58, लाहौरी गेट, दिल्ली, मैसर्स एन एम एग्रो प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 1818, नया बाजार, दिल्ली-110006, मैसर्स एन एम एग्रो प्रा. लि., जिसका पंजीकृत कार्यालयः7, नसरत पुरा, मनोहर टॉकीज के पीछे, गाजियाबाद, मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 512-513-514, गाँव छिजारसी, कुलिच नगर, पिलखुवा, हापुड़, गाजियाबाद -245101 (यू.पी.), श्रीमती कमला जैन पत्नी स्वं. श्री मोहन लाल जैन, (स्वं. श्री मोहन लाल जैन के कानूनी वारिस) आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) -201002, श्रीमती मोना जैन पुत्र स्वं. श्री मोहन लाल जैन (स्वं. श्री मोहन लाल जैन के कानूनी वारिस) आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) -201002, श्रीमती संगीता जैन पत्नी स्वं. श्री रजनीश जैन (स्वयं भी स्वं. श्री रजनीश जैन के एल.आर. और अभिभावक के रूप में नाबालिग एलआर के अगले मित्र के रूप में मास्टर श्रेनिक जैन), आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) -201002, श्री मनीष जैन पुत्र स्वं. श्री मोहन लाल जैन, (स्वं. श्री मोहन लाल जैन के कानूनी वारिस) आर-4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी.) -201002,	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि औद्योगिक प्लॉट / सम्पत्ति नं. ई-109, क्षेत्रफल 1600 वर्ग गज, साईट-1, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मोहन लाल जैन के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - 60फीट रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. ई-108, पूरब में - प्लॉट नं. ई-110, दक्षिण में - नाला	14.08.2018 रु. 66,90,33,784.00 दिनांक 14.08.2018 तक (दिनांक 31.07.2018 तक ब्याज की गणना) प्लस दिनांक 01.08.2018 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि,	₹ 328.00 लाख ₹ 32.80 लाख ₹ 1.00 लाख	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482
9	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स वैद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोपराइटरः श्री शिव शरण वैद गारंटरः 1. श्री समीर वैद, 2. श्री रोहित दुआ	फ्री होल्ड सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति 5जी-1, मार्केट नं. 5, एनआईटी फरीदाबाद, क्षेत्रफल 40.6 वर्ग गज, एनआईटी फरीदाबाद, तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शिव शरण वैद के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - प्लॉट नं. 5जी-1 का शेष हिस्सा, दक्षिण में - प्लॉट नं. 5जी-1 का शेष हिस्सा, पूरब में - रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. 5जी-2	03.04.2018 रु. 1,45,83,405.88 दिनांक 31.03.2018 तक	₹ 60,00,000/- ₹ 6,00,000/- ₹ 1,00,000/-	30-03-2020 को अपर्राह 01.00 बजे से अपर्राह 03.00 बजे तक	601800301000395 VIJB0006018	श्री पी गंगटे चावला मो. 9711908984

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें। धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 27.03.2020;

नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 26.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपर्रा. 04.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी - सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 27.03.2020) को अपर्रा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 27.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा - 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झां, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेलः support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

दिनांक : 11-03-2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

जनसत्ता

12 मार्च, 2020

बदलती वफादारी

मध्य प्रदेश में पिछले दिनों शुरू हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बुधवार को कांग्रेस के एक महत्त्वपूर्ण नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल, हाल ही में राज्य में बाईस विधायकों की बगावत और इस्तीफे के बाद सरकार गिरने की आशंका के बीच सबकी नजरें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही टिकी थीं, जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि मौजूदा अस्थिरता के सूत्रधार वही हैं। यों जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के एक खेमे के असंतुष्ट होने की खबर आई थी, तभी से राज्य में भाजपा की सरकार बनने के कयास लगाए जाने लगे थे। इसके बावजूद सिंधिया के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के पहले तक उम्मीद यह की जा रही थी कि शायद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व के मसले को हल कर सरकार बचा लेने की कोशिश शुरू हो। लेकिन ऐसा लगता है कि न तो कांग्रेस की ओर से सिंधिया को रोकने के मसले पर बहुत गंभीरता दिखाई गई, न सिंधिया ने इंतजार करना जरूरी समझा। अब सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद जिन विधायकों ने बगावत के बाद इस्तीफा दिया है, उनके सामने नई परिस्थिति में अपना रुख तय करने की मुश्किल है, क्योंकि दल-बदल कानून के तहत अगर सदस्यता जाने की नौबत आई तो उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ सकता है और जरूरी नहीं कि उन्हें भाजपा की ओर से टिकट मिले ही।

फिलहाल राज्य में कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा यही जा रहा है कि सरकार गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन विधानसभा में सदस्यों की संख्या से ही यह फैसला होगा। अभी तो खरीद-फरोख्त के जाल से बचने के लिए सभी पक्ष अपने समर्थक विधायकों को सुरक्षित ठिकाने पर रखने की कवायद में लगे हुए हैं। यों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी नेतृत्व के मसले पर काफी जद्दोजहद हुई थी और आने वाले वक्त में अस्थिरता पैदा होने की आशंका जताई गई थी। लेकिन समय रहते कांग्रेस के भीतर शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर हालात से निपटने और असंतोष को कम करने की कोशिश शायद नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से प्रत्यक्ष रूप से मुख्य शिकायत यही रही कि पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही थी और अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल रहा था। सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत में जिस नेता की अहम भूमिका रही, उसके सामने यह नौबत क्यों आई कि उसे पार्टी को छोड़ना पड़ा! संभव है कि सिंधिया के ताजा फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर इस बात पर अब मंथन हो, लेकिन कुछ मामलों में जरा-सी देरी नतीजे में बड़े नुकसान दे जाती है।

किसी बड़े नेता और उनके समर्थकों के दल बदलने और इसकी वजह से किसी सरकार के गिरने या इसकी नौबत आने का यह कोई नया मामला नहीं है। विचारधारा के सवाल पीछे छूट चुके हैं और पार्टी के भीतर अपनी स्थिति और महत्त्वाकांक्षाओं से निष्ठा के सवाल तय होने लगे हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रति अपने तीखे रुख के लिए चर्चा में थे। लेकिन अब उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस से सिंधिया के अलगाव की वजह संभवतः राज्यसभा की सीट भी रही, जिसका मौका अब उन्हें भाजपा की ओर से मिल रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति यह पैदा हो रही है कि भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से सिंधिया के पार्टी में शामिल होने पर नाराजगी जताने की खबर आई। जाहिर है, ताजा घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के सामने जहां सरकार बचाने की चुनौती खड़ी होगी, वहीं भाजपा नेतृत्व को शायद स्थानीय स्तर पर उभरने वाले असंतोष से निपटना पड़े!

सद्भाव के रंग

दिल्ली में लोगों ने मंगलवार को चूंकि होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया, इसलिए बुधवार को दिल्ली पुलिस ने इसे सहयोग माना और नगरवासियों के प्रति आभार जताया! दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि शहर की सड़कों पर होली के दौरान पुलिस की व्यापक मौजूदगी रही, लेकिन पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई गई। अब इसे दिल्ली वालों की तारीफ माना जाए या तंज, यह संदर्भों पर निभर करता है। दरअसल, हुआ यह कि इस बार दिल्ली पुलिस के पास होली मनाने के दौरान हंगामे और उससे पैदा तनाव या टकराव की शिकायतों के फोन कॉल पिछले साल के मुकाबले महज आधे रहे। पिछले साल शिकायतों का आंकड़ा जहां अठारह हजार सात सौ अठानबे था, वहीं इस साल यह महज आठ हजार छह सौ सड़सठ रहा। यानी समूची दिल्ली में लोगों ने होली का दिन इस साल अपेक्षया शांति से गुजार लिया और इस तरह न केवल खुद कई तरह के असुविधा पैदा करने वाले हंगामे से बचे रहे, बल्कि अप्रिय स्थितियों पर काबू पाने के काम से पुलिस को भी राहत मिली।

त्योहार के मौके पर अशांति के मामलों में इतनी भारी गिरावट स्वाभाविक रूप से दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी राहत की वजह बनी होगी, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि लोग धीरे-धीरे ही सही, अब होली के त्योहार को उसके संदेश के वास्तविक अर्थों के साथ मनाने की ओर बढ़ रहे हैं। होली सौहार्द का ऐसा त्योहार है, जब दो विपरीत ध्रुव पर खड़े लोग या यहां तक कि दुश्मनी में तप रहे पक्ष भी आपसी आग्रहों और अहं को भुला कर अलगाव की दीवारें ढाह देते हैं और गले मिलते हैं। यानी बाकी पूरे साल आपसी व्यवहार या बात के दौरान किन्हीं वजहों से जो दूरियां बन जाती हैं, होली के मौके पर उन्हें पाट दिया जा सकता है। यों जिन लोगों के बीच दूरी बन जाती है या मनमुटाव हो जाता है, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, जो चाहते तो हैं कि सब आग्रहों को पीछे छोड़ कर, बीती बातें बिसार कर आने वाले वक्त को अपना बना लिया जाए और उन्हें गले लगा लिया जाए, जो कई बार बेहद मामूली बातों के चलते भी दूर-दूर रहने लगते हैं। लेकिन कभी अहं की जंजीरें कदम रोक लेती हैं तो कभी कोई सुनहरा मौका हाथ नहीं लगता है!

बहरहाल, दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजधानी में होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए करीब साढ़े छह सौ चालान काटे गए। हेलमेट नहीं पहनने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अलावा कुछ अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भी पकड़ा गया। सड़कों पर वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को धता बताते बहुत सारे चालक आम दिनों में भी पाए जाते हैं, लेकिन खासतौर पर होली के मौके पर नशे में धुत्त होकर वाहन चलाने और नियमों को तोड़ने को कुछ लोग मौज-मस्ती का मामला मान लेते हैं। अव्वल तो यह समझना मुश्किल है कि मौज-मस्ती के लिए कानूनों को ताक पर रखना लोगों को क्यों जरूरी लगता है, फिर जो लोग त्योहार के मौके पर शराब के नशे में बेलगाम झूम रहे होते हैं या कहीं लुढ़क जाते हैं, वे त्योहार के मौके की रिवायतों और आनंद को कैसे महसूस कर पाते होंगे! इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह नगरवासियों की तारीफ की है, लोग उसके आशय को समझेंगे और आने वाले दिनों में नशे के घोल में डूबने के बजाय सौहार्द या सद्भाव को होली जैसे त्योहार की सीमा से आजाद करके रोजमर्रा की जिंदगी में घोलेंगे और इंसानी मूल्यों को मजबूत करेंगे!

कल्पमेधा

जहां डींग हांकना खत्म होती है, वहीं से प्रतिष्ठा की शुरुआत होती है।
– यंग

खतरे में जैव विविधता

योगेश कुमार गोयल

प्रदूषण का जहर अब मधुमक्खियों और सिल्क वार्म जैसे जीवों के शरीर में भी पहुंच रहा है। रंग-बिरंगी तितलियों को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, अत्यधिक प्रदूषित स्थानों पर तो पेड़-पौधों पर भी इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन की अधिक मात्रा के चलते पेड़-पौधों की पत्तियां भी जल्दी टूट जाती हैं।

विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी और वनस्पति एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनका जीवन एक-दूसरे पर ही निर्भर रहता है। सही मायनों में जैव विविधता की समृद्धि ही धरती को रहने और जीवनयापन के योग्य बनाती है। लेकिन विडंबना है कि निरंतर बढ़ते प्रदूषण से जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अगर भारत में कुछ जीव-जंतुओं की प्रजातियों पर मंडराते खतरों की बात करें, तो जैव विविधता पर दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) में पेश की गई छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला था कि जैव विविधता को खतरे वाली अंतरराष्ट्रीय सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्रायः और संकटग्रस्त श्रेणियों में भारतीय जीव प्रजातियों की सूची पिछले कई सालों से बढ़ रही है। इस सूची में शामिल प्रजातियों की संख्या में वृद्धि जैव विविधता और वन्य आवासों पर गंभीर तनाव का संकेत है। एक दशक पहले पेश की गई चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार उस समय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आइयूसीएन) की विभिन्न श्रेणियों में गंभीर रूप से लुप्तप्रायः और संकटग्रस्त श्रेणियों में भारत की चार सौ तेरह जीव प्रजातियों के नाम थे। लेकिन 2014 में पेश पांचवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह आंकड़ा बढ़ कर छह सौ छियालीस छठी रिपोर्ट में छह सौ तिरासी तक जा पहुंचा।

भारत में इस समय नौ सौ से भी अधिक दुर्लभ प्रजातियां खतरे में हैं। यही नहीं, विश्व धरोहर को गंवाने वाले देशों की सूची में दुनियाभर में भारत का सातवां स्थान है। भारत का समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र बीस हजार से ज्यादा जैविक प्रजातियों के समुदाय की मेजबानी करता है। इनमें से करीब बारह सौ प्रजातियों को संकटग्रस्त और तत्काल संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अगर देश में प्रमुख रूप से लुप्त होती कुछेक जीव-जंतुओं की प्रजातियों की बात करें, तो कश्मीर में पाए जाने वाले हांगलू की संख्या सिर्फ दो सौ के आसपास रह गई है, जिनमें से करीब एक सौ दस दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में हैं। इसी प्रकार दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाली बारहसिंगा हिरण की प्रजाति अब मध्य भारत के कुछ वनों तक ही सीमित रह गई है। वर्ष 1987 के बाद से मालाबार गंधबिलाव नहीं देखा गया है। हालांकि माना जाता है कि इनकी संख्या पश्चिमी घाट में फिलहाल दो सौ के करीब बची है। दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी सफेद दांत वाला छछूंदर लुप्त होने के कगार पर है। एशियाई शेर भी गुजरात के गिर वनों तक ही सीमित हैं।

कुछ महीने पहले उत्तराखंड से भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि प्रदेश की नदियों और अन्य जलस्रोतों में मिलने वाली महाशीर, रौला, स्नो ट्राउट, रेनबो ट्राउट, पत्थर चट्टा, असेला, गारा, गूंज, बरेलियस इत्यादि मछलियों की ढाई सौ प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में हैं और इसका प्रमुख कारण नदियों के आसपास अवैध खनन के चलते पारिस्थितिकीय तंत्र का बिगड़ना है। जिन नदियों में प्रायः पचास से सौ किलो तक वजनी महाशीर जैसी मछलियां बहुतायत में मिलती थी, वहीं अब पांच से दस किलो वजनी मछलियां ढूंढ़ना भी मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अवैध खनन, लगातार निर्माण कार्य, भू-स्खलन और गलत तरीकों से शिकार के कारण मछलियों के भोजन के स्रोत और उनके पलने-बढ़ने की परिस्थितियां प्रभावित हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में मछलियों के छिपने और प्रजनन की परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं। भू-स्खलन के कारण नदियों में गाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा नदियों में जमा होते कचरे के कारण भी मछलियों का भोजन खत्म हो रहा है। देश में हर साल बड़ी संख्या में बाघ मर रहे हैं। हाथियों के ट्रेनों से कट कर मौत की खबरें अक्सर आाती रहती हैं। इसके अलावा वन्य तस्कर भी बेखौफ होकर शिकार कर रहे हैं। इन जीवों पर यह संकट वन क्षेत्रों के घटने और विकास परियोजनाओं के चलते वन्य जीवों के आश्रय स्थलों में बढ़ती मानवीय घुसपैठ से ज्यादा गहराया है।

भारत में वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए पहला कानून 'वाइल्ड एलीकेंट प्रोटेक्शन एक्ट' ब्रिटिश राज में 1872 में बनाया गया था। इसके बाद 1927 में 'भारतीय वन अधिनियम' बना कर वन्य जीवों का शिकार और वनों की अवैध कटाई को अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया। 1956 में एक बार फिर 'भारतीय वन अधिनियम' पारित किया गया और वन्य जीवों के बिगड़ते हालात में सुधार के लिए 1983 में 'राष्ट्रीय वन्य जीव योजना' की शुरुआत की गई, जिसके तहत कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए। हालांकि राष्ट्रीय उद्यान बनाने का सिलसिला ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था, जब सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1905 में असम में बनाया गया था और उसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान- जिम कार्बेट 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बनाया गया था। लेकिन आज राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ कर एक सौ तीन हो गई है और देश में कुल पांच सौ तीस वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, जिनमें तेरह राज्यों में अठारह बाघ अभयारण्य भी स्थापित किए गए हैं।

आजादी के बाद से देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चलाई गईं। इनमें 'कस्तूरी मृग परियोजना 1970', 'प्रोजेक्ट हुंगल 1970', 'गिर सिंह परियोजना 1972', 'बाघ परियोजना 1973', 'कछुआ संरक्षण परियोजना 1975', 'गैंडा परियोजना 1987', 'हाथी परियोजना 1992', 'गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006', 'हिम तेंदुआ परियोजना 2009' इत्यादि शामिल हैं। इस तरह की परियोजनाएं शुरू किए जाने के बावजूद शेर, बाघ, हाथी, गैंडे इत्यादि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि पक्षी आसमान में ज्यादा समय तक रहते हैं और ज्यादा तेज सांस लेते हैं, इसलिए इंसानों की अपेक्षा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पक्षियों की सेहत पर ज्यादा पड़ता है। आसमान में उड़ान भरते समय वायु में घुले प्रदूषण कणों के उनके शरीर में प्रवेश करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठंड के मौसम में तो हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी परिंदे हर साल दिल्ली सहित भारत के कई हिस्सों का रुख करते हैं, किंतु दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो सर्दी के दौरान प्रदूषण अब इस कदर बढ़ जाता है कि परिंदों में अब इस मौसम में दिल्ली से पलायन करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। अगर विदेशी परिंदों के उत्तर भारत पहुंचने की ही बात करें तो इनकी संख्या साल दर साल किस कदर घट रही है। इसका अनुमान इन आंकड़ों से बखूबी लगाया जा सकता है। जहां 2016-17 में यहां पहुंचने वाले पक्षी 'ग्रेट कारमोरेंट' की संख्या चार सौ पचहत्तर थी, वहीं 2018-19 में साढ़े तीन सौ दर्ज की गई। इसी प्रकार 2016-17 में नार्दर्न शावलर की संख्या छियानवे, 2017-18 में अठारह और 2018-19 में मात्र एक दर्ज की गई।

पर्यावरण वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रदूषण और स्मॉग भरे वातावरण में कीड़े-मकौड़े सुस्त पड़ जाते हैं। प्रदूषण का जहर अब मधुमक्खियों और सिल्क वार्म जैसे जीवों के शरीर में भी पहुंच रहा है। रंग-बिरंगी तितलियों को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, अत्यधिक प्रदूषित स्थानों पर तो पेड़-पौधों पर भी इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन की अधिक मात्रा के चलते पेड़-पौधों की पत्तियां भी जल्दी टूट जाती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस ओर जल्दी ही ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में स्थितियां इतनी खतरनाक हो जाएंगी कि धरती से पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं की ज्यादातर प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी।

ढाई आखर

दुनिया मेरे आगे

अंबालिका

प्रेम एक ऐसा विषय है जिसका न आदि है, न अंत। इतिहास के हरेक दौर में इसके सबूत मिल जाते हैं। साहित्य में तो इसकी मिसाल देखने योग्य है। इस प्रेम ने जंग भी करवाए, किले भी फतह किए गए। कहानियां भी लिखी गईं, अलंकार भी ढूंढ़े गए। इसकी परिधि असीम है। जहां प्रेम को बांध पाना मुश्किल है, वहीं इससे निकल पाना भी कठिन। कहा जाए तो चाहे कितने ही शब्द बिखेर दिए जाएं, प्रेम अपरिभाषित ही रह जाता है।

मानव जीवन में अनेक भाव होते हैं। मसलन, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि। क्रोध और करुणा एक उबाल की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन प्रेम मानव प्रकृति को अपना बना लेता है, उसमें वास कर जाता है। प्रेम स्थिर, अक्षुण्ण और निराकार होता है। जीवन में हरेक प्राणी इसकी छाया से होकर गुजरता है। यहां एक बात सोचने योग्य है कि क्या प्रेम केवल स्त्री-पुरुष का ही संबंध है या इससे कुछ अलग भी है! असल में प्रेम हर उस वस्तु में वास करता है, जिसमें आपका हृदय डूबा हो। बालक अपने खिलौनों को प्राणों से ज्यादा चाहता है तो उसकी मां उसे अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहती है। एक प्रेम निर्जीव के लिए बेमानी है तो दूसरा प्रेम सजीव के लिए व्याकुल है।

आमतौर पर हम जहां रहते हैं, उसके हर एक कण से हमें प्रेम होता है। हम जीवन के तीस-चालीस वर्ष नौकरी करते हुए जिस दफ्तर में जाते हैं, हमें उसकी कुर्सी और मेज से भी प्यार हो जाता है। अपनी सेवानिवृत्ति के दिन अनायास ही हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वह कुर्सी या वे फाइलें हमसे बातें करती थीं? नहीं। लेकिन हम उस पर केवल अपना एकांत अधिकार समझते थे और उसे छोड़ते हुए हमें एक वेदना से गुजरना पड़ता है। यह सच है कि प्रेम अपने साथ अधिकार लेकर आता है। आप कहेंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप मुझे बुराई से नहीं रोकेंगे तो वह प्रेम नहीं होगा। वह केवल सहानुभूति या पसंद करना होगा। प्रेम तभी सार्थक है, जब वह आपको अधिकार की अनुमति देता है। प्रेम आपको बांधता नहीं है, लेकिन आपको दुखों से बचाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम सरल नहीं होता। लोग प्रेम तो करने देते हैं, लेकिन अधिकार के नाम पर अपनी निजता का सवाल खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रेम नहीं कर रहे, केवल खानापूर्ति कर रहे हैं।

वर्तमान युग में प्रेम भी जैसे डिजिटल बन गया है। अब मानवीय प्रेम संबंधों में गंभीरता नहीं रही। युवा वर्ग 'बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड' के पेंडुलम में झूलता नजर आता है। यह एक चलन बन गया है। प्रीत की पेंग में झूलने का शौक अब किसी को नहीं रहा, न ही विरह की वेदना में कुंदन बनने का कष्ट कोई उठाना चाहता है। अब तो बस 'तुम नहीं तो कोई और सही' जैसी मानसिकता बनती जा रही है। अब प्रेमी प्रेमिका साथ घूमते हैं। फिल्म देखने जाना, होटलों में खाना खाना, जश्न मनाना आदि चीजें प्रेम की दिनचर्या में समा गई हैं। वह समय और था जब बंदिशों के दायरे में बैठ कर डूबते सूरज की संध्या में प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता था, वहीं खिलते किसलय के ऊपर भंवरे को मंडराते देख प्रेमिका उसमें अपने प्रेमी को पाती थी।

कभी-कभी सोचती हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या अपनी सारी विशेषता, सारे गुण पीछे छोड़ रहे हैं। एक सर्वे से पता चला है कि पिछले दो दशकों में भारत में तलाक के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। आखिर क्यों टूट रहे हैं वैवाहिक रिश्ते? एक समय था, जब विवाह अखंडित होता था। उम्र के साथ पति-पत्नी के बीच इतने मजबूत संबंध बन जाते थे कि यमराज के तोड़े भी न टूटे। लेकिन आज विवाह एक 'बॉन्ड' की तरह है। दो प्राणियों के बीच एक 'कॉन्ट्रैक्ट' यानी करार है, जिसमें जरा-सी फेर-बदल हुई नहीं कि शादी खतरे में। पति-पत्नी के बीच प्रेम-प्रसंग कम हो गए हैं। डिजिटल तकनीक और उच्च स्तरीय जीवन जीने की लत में वे जीवन के सबसे कोमल और कुसुमित पलों को खोते जा रहे हैं। धीरे-धीरे उनके अंदर भी एक मशीनीकरण का विकास होता जा रहा है और ऐसे में बच्चों के भविष्य का नुकसान हो रहा है।

हमारी परंपरा का मूल प्रेम ही रहा है। माता-पिता, भाई-बहन, पिता-पुत्र- ऐसे न जाने कितने ही संबंध हैं जिनके बीच प्रेम एक ऐसा सूत्र है, जो मरते दम तक नहीं टूटते। कहना यही चाहती हूं कि प्रेम कोई वस्तु नहीं, यह एक भाव है। यह सिर्फ देना जानता है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप उससे बैर रख ही नहीं सकते। प्रेम आपको स्वतंत्र कर देता है और आप जिससे प्रेम करते हैं, उसे भी स्वतंत्र कर देता है। यह विशाल है और इसके परे जाने की क्षमता हम सबमें नहीं है।

किसानों की व्यथा

भारत की आबादी का सत्तर फीसद आज भी गावों में रहता है। इसमें से साठ फीसद लोग खेती पर ही निर्भर हैं। इसी से इनकी रोजी-रोटी चलती है। हमेशा सरकारें किसानों को कोई न कोई लालच देकर सत्ता में आ जाती हैं और सत्ता में आते ही किसानों के नाम पर राजनीति करती हैं। इस समय बेमौसम बारिश ने किसानों की खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। इस बार की पैदावार से अगर किसानों का ही पेट भर जाए, तो बड़ी बात है। मगर इस पूरे प्रकरण में सरकार ने किसानों को एक बार भी आश्वासन नहीं दिया कि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं, अभी कुछ समय पहले पराली जलाने पर प्रशासन से लेकर मीडिया और सरकार तक सभी किसानों के पीछे पड़ गए थे। राष्ट्रभक्त मीडिया रात-रात भर जाग कर खेतों में जाकर जलती पराली दिखाने में लगा था। पूरा प्रशासन किसानों पर जुर्माना लगाने पर तुला था। कितना जुर्माना वसूला गया, सरकार इसकी समीक्षा कर रही थी। लेकिन आज कोई भी किसानों की सुध नहीं ले रहा। अब समय आ गया है जब किसानों को ही अपनी आवाज उठाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार से यह सीखना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है। एक किसान ही किसान, दलित, शोषित और पिछड़ों के दर्द को समझ सकता है।

● *मनीष वर्मा, बड़ागांव, आंबेडकर नगर*

मेलजोल का पर्व

'धर्म दीक्षा' (9 मार्च, पेज 7) पर बृज क्षेत्र की होली पर जो जानकारी दी गई है, उसे एक बार मन प्रफुल्लित हो गया। वैसे ही समाज में चारों ओर तनाव, निराशा और अवसाद जैसे हालात दिख रहे हैं। लेकिन वर्ष भर के त्योहार पर ब्रज चौरासी कोस क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण अंचलों की होली पर दी गई प्रस्तुति ने मन मोह लिया। होली का पर्व आपसी मेलजोल बनाए रखने, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और मंगल मिलन का वह उत्सव है जो सदैव ही समाज के जन-जन को एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने का अवसर प्रदान करता है। जनसत्ता की सराहनीय प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं।

● *युगल किशोर शर्मा, खांबी, फरीदाबाद*

पाबंदी की जरूरत

सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से झूठी और भड़काऊ सामग्री परोसी जाती है, वह सामाजिक समरसता वाले रसरंग को बदरंग करने का ही साजिश है। दिल्ली के दंगों में भी सोशल मीडिया के जरिए जिस की खबरें चलीं, वीडियो सामने आए, उन्होंने आग में घी का काम किया। दंगों में पचास लोग मारे गए और अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। सवाल है कि ऐसा सोशल मीडिया किस काम का जो आग लगाए, लोगों को उकसाए, भड़काए और उनके बीच वैमनस्य पैदा करे? सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के आइटी सेल बंद किए जाने चाहिए जो इस प्रकार की सामग्री सोशल मीडिया पर डालते हैं। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये दल झूठी और भड़काने वाली सामग्री पेश कर वातावरण को बिगड़ते हैं। जब स्वयं राजनीतिक दल बल ही संगठित होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करेंगे तो दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं!

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

डर का दायरा

कोरोना के कहर से दुनिया डरी हुई है। इस समस्या से वैज्ञानिकों को कारगर तरीके से निपटने में अभी वक्त लगने की बात कही जा रही है। ऐसे में हम सबको स्वयं ही इस बीमारी के प्रति सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, ताकि इसका प्रसार होने से रोका जा सके। वैसे तो सरकारी स्तर पर इसे रोकने के तमाम उपायों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन विभागों में आपसी तालमेल में खामियों के कारण कई बार लापरवाही भी उजगार होती हैं।

देखा जाए तो जब भारत में कोरोना का पहला मामला दर्ज हुआ था, तभी सभी राज्यों को अलर्ट करने के साथ-साथ उसी समय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को लोगों में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा व्यापक रूप से नहीं हुआ। यही वजह है कि कुछ दुकानदारों को भी लोगों में डर पैदा करने का मौका मिल गया और उन्होंने मास्क और सैनेटाइजर की कालाबाजारी शुरू कर दी। दुख की बात यह है कि औषधि नियंत्रण विभाग यह सब देखता रहा और उसने इस पर रोक लगाने के लिए तब तक कुछ नहीं किया, जब तक विरोध प्रदर्शन नहीं होने लगे। देखा जाए तो यह ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी भी लोग जागरूक नहीं है और इसको लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं। फिर, अस्पतालों में भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वह जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए और देश के सभी युवाओं को भी जागरूकता अभियान में शामिल करे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि न केलव प्रभावित देशों, बल्कि हर देश से आने वाले हर नागरिकों की गहन जांच हो।

● *विक्रम चौरसिया, दिल्ली विवि, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बेरोजगारों से खिलवाड़

देश का युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हर तरफ रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर्मचारी देने वाले रेलवे विभाग ने 2018 में पूरे देश मे सहायक लोको पायलट ओर तकनीशियन के पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। लेकिन अभी भी छात्र नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। फिर पिछले साल जनवरी में ग्रुप-डी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क जैसे पदों के लिए भर्तियां निकाली गईं और फार्म भरवा लिए गए। पूरा एक साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथियां नही आई हैं। लाखों बेरोजगार छात्र घर से बाहर दूसरे शहरों में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मुश्किल आर्थिक हालात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार आंखे मूंद कर बैठी है। सवाल है कि आखिर दो साल का वक्त गुजर जाने पर भी परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही? क्यों रोजगार के नाम पर परीक्षा फीस वसूलकर अभी तक रोजगार नहीं दिया गया?

● *सियाराम मीना, पिपल्या, राजस्थान*

www.readwhere.com

तथ्य

31 फीसद दुनिया के युवाओं का मानना है कि उनकी वर्तमान शिक्षा उन्हें रोजगार के लिए कौशल प्रदान नहीं कर रही है। यूनिसेफ की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में 150 देशों के 40 हजार से अधिक युवाओं को शामिल किया गया। वहीं, 39 फीसद युवाओं ने माना कि वे जिस प्रकार का रोजगार चाहते हैं, समाज में वह उपलब्ध नहीं है।

विचार

तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है।
– स्वामी विवेकानंद

प्रतिभाशाली लोगों की कुछ खास बातों का रखें ध्यान

परामर्श

दुनिया जिन लोगों को कुछ खास मानती है, उन्हें प्रतीभाशाली व महान कहती है। वे महान इसलिए नहीं हैं कि वे सफल हैं बल्कि वे दूसरों के लिए प्रेरक हैं इसलिए। क्योंकि उनके जीवन की कुछ खास बातें हैं जिनके कारण वे सफल हुए हैं। रोबिन शर्मा ने अपनी नई पुस्तक 'फाइव एएम क्लब' में इन खास बातों का जिक्र किया है।

अनुशासन में रहते हैं : वे कहते हैं कि दुनिया का निर्माण करने वाले लोगों की सबसे पहली खूबी यही है कि वे शाही दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनके जीवन में अनुशासन होता है। इसी के चलते वे दूसरों से अलग व कुछ खास बनना जाते हैं। प्रतिभाशाली बनने के लिए पहला सूत्र अनुशासन है। इसे अपने व्यक्तित्व का साथी बनाएंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी।

असली रहिए, असली दीखिए : सफल लोगों के जीवन में पैसा आ गया तो भी इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग प्रतिभाशाली इसलिए होते हैं चूंकि वे संकोची स्वभाव के होते हैं। जैसे होते हैं, वैसे ही दिखते हैं व वैसा ही दिखना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे बनावटी नहीं हैं। वे बनावट को अपने आसपास नहीं आने देते। जो होते हैं, वहीं दिखते हैं व वैसा ही दिखना चाहते हैं।

स्वास्थ्य उनकी पहली प्राथमिकता : प्रतिभाशाली लोग इस बात को समझते हैं कि स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ नहीं है। वे इसे अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। वे खुद भी फिट रहते हैं। वे स्वस्थ व फिट होते हैं, इसलिए आकर्षक व ऊर्जावान भी होते हैं। वे देखने में भी प्रतिभाशाली ही लगते हैं चूंकि वे स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करते।

सुबह जल्दी उठते है : दुनिया के महान लोगों की एक और खास बात यह है कि वे इस बात में यकीन करते हैं कि सुबह जल्दी उठना उनके लिए अनिवार्य है। वे यह मानते हैं कि यह एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन में सब कुछ बदल सकती है। खुद को फिट व रचनात्मक बनाए रखने के लिए वे हमेशा सुबह जल्दी उठने में यकीन करते हैं।

साधारण सोचते हैं : ऐसे लोगों की एक और खूबी है कि वे आम आदमी की तरह ही सोचते हैं, ऐसे ही दिखते हैं, आम आदमी की तरह ही खाते हैं, हंसते हैं और ऐसे ही रहते हैं। उनकी यही खूबी हमेशा उन्हें दूसरों से अलग रखती है।

–अशोक कुमार (कुरुक्षेत्र विवि के जनसंचार विभाग में कार्यरत)

साक्षात्कार

टीम पर विश्वास ही स्टार्टअप की सफलता की कुंजी

आइआइटी दिल्ली से पढ़ाई के दौरान प्रतीक शर्मा और उनके साथियों ने एक तकनीक पर काम करते हुए एक उत्पाद (नैसो फिल्टर) बनाया। नैसो फिल्टर को बाजार में लाने के लिए एक कंपनी 'नैनो क्लीन ग्लोबल' बनाई। आज इस कंपनी के पांच उत्पाद बाजार में हैं। इस कंपनी को यहां तक लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतीक शर्मा से हमने बातचीत की। पेश हैं बातचीत के कुछ अंश...

सवाल : स्टार्टअप का विचार कैसे आया?

प्रतीक : मैं राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला हूं। वहां पर अकसर धूल भरी आंधियां चलती हैं और इसकी वजह से मेरी मां को अस्थमा की परेशानी रहती थी। जब में आइआइटी दिल्ली आया तो मैंने तुषार और जतिन के साथ मिलकर अस्थमा के मरीजों को राहत देने के लिए एक तकनीकी उपयोग बनाने के बारे में सोचा। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के दौरान तीन साल तक हमने एक तकनीक के ऊपर काम किया और यह नैसो फिल्टर के रूप में सामने आया। इसके बाद हमने इसे लोगों तक ले जाने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। नैसो फिल्टर दुनिया का सबसे छोटा, सस्ता और नैनो तकनीक पर बना फिल्टर है।

सवाल : स्टार्टअप के लिए एक बेहतर टीम कितनी जरूरी है?

प्रतीक : स्टार्टअप की क्यों, जीवन में कुछ भी करने के लिए एक बेहतर टीम का कहना सबसे अधिक जरूरी है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक संपत्ति की तरह होती है। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे शुरुआत से ही एक बेहतर टीम मिली। जिसकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं।

सवाल : स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

प्रतीक : किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आप एक बेहतर टीम तो बनाएंगे ही लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप अपनी टीम को पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दें। हर व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे में हमें अपनी टीम को दफ्तर से लेकर अकाउंट तक की जिम्मेदारी देनी होगी। दूसरी बड़ी चीज है, बाजार शोध। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी चीज होती है।

रक्षा सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

ऐसे युवा जिनमें जोश, साहस है और चुनौतियों का सामना करना चाहते है। उनके लिए रक्षा क्षेत्र से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। कैप्टन अभिनंदन को कौन आज नहीं जानता जो पाकिस्तान की धरती पर उसी का विमान गिराकर गर्व से भारत वापस आ गए और हमारे देश के गौरव का इतिहास बन गया। कहने का तात्पर्य यह की रक्षा क्षेत्र या सेना उन युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करती है। जिसमें न केवल जोश होता है बल्कि ऐसा जुनून भी होता है जो देश की आन, बान और शान के लिए कुछ भी कर सकते है।

रक्षा क्षेत्र को देश में सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित करिअर में से एक माना जाता है। पेशेवर सेवाएं देने वाला भारतीय सशस्त्र बल समान रूप से भारत का एक ऐसा सैन्य बल है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल आते हैं।

भारतीय सेना का मुख्य उद्देश्य देश को बाहरी खतरों और हमलों से बचाकर राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी सात कामांड हैं– पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, दक्षिण–पश्चिमी, प्रशिक्षण कमान। इस तरह, यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र बलों में से एक है। भारतीय सेना में 12 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह नवीनतम आयुधों के साथ–साथ कई प्रकार के टैंक, स्व–चालित बंदूकें, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, तोपखाने और कई रॉकेट लॉन्च उपकरणों से लैस है।

भारतीय रक्षा बल सेवा, देशभक्ति एवं देश की मिश्रित संस्कृति के आदर्शों का प्रतीक और पर्याय है। इसमें भारत के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म एवं समुदाय के हों, आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे शारीरिक, चिकित्सीय एवं शैक्षिक मानदंडों को पूरा करते हों। भारतीय सेना में करिअर के अवसर कई क्षेत्रों में है।

थल सेना : जो सेना जमीनी स्तर पर सुरक्षा का काम करती है। इसे लड़ाकू इकाई के रूप में भी जाना जाता है।

वायु सेना : हवाई रक्षा की जिम्मेदारी जिस सेना के पास होती है। उसको इसमें शामिल किया जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन भी इसी सेना का हिस्सा थे।

नौसेना : समुद्री खतरों से मिलने वाली चुनौतियों की जो चौकसी करता हो। उसे इस सेना का हिस्सा माना जाता है।

इसके अलावा भी आर्मी में कई तरह के विभाग काम करते है। जो इस रक्षा सेना के ही भाग होते है:

इंजीनियरिंग और आइटी इकाई : रक्षा उपकरणों के रखरखाव और साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी इस विभाग के अंतर्गत होती है।

सेना सेवा कोर और शिक्षा : सेना में यह विभाग अलग से होता है। जिसका काम प्रशिक्षण और शिक्षा देना होता है।

कई स्तरों पर होती है परीक्षा

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए): जो छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 के साथ परीक्षा पास कर चुके है वे इस परीक्षा का में बैठ सकते है।

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस): इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, तथा भारतीय वायु सेना अकादमी में अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इसके लिए भी न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ 10+2 में गणित और भौतिकी विषय होने चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी): जो छात्र किसी भी क्षेत्र में कक्षा 12वीं पास कर चुके है और और किसी भी अनुशासन में स्कूल एनसीसी प्रविष्टि में स्नातक में एनसीसी सोसायटी का हिस्सा बने है और सी प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। उन्हें सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट वरीयता देकर सेना में ले लिया जाता है।

तकनीक और इंजीनियरिंग : जिन छात्रों ने बारहवीं विज्ञान स्ट्रीम (गणित और भौतिकी) में बीटेक या बीई (पूर्व–अंतिम वर्ष) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है वे अपनी इस तकनीकी योग्यता के माध्यम से भारतीय सेना में दाखिला ले सकते है।

इसके अलावा भी भारतीय रक्षा सेना में कई तरह की नौकरियां होती है, जैसे की प्राध्यापक, डॉक्टर और सिविलियन की। जिसकी परीक्षाएं प्रायः संघ लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। जिसको पास करके आप भारत सरकार के इस महत्त्वपूर्ण विभाग का हिस्सा बन सकते है।

विशेषज्ञ की कलम से

भारतीय रक्षा सेवा में यदि कोई भी युवा प्रवेश करना चाहता है तो कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। जो इस प्रकार है:–

- एक छात्र जो स्नातक स्तर की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में है वह भी सीडीएस की परीक्षा दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं।
- एनडीए केवल अविवाहित पुरुष के उम्मीदवारों के लिए ही मान्य होता है।
- एनडीए के लिए आयु सीमा 16.5 वर्ष से 19 वर्ष है।
- आवेदन करने के लिए भारत या नेपाल / भूटान / तिब्बत शरणार्थी का नागरिक होना आवश्यक है।
- स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद प्रवेश के लिए आयु सीमा 20–26 साल मात्र ही है।
- स्नातक में न्यूनतम 60 फीसद कुल की जरूरत है।
- शैक्षिक मानदंडों के अलावा, भारतीय सेना द्वारा निर्धारित भौतिक और साथ ही चिकित्सा मानकों को भी पूरा किया जाना आवश्यक है।

–डॉ. संजय सिंह बघेल
(शिक्षक, दिल्ली विश्वविद्यालय)

एक अदा ऐसी भी

कैलिफोर्निया की वुशु एक्शन स्टार अकादमी में पहुंची गायिका क्रिस्टिना एगुइलेरा।

सूचनापट्ट

इग्नू, दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए लिए आवेदन मांगे हैं। इस कंप्यूटर आधारित परीक्ष का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) करेगी। उम्मीदवार इग्नू या एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। गैर आरक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 800 रुपए और एससी, एसटी और गरीबी रेखा से नीचे (इडब्लूएस) रहने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल को सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक होगा।

अंतिम तिथि : 23 मार्च, 2020

जेएमआइ, दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) ने अकादमिक सत्र 2020–21 के लिए दाखिला वेब पोर्टल और प्रवेश विवरणिका जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक सभी पाठ्यक्रमों, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, एमफिल, पीएचडी आदि शामिल हैं, के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीटेक आदि में दाखिले राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के आधार होंगे। शेष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जामिया प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। 18 अप्रैल 2020 से प्रवेश परीक्षा शुरू होंगी।

अंतिम तिथि : 25 मार्च, 2020

आइपीयू, दिल्ली

गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय ने करीब 100 पाठ्यक्रमों की 36,000 सीटों पर दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइपीयू में स्नातक से लेकर शोध पाठ्यक्रम तक उपलब्ध हैं। आइपीयू पहली बार 68 पाठ्यक्रमों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा। 12 पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षाएं 25 अप्रैल से 5 मार्च के बीच आयोजित होंगी। पंजीकरण शुल्क के रूप में 1200 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2020

जेएनयू, दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। एनटीए के मुताबिक जेएनयू प्रवेश परीक्षा के लिए 2 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। परीक्षाएं 11 से 14 मई की बीच होंगी और 31 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जेएनयू में पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर और बीए के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2020

छात्रवृत्ति

श्रीराम कैपिटल छात्रवृत्ति 2019-20

श्रीराम कैपिटल लिमिटेड उन वाणिज्यिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के बच्चों से छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करता है, जो कक्षा 9 पास कर चुके हैं और कक्षा 10, 11 या 12वीं में अध्ययन कर रहे हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी पढ़ाई जारी रखने में मेधावी वंचित छात्रों की सहायता करना है। वाणिज्यिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय चार लाख रुपए से कम होनी चाहिए। छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को 15–15 हजार रुपए मिलेंगे।

अंतिम तिथि : 15 मार्च, 2020

ज्योति कलश छात्रवृत्ति 2019-20

उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिला छात्राओं से ज्योति कलश छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 10वीं कक्षा की छात्राओं को उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं जो यूपी में ही किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन की पात्र हैं। छात्रवृत्ति के रूप में स्कूल फीस, स्कूल की वर्दी, किताब व स्टेशनरी इत्यादि के लिए 15,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी।

अंतिम तिथि: 15 मार्च, 2020

इनलैक्स छात्रवृत्ति 2020

इनलैक्स शिवदासानी फाउंडेशन की ओर से स्नातक विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यूरोप, अमेरिका और यूके के शीर्ष–रेटेड संस्थानों में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर, एम.फिल या डॉक्टरेट कार्यक्रम में अध्ययन करने के अवसर प्रदान करना है। इस छात्रवृत्ति के लिए चुने जाने वाले विद्यार्थियों को पूरी ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, हवाई यात्रा भत्ता और स्वास्थ्य भत्ता मिलेगा। तीस साल से कम उम्र के स्नातक आवेदक जो वर्तमान में (पिछले छह महीनों से) भारत में निवास कर रहें हैं, आवेदन के पात्र हैं। चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम 1,00,000 अमेरिकी डॉलर मिलेगी जिसमें पूर्ण ट्यूशन फीस, जीवन यापन खर्च, यात्रा भत्ता व स्वास्थ्य भत्ता शामिल है।

अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2020

पुस्तकालय में छिपा है उज्ज्वल भविष्य

पुस्तकालय को सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का संग्रह माना जाता है। इसके माध्मय से अधिक से अधिक लोगों तक नवीनतम सूचनाओं और ज्ञान सामग्री का बहुत कम खर्च में पहुंचना संभव हो पाता है। उपयोग के आधार पर पुस्तकालय को कई भागों में बांटा जा सकता है। इनमें सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय/कॉलेज पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में स्कूल हो या कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय की आवश्यकता है। विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों, यहां तक कि आम लोगों को भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय की जरूरत होती है।

पुस्तकालय विज्ञान क्या है

इस विषय के तहत मुख्य रूप से किताबों, संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं और अखबारों को व्यवस्थित ढंग से रखने और लंबे अरसे तक सुरक्षित ढंग से सहेजने के बारे में जानकारी दी जाती है। बड़ी संख्या में उपलब्ध ज्ञान और सूचना परक सामग्रियों (किताब, पत्रिका) को एक निश्चित क्रम में वगीकृत करने के लिए पुस्तकालय विज्ञान वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का सहारा लेती है। पुस्तकालय की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने और उसे अधिक उपयोगी बनाने का काम पुस्तकालय अध्यक्ष का होता है।

अवसर

पाठ्यक्रम

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पुस्तकालय विज्ञान)

सर्टिफिकेट इन आइसीटी एप्लिकेशन इन लाइब्रेरी

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पुस्तकालय विज्ञान)

डिप्लोमा (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)

स्नातक (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)

स्नातकोत्तर (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)

पीजी डिप्लोमा (पुस्तकालय ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग)

जरूरी योग्यता

डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम : इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। दाखिला आमतौर पर योग्यता सूची के जरिए होता है।

स्नातक पाठ्यक्रम : किसी विषय में स्नातक करने के बाद पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम एक साल का होता है। दाखिले प्रवेश परीक्षा या योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : स्नाकोत्तर या पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है।

यहां मिलेगी नौकरी

- सरकारी और निजी पुस्तकालय
- विश्वविद्यालय पुस्तकालय
- विद्यालय पुस्तकालय
- समाजार एजंसी और मीडिया संस्थान
- विदेशी दूतावास
- फोटो/ फिल्म पुस्तकालय
- सूचना केंद्र या दस्तावेज केंद्र
- शोध सुविधाओं से युक्त संग्रहालय

वेतन

पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम करने वाले उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव के आधार पर वेतन मिलता है। निजी व सरकारी क्षेत्र में वेतन का स्वरूप अलग–अलग है। पुस्तकालय में शुरुआती वेतन 20 हजार से लेकर 30 हजार रुपए के बीच हो सकता है। अगर उम्मीदवार को विश्वविद्यालय या विद्यालय के मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी मिलती है तो उसका वेतन सरकारी नियमों के मुताबिक मिलता है।

प्रमुख संस्थान

- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- जीवाजी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

www.readwhere.com

मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में घमासान, हुड्डा ने दिखाए तेवर

● कुमारी सैलजा को दोबारा राज्यसभा भेजना चाहता है कांग्रेस हाईकमान
● अपने बेटे व पूर्व सांसद दीपेंद्र को राज्यसभा भेजना चाहते हैं हुड्डा
● कांग्रेस के दो दर्जन से ज्यादा विधायकों की हुड्डा के घर पर दावत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

राज्यसभा चुनाव को लेकर संकट में घिरी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर मंडराते संकट को टालने में जुटे कांग्रेस आलाकमान को अब हरियाणा में मचे घमासान से भी दो-चार होना पड़ रहा है। गांधी परिवार की विश्वस्त मानी जाने वाली सूबे की कांग्रेसी मुखिया कुमारी सैलजा को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की तैयारियों के खिलाफ प्रदेश के कद्दावर जाट नेता व कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा खोल दिया है। हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा से राज्यसभा भेजना चाहते हैं और ज्यादातर विधायक भी उनके पक्ष में हैं।

हरियाणा से राज्यसभा की दो खाली हुई सीटों के लिए चुनाव होना है। एक सीट पर कब्जा जमाने के लिए 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 31 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के पास ठीक 31 विधायक हैं। ऐसे में उसके उम्मीदवार का चुना जाना आम तौर पर तय है। लेकिन यह तभी संभव है जब संख्या बल को ध्यान में रखते हुए भाजपा भी अपने कोटे से एक ही उम्मीदवार घोषित करे। ऐसे में कांग्रेस जिसे अपना उम्मीदवार बना देगी वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाएगा। लेकिन यदि भाजपा ने दूसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार घोषित किया तो कांग्रेसी विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती पार्टी के सामने होगी।

कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के संयुक्त नेतृत्व में लड़ा और 31 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। लेकिन जीत का सेहरा मूल रूप से हुड्डा के सिर ही बंधा। अब जबकि राज्यसभा का चुनाव होना है तो हुड्डा हाईकमान को परोक्ष रूप से यही संदेश देना चाहते हैं कि जब विधायक उन्होंने जिताए तो सांसद कोई और कैसे हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हुड्डा ने बुधवार को दिल्ली में अपने नए निवास पर पार्टी विधायकों को दावत भी दे डाली जिसमें 31 में से 26 विधायक मौजूद थे जबकि एक विधायक गंभीर रूप से बीमार बताए गए। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई सरीखे कुछ विधायक इस बैठक में नहीं आए।

बैठक में मौजूद एक विधायक ने कहा कि वह भोज पर गए थे। हालांकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव पर किसी किस्म की चर्चा से इनकार किया। बताते हैं कि इस मौके पर कुछ अन्य विधायकों ने दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजने की खुलकर बात कही। सूत्रों की मानें तो हुड्डा के तीखे तेवर देख कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास पर देर शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें स्थिति को संभालने पर चर्चा हुई। बताते हैं कि सोनिया गांधी ने अपने कुछ विश्वस्त नेताओं को हुड्डा को मनाने में लगाया है।

सोची समझी साजिश थी दिल्ली की हिंसा : लेखी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

भाजपा ने लोकसभा बुधवार को दावा किया कि दिल्ली में पिछले दिनों भड़की हिंसा दंगा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। पार्टी ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है।

दिल्ली हिंसा के विषय पर सदन में चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि जिस हिंसा के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थी, उसे गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में 36 घंटे के अंदर काबू में कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह दंगा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश का हिस्सा था।

नई दिल्ली से सांसद लेखी ने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक पाकिस्तान में बसे अल्पसंख्यकों को यहां शरण देने के लिए कोई काम नहीं किया लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर लोगों को भड़काया। लेखी ने कहा कि सीएए के विरोध से ही पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। उन्होंने कहा- सारे नेता सीएए कानून को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट-बैंक की राजनीति के लिए यह सब किया जा रहा है जो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से समाप्त हो गई है।

लेखी ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर दंगा भड़काने वाला बयान देने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिसंबर में दिल्ली में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरपार की लड़ाई वाला बयान दिया जिसके बाद शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठने लगे। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि उनके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी उत्तेजना वाले बयान दिए। उन्होंने कुछ आप नेताओं, एआइएमआइएम के एक नेता और जेएनयू के छात्र नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे भड़काऊ बयान दिए लेकिन उनकी विपक्ष बात नहीं कर रहा।

लेखी ने भाजपा सांसदों अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर भड़काऊ बयान के आरोपों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके बयान का दिल्ली हिंसा से कोई लेना-देना नहीं दिखता। उन्होंने दावा किया कि आंकड़ों के अनुसार आजादी के बाद देश में कुल 1194 दंगों में से 871 दंगे यानी 73 फीसद दंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकारों समेत कांग्रेस के शासनकाल में हुए।

लेखी ने कहा-देश के इतिहास में 18 सबसे भयावह दंगे कांग्रेस और उनके सहयोगियों के शासनकाल में हुए और केवल एक दंगा गुजरात में (भाजपा शासन में) हुआ। भाजपा सांसद ने कहा कि गुजरात में इससे पहले हर साल दंगे होते थे लेकिन 2002 के बाद वहां एक भी दंगा नहीं हुआ।

उन्होंने दिल्ली हिंसा को काबू पाने में गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को मजबूत करने के अपने काम में लगे रहें। बहुसंख्यक चुप हैं लेकिन आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।

पंद्रह अप्रैल तक सभी वीजा निलंबित

पेज 1 का बाकी

की आधी रात से लागू होगा। उच्चस्तरीय मंत्रिसमूह की बैठक बुधवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जहाज रानी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मौजूद थे। मंत्रिसमूह ने सचिवों की समिति की ओर से दी गईं सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया।

संक्रमित लोगों की संख्या 60 हुई

पेज 1 का बाकी

के केंद्र में पृथक करके रखा गया है। इनमें नौ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

भारत में अब तक सामने आए साठ संक्रमित लोगों में दिल्ली के पांच और उत्तर प्रदेश के नौ लोग शामिल हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोरोना के क्रम से चार और दो मामले सामने आए हैं। लद्दाख में भी दो लोग कोरोना विषाणु से पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया है। केरल में अब तक 17 मामले सामने आए हैं। इनमें वो तीन मरीज भी शामिल हैं जिन्हें पिछले महीने ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। इसके अलावा 16 इतालवी नागरिक भी संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत गुरुवार को चिकित्सकों का एक दल इटली भेजेगा जो वहां फंसे भारतीय विद्यार्थियों के नमूने लेगा जिससे स्वदेश लाने से पहले उनका परीक्षण किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ईरान में कोरोना विषाणु के प्रसार की पुष्टि के बाद अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। मंत्रालय ने बताया कि सात मार्च को ईरान से 108 नमूने प्राप्त हुए थे।

ताहिर के तीन साथियों को भी पकड़ा गया

पेज 1 का बाकी

दौरान 24 फरवरी को हुसैन के साथ थे। शाखा ने दंगों में शामिल होने के आरोप में सोमवार को हुसैन के भाई शाह आलम को गिरफ्तार किया था।

आलम को पनाह देने वाले तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बीते सप्ताह हुसैन को गिरफ्तार किया था जब यहां एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के संबंध में उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने की हुसैन की याचिका खारिज कर दी थी।

अपराध शाखा अब इन सभी लोगों को आमने सामने कर दिल्ली हिंसा के हर बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। अंकित शर्मा की हत्या के अलावा इन सभी ने किन-किन इलाके में दंगे में घी डालने का काम किया और अपने सहयोगियों के साथ मिल कर लोगों के नुकसान किए इसका आकलन भी किया जा रहा है।

राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित

पेज 1 का बाकी

से तय किए गए नामों में असम से भुवनेश्वर कालीता, बिहार से विवेक ठाकुर, गुजरात से अभय भारद्वाज व रमीलाबेन बारा, झारखंड ने दीपक प्रकाश, मणिपुर से लिएसेंबा महाराजा, महाराष्ट्र से उदयना राजे भोंसले, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत और मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति ने असम और महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनाव की एक-एक सीट अपने सहयोगी दलों को देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र से आरपीआइ (ए) के रामदास आठवले और असम से बीपीएफ के बुस्वजीत डाइमरी उम्मीदवार होंगे।

विशेष विमान से जयपुर पहुंचे कांग्रेस के विधायक

पेज 1 का बाकी

से दोपहर ढाई बजे के करीब जयपुर लाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य कांग्रेस नेताओं ने खुद जयपुर हवाई अड्डे पर इन विधायकों की अगवानी की। इससे पहले महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर उठापटक के समय भी कांग्रेस विधायकों को जयपुर में ही रखा गया था।

इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जमा होने के बाद कांग्रेस के विधायक तीन बसों में हवाई अड्डा पहुंचे और बाद में विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के विश्वासपात्र मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल में बताया कि हम अपने विधायकों के साथ जयपुर जा रहे हैं। वहां हम एक साथ रहेंगे। वर्मा ने कहा कि जयपुर के बाद वे खुद बंगलुरु भी जाएंगे और वहां ठहरे हुए कांग्रेस के विधायकों से बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इन विधायकों को गुमराह करके बंगलुरु ले जाया गया है और इनसे त्यागपत्र लिए गए हैं जबकि इनकी रगों में बरसों से कांग्रेस का खून दौड़ रहा है। इसलिए ये विधायक केवल अपने नेता (सिंधिया) की महत्त्वाकांक्षा के लिए यूं अचानक अपनी राजनीतिक आस्था नहीं बदल सकते।

एक अन्य मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उत्पन्न हुए तनाव को दूर करने के लिए कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ जयपुर घूमने जा रहे हैं। यहां (हवाई अड्डे पर) हम 95 विधायक हैं और हम अपना बहुमत साबित करेंगे। उन्होंने निर्दलीय, बसपा और सपा विधायकों का भी सरकार को समर्थन हासिल होने का दावा किया।विधायकों के जयपुर पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन विधायकों का मुंह मीठा कर के स्वागत किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि भाजपा बेशर्मी से विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है और देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। विधायक जयपुर आए हैं और जो गुंडागर्दी की जा रही है, उसे सब लोग देख रहे है।

न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता खत्म

पेज 1 का बाकी

ने सभी बचत खातों पर ब्याज दर समान रूप से तीन फीसद सालाना कर दिया है। साथ ही मियादी जमाओं तथा कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दरों (एमसीएलआर) में कटौती की भी घोषणा की है।

एसबीआई ने एक बयान में कहा कि देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने औसत मासिक न्यूनतम राशि (एएमबी) रखने की अनिवार्यता खत्म की है।

अभी मेट्रो शहरों में बचत खाताधारकों को एएमबी के रूप में 3,000 रुपए, कस्बों में 2,000 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपए खाते में रखने होते हैं। एएमबी की शर्तें पूरी नहीं करने पर उन्हें पांच से 15 रुपए तक जुर्माने और करों का भुगतान करना होता है। एएमबी समाप्त किए जाने से बैंक के इन खाताधारकों को 'जीरो बैलेंस' यानी कोई न्यूनतम राशि नहीं रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही बैंक ने त्रैमासिक आधार पर एसएमएस सेवा के लिए वसूला जाने वाले शुल्क भी खत्म कर दिया है।

इस बारे में बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'यह फैसला और अधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होगा।'

इसके अलावा बैंक ने बचत खातों पर वार्षिक ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाते हुए सभी श्रेणियों के लिए समान रूप से तीन फीसद कर दिया है। वर्तमान में एक लाख रुपए तक की जमा पर बचत खाताधारकों को 3.25 फीसद वार्षिक और एक लाख रुपए से अधिक की जमा पर तीन फीसद वार्षिक की दर से ब्याज मिलता है।

इससे पहले एसबीआइ ने विभिन्न परिपक्वता अवधि की मियादी जमाओं तथा कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण ब्याज दरों (एमसीएलआर) में कटौती की भी घोषणा की। नई दरें दस मार्च से प्रभाव होंगी। बैंक ने एक महीने में यह दूसरी बार ऋण ब्याज दर में कटौती की है।

बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए खुदरा मियादी जमा (दो करोड़ रुपए से कम) पर ब्याज दरों में 0.10 से 0.50 फीसद की कटौती की है। सात दिन से 45 दिन में परिपक्व होने वाली मियादी जमाओं पर ब्याज दर अब चार फीसद होगी जो पहले 4.50 फीसद थी। वहीं एक साल और उससे अधिक अवधि के लिए जमाओं पर ब्याज दर में 0.10 फीसद की कटौती की गई है।

एक साल से दो साल से कम अवधि के लिए मियादी जमा पर ब्याज दर अब 5.90 फीसद होगी जो पहले 6 फीसद थी। बुजुर्गों के लिए इसी अवधि के लिए मियादी जमा पर ब्याज दर अब 6.50 के बजाए 6.40 फीसद होगी।

बैंक ने 180 दिन और उससे अधिक अवधि के लिए दो करोड़ रुपए और उससे अधिक (थोक जमा) की मियादी जमाओं पर ब्याज दर में 0.15 फीसद की कटौती की है। एक साल और उससे अधिक की अवधि की थोक जमा राशि पर ब्याज दर अब 4.60 फीसद होगी जो पहले 4.75 फीसद थी।

इससे पहले, फरवरी में बैंक ने खुदरा मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में 0.10 से 0.5 फीसद की कटौती की थी। जबकि थोक जमा के मामले में 0.25 से 0.50 फीसद की कटौती की गई है।

इसके अलावा बैंक ने एक साल की एमसीएलआर 0.10 घटा कर 7.75 फीसद कर दी है जो पहले 7.85 फीसद थी।

एक दिन की अवधि और एक महीने के लिए एमसीएलआर 0.15 फीसद घटा कर 7.45 फीसद कर दी गई है। तीन माह अ-वधि के लिए एमसीएलआर को 7.65 फीसद से घटा कर 7.50 फीसद कर दिया गया है।

दो कंपनियों का दावा, दो कर्मी संक्रमित

पेज 1 का बाकी

जानकारी दी। डेल कर्मचारी टेक्सास के राउंड रॉक में कंपनी के कार्यालय में गए थे। माइंडट्री के कर्मचारी की भी विदेश से लौटने की बात कही जा रही है। वहीं राज्यसभा में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इटली में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जल्द ही चिकित्सा दल भेजा जाएगा। सरकार विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

पोस्टर हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार

पेज 1 का बाकी

को लगाने का मकसद प्रदेश की राजधानी में 19 दिसंबर को आयोजित नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों को शर्मसार करना था।

इन पोस्टरों में प्रकाशित नामों और तस्वीरों में सामाजिक कार्यकर्ता एवं नेता सदफ जाफर, और पूर्व आइपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के नाम भी शामिल थे। ये पोस्टर लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं।

'हर हाल में ज्योतिरादित्य के साथ'

पेज 1 का बाकी

हैं और हर हाल में अपने नेता सिंधिया के साथ हैं। सिंधिया खेमे के छह मंत्रियों इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉ प्रभुराम चौधरी सहित 19 विधायकों ने बुधवार को यहां वीडियो जारी कर सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के फैसले का समर्थन किया और उनका साथ देने की बात कही। मंत्री इमरती देवी ने कहा- महाराज ने अच्छा फैसला लिया है। हमको वे किसी जगह ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब कहीं नहीं ले जाते और मुझसे कहते कि कुंए में गिरना है तो मैं कुंए में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहां हमारे महाराज साहब हैं, वहां इमरती है। हम सब 22 विधायक हैं सब उनके साथ हैं। इमरती देवी ने वीडियो में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं थी। हम सबसे ज्यादा परेशान थे उस पार्टी में रहकर, जिस पार्टी से आज हम त्यागपत्र देकर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं।

सिंधिया खेमे के मंत्री तुलसी सिलावट ने वीडियो में कहा- परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो फैसला लिया है, उसमें हम साथ हैं। वे किसी भी पार्टी, चाहे भाजपा में जाएं तो यहां 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं। सब स्वेच्छा से आए हैं। किसी के दबाव में नहीं हैं। सिंधिया जो फैसला करेंगे, पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे।

मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने वीडियो में कहा- गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं की है। उनके साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने की, यह जानते हुए कि सिंधिया जी की मेहनत से 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि एक ओर खजाना खाली होने की बात करते हैं वहीं मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में 12,000 करोड़ की योजनाएं बनवाते हैं तो क्या बाकी विधायक और मंत्री झक मार रहे हैं। क्या यह हमारी उपेक्षा नहीं है। क्या यह मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा नहीं है। सिसोदिया ने ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने का समर्थन करते हुए कहा कि महाराज जिस भी पार्टी में जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे।

सातों कांग्रेसी सांसदों का निलंबन वापस

पेज 1 का बाकी

निलंबन को तत्काल समाप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद अध्यक्ष ने घोषणा की कि पांच मार्च को निलंबित किए गए सदस्यों के निलंबन के आदेश तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

इससे पहले, कांग्रेस के सात सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस एवं द्रमुक के सदस्यों ने हंगामा किया जिसके बाद कार्यवाही आरंभ होने के करीब 10 मिनट बाद दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस एवं द्रमुक के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए और निलंबन वापस लेने की मांग की। कांग्रेस एवं द्रमुक सदस्यों ने निलंबन वापस लो, गृह मंत्री सदन में आओ और गृह मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। सदन में नारेबाजी जारी रहने के बाद सोलंकी ने करीब 11:10 बजे कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस के इन सदस्यों को पांच मार्च को अध्यक्षीय पीठ से कुछ कागज उठाने और उन्हें फाड़कर उछालने के कारण सदन का निरादर करने के मामले में मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था।

अध्यक्ष ने कहा कि संसद में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, उससे मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर कागज फेंकना, मार्शल से कागज छीनना, प्लेकार्ड लाना आदि दृश्य देखे गये। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सदन में महिला सदस्यों के बीच अप्रिय स्थिति बनने और कुछ नेताओं को व्यक्तिगत रूप से चिह्नित करते हुए आरोप लगाने जैसे घटनाक्रम घटे जिनकी आवश्यकता नहीं थी।

बिरला ने कहा कि कुछ सदस्यों ने उदाहरण दिये कि पहले भी इससे ज्यादा अप्रिय घटनाक्रम सदन में घटे हैं। उन्होंने कहा, क्या हम उन्हें उचित मानते हैं? क्या हम उनकी पुनरावृत्ति चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सभी सदस्य कोशिश करें कि आसन के पास नहीं आना पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीने में सभी के सहयोग से सदन में कामकाज का कीर्तिमान स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान व्यवधान के बावजूद सदन स्थगित नहीं हुआ।

बिरला ने कहा कि इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दलों के नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई कि उनके सदस्य कभी आसन के समीप नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति आएंगे जाएंगे लेकिन पीठ की गरिमा बनी रहनी चाहिए। मैं आपके विश्वास और भरोसे पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। बिरला ने कहा कि हमें संसद से ग्राम पंचायत स्तर तक स्वस्थ लोकतंत्र का संदेश देना है। इससे पहले लोकसभा के घटनाक्रम से आहत अध्यक्ष ने चार दिन तक सदन का संचालन नहीं करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं ने उनसे संचालन का अनुरोध किया। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें लोकसभा अध्यक्ष पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने अध्यक्ष से सातों सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की मांग की।

सिंधिया भाजपा में, मिला राज्यसभा का टिकट

पेज 1 का बाकी

काम किया। नड्डा ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी की बात ही राजमाता के पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए हैं। नड्डा ने अपनी और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सिंधिया का स्वागत और अभिननंद किया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा में उन्हें मुख्यधारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। नड्डा ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने सिंधिया से कहा कि आप उन्मुक्त वातावरण में, उन्मुक्त तरीके से अपनी बात रखिए।

सदस्यता ग्रहण करने के बाद सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने परिवार में आमंत्रित करने पर धन्यवाद दिया।

मौजूदा कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस नहीं रही : ज्योतिरादित्य ने कहा कि मैंने हमेशा माना है कि हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए। राजनीति उस लक्ष्य की पूर्ति का एक माध्यम भर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिता जी ने और 18 वर्षों में मैंने पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश और देश की सेवा करने की कोशिश की है। मेरा मन व्यथित और दुखी है क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बाद में कह सकता हूं कि आज उस संगठन के माध्यम से जनसेवा नहीं हो पा रही है। वर्तमान कांग्रेस पहली वाली कांग्रेस नहीं रही। पार्टी में नई सोच, नई विचारधारा और नए नेतृत्व को मान्यता नहीं मिल रही है।

ज्योतिरादित्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के साथ प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ही हालत सही नहीं है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब हमने सरकार बनाई थी तो लोगों को कई सपने दिखाए थे लेकिन 18 महीने में वे सभी सपने बिखर गए। किसानों के ऋण दस दिनों में माफ होने थे लेकिन आज तक नहीं हुए। किसानों के साथ प्रदेश का नौजवान भी बेबस हो चुका है। कांग्रेस ने वचनपत्र में कहा था कि बेरोजगार युवाओं को हर महीने एक भत्ता दिया जाएगा जो आज तक नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर तो बढ़े नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के अवसर उत्पन्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश में स्थानांतरण उद्योग चल रहा है। रेत का माफिया काम कर रहा है।

नरेंद्र मोदी के हाथों में भारत का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित : ज्योतिरादित्य ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार शायद किसी सरकार को दोबारा इतना बड़ा जनादेश मिला है। यह जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाया है। योजनाओं के क्रियान्वयन की क्षमता प्रधानमंत्री में है। भविष्य की चुनौतियों को समझना और उनको सामना करने की योजना बनाने की क्षमता भी प्रधानमंत्री मोदी में ही है। ज्योतिरादित्य ने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य के भाजपा में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया।

शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश से आए थे दंगाई; गहरी साजिश

पेज 1 का बाकी

जिनकी जान गई है उन सभी के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी की दोपहर दो बजे हिंसा की पहली घटना की सूचना आई और 25 फरवरी को रात 11 बजे के बाद सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं घटी। हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उसने हिंसा को पूरी दिल्ली में नहीं फैलने देने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल 203 थाने हैं और हिंसा केवल 12 थाना क्षेत्रों तक सीमित रही। दिल्ली पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी हिंसा को रोकने की थी। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को दोपहर दो बजे के आसपास हिंसा की घटना की पहली सूचना मिली और अंतिम सूचना 25 फरवरी 11 बजे मिली, यानी ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे हिंसा चली। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कोई निर्दोष परेशान नहीं होगा। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जांच हो रही है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री के जवाब का बायकॉट कर दिया। गृह मंत्री के जवाब का बायकॉट करने वाले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से संसद परिसर में कहा कि यह सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। गृह मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने दिल्ली पुलिस को सही कार्रवाई करने से रोका। इसलिए हमने गृह मंत्री के जवाब का बायकॉट किया।

ताहिर हुसैन पर धनशोधन का मामला

पेज 1 का बाकी

रहे हैं। पीएफआइ पर भी धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। यह संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी एक पीएमएलए जांच का सामना पहले से कर रहा है। संगठन पर आरोप है कि उसने देश में सीएए विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर 120 करोड़ रूपए मुहैया करवाए। एजंसी बीते पखवाड़े में संगठन के कई पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। यह मामला पीएफआइ और अन्य सहयोगी संगठनों के खिलाफ 2018 की एनफोर्समेंट केस इंफर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर बना है। यह रिपोर्ट पुलिस प्राथमिकी के बराबर है। संगठन का दावा है कि उसके वित्तीय लेनदेन पूरी तरह से पारदर्शी हैं।

मामले में पूछताछ के लिए ईडी हुसैन को हिरासत में देने की मांग कर सकती है। हुसैन वर्तमान में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजंसी ने हुसैन, पीएफआइ तथा अन्य के खिलाफ कथित धन शोधन तथा अवैध धन मुहैया करवाने के मामले की जांच के संबंध में दर्ज की गई कुछ प्राथमिकियों का संज्ञान लिया।

www.readwhere.com

होली पर देशभक्ति का गीत बजा रहे युवक को गोली मारी

भागलपुर 11 मार्च (जनसत्ता)।

भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव में देशभक्ति गीत डीजे से बजाने पर एक युवक को गोली मार दी गई। एक समुदाय के लोगों ने गीत बजाने पर आपत्ति जताई और गीत बंद करने को कहा। नहीं मानने पर उत्तेजित युवकों ने घर में घुस कर विष्णुदेव मंडल (30) को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों तरफ से पथराव होने की खबर है। यह घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक को हिरासत में लिया है। ज़िलाधीश प्रणब कुमार हालात काबू में बताया है।

सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर गई। एसएसपी भी वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा गया है। बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। ज़िलाधीश के मुताबिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोषी को गिरफ्तार करने के वास्ते छापेमारी कर रही है। विष्णुदेव गुजरात में काम करता था। होली पर अपने घर आया था।

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
में
निदेशक (तकनीकी)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 मई, 2020 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।
विज्ञापन संख्या : 35/2020

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82/83 सीआरपीसी देखिए)
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त सागर मल्होत्रा पुत्र आनंद मल्होत्रा, पता डी–37, जेजे कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 787/2016, दिनांक 23.10.2016 धारा 338 भा.द.स. के तहत एव 25/27 आर्म एक्ट थाना नेब सराय, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त सागर मल्होत्रा, नहीं मिल रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि सागर मल्होत्रा, फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 787/2016, दिनांक 23.10.2016 धारा 338 भा.द.स. के तहत एव 25/27 आर्म एक्ट, थाना नेब सराय, दिल्ली के उक्त सागर मल्होत्रा, से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.04.2020 को या इससे पहले हाजिर हो।
आदेशानुसार
श्री अनुज कुमार सिंह
महानगरीय मजिस्ट्रेट,
कमरा नं. 212, द्वितीय तल,
साकेत कोर्ट, नई दिल्ली
DP/10/SD/2020

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 सीआरपीसी देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दानिश उर्फ छापड पुत्र आमिर अहमद निवासी हाउस नं.-448, गली नं.3, शनि बजार, करदम पुरी, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/19 भा.द.स. की धारा 336/34 के तहत, थाना ज्योति नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त दानिश उर्फ छापड मिल नहीं रहा है और समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त दानिश उर्फ छापड फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 119/19 भा.द.स. की धारा 336/34 के तहत, थाना ज्योति नगर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दानिश उर्फ छापड से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 13.04.2020 को या उससे पूर्व हाजिर हो।
आदेशानुसार
श्रीमती गीता, एलडी.
महानगर दण्डाधिकारी -4,
केकेडी, कोर्ट्स, दिल्ली
DP/10/NE/2020-(Court Matter)

ई–एफ.नं. एल/ए–11011/1/2019–लैब
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान
(नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान)
ग्वाल–पहारी, गुड़गाँव
सीधा–साक्षात्कार
एनआईएसई द्वारा पूरी तरह से अस्थाई संक्षिप्त कालिक अनुबंध आधार पर "उच्च क्षमता के सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम्स के डिजाइन एवं विकास" के लिये अधिकृत आर एंड डी प्रॉजेक्ट के विभिन्न पदों के लिये आवेदन आमंत्रित हैं।
विस्तृत विज्ञापन के लिये कृपया संस्थान की वेबसाईट www.nise.res.in देखें।
यह सीधा–साक्षात्कार 16 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सूर्या भवन, गुड़गाँव, हरियाणा–122003 में आयोजित की जायेगी।
हस्ता./–
डीजी, एनआईएसई
davp 28102/11/0004/1920

"प्रपत्र - ए"
सार्वजनिक उद्घोषणा
भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन,
ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	27 दिसम्बर, 2007
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कपनीज दिल्ली (आरओसी) दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51101DL2007PTC171871
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी–143, ओखला, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, ओखला, दिल्ली–110020
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	3 मार्च, 2020 (आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति की तिथि 09 मार्च, 2020)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	30 अगस्त, 2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : योगन्दर पाल सिंघल रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00492/2017-18/10880
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु बोर्ड में पंजीकृत पता और ई–मेल	पता: बी–292, अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 ई–मेल : info@ypsinghalassociates.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु पता और ई–मेल	पता: बी–292, अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 ई–मेल : ip.globalinfonet@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	23 मार्च, 2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ) संबंधित प्रपत्र और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है।	(अ) वेबलिंक https://ibbi.gov.in/home/downloads (ब) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2020 (आर्डर प्राप्त करने की तिथि 09 मार्च, 2020) को ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि. के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 23 मार्च, 2020 को अथवा पूर्व, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष उक्त आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते तथा ई–मेल पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण दस्ती व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।
योगेन्दर पाल सिंघल (अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल)
ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि.
पंजीकृत सं. IBBI/IPA-001/IP-P00492/2017-18/10880
दिनांक: 09.03.2020
स्थान : नई दिल्ली

एसआरएस लिमिटेड– परिसमापन में
(माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 के अनुसार)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 31(2) के तद्नुसार, एसआरएस लिमिटेड के परिसमापक (वर्तमान में दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत परिसमापन में दाखिल) ने दिनांक 09.03.2020 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच को हितधारकों की सूची दाखिल की है। हितधारकों की सूची में उन हितधारकों के दावे शामिल हैं जो दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अंतर्गत एसआरएस लिमिटेड की परिसमापन प्रक्रिया में प्राप्त और दाखिल किए गए हैं। हितधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.srsparivar.com पर भी उपलब्ध है।
ह./–
अशोक कुमार गुल्ला,
एसआरएस लिमिटेड का परिसमापक
आईबीबीआई रजि. नं. IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174
आरबीएसए रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइजर्स एलएलपी, फ्लैट नं 23, आइ ए पी एल हाउस, दूसरा तल, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 11.03.2020
ईमेल: ashok.gulla@rbsa.in, ip.srs@rbsa.in

EXIT PRICE PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF RAJPARIS CIVIL CONSTRUCTIONS LIMITED

RCC RAJPARIS QUALITY SINCE 1980

Rajparis Civil Constructions Limited
(CIN: L45201TN1988PLC015289)
Registered Office: 30, Greams Lane, Thousand Lights, Chennai - 600 006, Tel: 044-28290566, Corporate Office: Century Plaza, 7th Floor, E, 560 - 562, Anna Salai, Chennai - 600018, Tel: 044-24330035, Website: www.rajparis.in, Email: keerthana@rajparis.in, Contact Person: Ms. Keerthana M, Company Secretary.

This Public Announcement ("PA") is being issued by Karvy Investor Services Limited (the "Manager to the Offer") on behalf of (1) Mr R Satchidanandam, (2) Mr R Jeya Kumar and(3) Mr K Veluchamy (herein after referred to as the "Acquirers")in respect of the proposed acquisition of fully-paid up equity shares and consequent delisting of Equity Shares of Rajparis Civil Constructions Limited (the "Company" or "RCCL") pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (the "Regulations") (hereinafter referred to as the "Delisting Offer" / "Offer"). This Public Announcement is in continuation of and should be read in conjunction with the original PA dated February 12, 2020 (Wednesday) published on February 13, 2020 (Thursday) in the below mentioned newspapers and Letter of Offer dated February 15, 2020 (Saturday) despatched to all the public shareholders on February 17, 2020 (Monday):

Newspaper	Language	Editions
The Financial Express	English	All Editions
Jansatta	Hindi	All Editions
Lakshya Deep	Marathi	Mumbai Edition

and along with Letter of Offer dated February 15, 2020 (" Letter of Offer") which was sent to all the public shareholders of RCCL by Cameo Corporate Services Limited (the "Registrar to the Offer") whose names appeared on February 13, 2020 ("Specified Date") in the register of members of Rajparis Civil Constructions Limited.

The Acquirers hereby announce the results of the Delisting Offer made through Reverse Book-Building Process ("RBBP") using the electronic facility of BSE Limited ("BSE").

The Offer opened on February 26, 2020 (Wednesday) and closed on March 03, 2020 (Tuesday). The total bids tendered in the Offer were 40 constituting 9,40,400 equity shares at the following rates:

Number of Bids Received	Price (in Rs.)	Quantity	Cumulative Quantity
40	40.00	9,40,400	9,40,400

Discovered Price & Exit Price which is accepted by the Acquirers.

The total valid bids which are accepted in the Offer are 40 constituting 9,40,400 equity shares aggregating to 70.89% of the Offer Size. Also, the post-offer promoters' holding including the shares accepted in the Offer aggregates to 92.71% of the fully paid-up capital of RCCL. Therefore, the Offer is deemed to be successful in terms of Regulation 17 of the Regulations.

ACCEPTANCE OF EXIT PRICE AND DELISTING

The Acquirers have accepted the discovered price of Rs. 40.00 (Rupees Forty Only) per Equity Share i.e. ("Exit Price") established by the reverse book building process using the electronic facility of the BSE, in accordance with the SEBI Regulations (being the price at which the maximum number of Shares were tendered) and shall accept all the bids at the Exit Price and the shareholders of the Company who have validly tendered their Shares at the Exit Price will be paid the consideration at the Exit Price of Rs. 40.00 per Equity Share.

Since the Offer is, deemed to be successful in accordance with Regulation 17 of the Regulations the Acquirers will initiate necessary steps to delist the Shares of the Company from Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSEI").

Payment of consideration to the Shareholders whose shares have been accepted under the Offer will be completed on BSE's Clearing Corporation as per the scheduled timeline of March 13, 2020.

OUTSTANDING SHARES AFTER DELISTING

The remaining shareholders of the Company post the delisting will be able to offer their shares to the Acquirers at the Exit Price during the period of one year following the date of delisting of the shares of the Company from the MSEI in accordance with the Regulations.

The terms used but not defined in this Public Announcement shall have the same meanings assigned to them in the original PA and the Letter of Offer. If the Shareholders have any query with regard to the Offer, they should consult the Manager to the Offer or the Registrar to the Offer (details appearing below).

MANAGER TO THE OFFER
KARVY INVESTMENT BANKING
KARVY INVESTOR SERVICES LIMITED
Plot No.31, 8th Floor, Karvy Millennium, Nanakramguda, Financial District, Gachibowli Hyderabad - 500 032, Telangana, India.
Tel.: +91 40-23428774/33216840 to 33216844
Fax: +91 40-23374714/23311968
Email: cmg@karvy.com
Website: www.karvyinvestmentbanking.com
Contact Person: M.P. Naidu / K. Sushmitha
SEBI Registration No.: INM000008365

REGISTRAR TO THE OFFER:
CAMEO
CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED
Subramanian Building, No. 1, Club House Road, Chennai – 600 002
Tel: +91-44 - 2846 0390 (5 Lines)
Fax: +91-44 - 2846 0129
E-mail: investor@cameoindia.com
Contact Person: Ms. Sreepriya .K
Website: www.cameoindia.com
SEBI Registration No.: INR000003753
CIN: U67120TN1998PLC041613

For and on behalf of the Acquirers
Sd/- R Satchidanandam
Sd/- R Jeya Kumar
Sd/- K Veluchamy
Date: March 10, 2020
Place:Chennai

(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

COS POWER

COSPOWER ENGINEERING LIMITED
(CIN: U31908MH2010PLC208016)

Our Company was originally incorporated as Cospower Engineering Private Limited at Mumbai as Private Limited Company under the provisions of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated September 22, 2010, bearing Corporate Identification Number U31908MH2010PTC208016, issued by the Registrar of Companies, Mumbai and Maharashtra for the purpose of acquiring the Partnership business of M/s. Cospower Corporation, which was in existence since 2004. Subsequently, our Company was converted into Public Limited Company pursuant to a special resolution passed by members in Extra-Ordinary General Meeting of Company held on January 23, 2020 and the name of our company was changed to Cospower Engineering Limited vide a fresh Certificate of Incorporation dated February 19, 2020, issued by the Registrar of Companies, Mumbai and Maharashtra. The Corporate Identification Number of our Company is U31908MH2010PLC208016.
Registered Office: Flat No.203, 2nd Floor, Kesarinath Apartments, S.V. Road, Opp. Vijay Sales, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra - 400062.
Tel: +91 22–40129990; E-mail: accounts@cospowerindia.com; Website: www.cospowerindia.com
Company Secretary and Compliance Officer: Ms. GarimaGarg; E-Mail: cs@cel.net.in

PROMOTERS: MR. OSWALD ROSARIO DSOUZA AND MR. FELIX SHRIDHAR KADAM

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE UPTO 4,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF COSPOWER ENGINEERING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 41.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 204.00 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 24,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 41.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 12.24 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE UPTO 3,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 51.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 191.76 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.67 % AND 25.07% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated March 09, 2020 from BSE Limited for using its name in the offer document for listing of our shares on the BSE SME. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 192 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
SHRENI SHARES PVT. LTD. SHRENI SHARES PRIVATE LIMITED Office No. 102, 1st Floor, Sea Lord CHS, Plot No. 1/B, 1/A, Survey No. A-12, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai- 400092. Tel: +91 22 28088456 Email: shrenishares@gmail.com Website:www.shreni.in Investor Grievance Email: info@shreni.in Contact Person: Mr. Parth Shah SEBI Registration No.: INM000012759	Bigshare Services Pvt. Ltd. BIG SHARE SERVICES PRIVATE LIMITED 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai – 400059, India Tel: +91-022-62638200 Fax No.: +91-022-62638280 Website: www.bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Contact Person: Mr.Swapnil Kate SEBI Reg.No.: INR000001385	COSPOWER ENGINEERING LIMITED Ms. Garima Garg, Flat No. 203, 2nd Floor, Kesarinath Apartments, S.V. Road, Opp. Vijay Sales, Goregaon West, Mumbai, Maharashtra - 400062. Tel No: + 91 22–40129990 E-mail: accounts@cospowerindia.com; cs@cel.net.in Website: www.cospowerindia.com Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer and/ or Registrar to the Issue and/ or Lead Manager in case of any pre- Issue or post- Issue related matters such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: KOTAK MAHINDRA BANK

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of Cospower Engineering Limited, Lead Manager: Shreni Shares Private Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the website of Lead Manager at www.shreni.in

ISSUE OPENS ON MARCH 17, 2020
CLOSES ON MARCH 19, 2020

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 51 PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first Public Issue of our Company, there has been no formal market for the securities of our Company. The face value of the shares is ₹ 10.00 per Equity Shares and the Issue price is 5.1 times of the face value. The Issue Price (as determined by our Company in consultation with the Lead Manager) as stated in the chapter titled on *"Basis for Issue Price"* beginning on page 81of the Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our Company or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the Prospectus.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE — UPI-now available in ASBA for retail individual investors

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, *"Issue Procedure"* beginning on page 209 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MOA: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 113of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 247 of the Prospectus.

Liability of Members as per MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Capital of ₹ 150,00,000 consisting of 15,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 110,00,000 consisting of 11,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 150,00,000 consisting of 15,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 57 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Mr Oswald Rosario Dsouza: 5,000 Equity share of ₹ 10 each (2) Mr. Felix Shridhar Kadam: 5,000 Equity share of ₹10 each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page113 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see *"Capital Structure"* on page 57 of the Prospectus.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as prescribed to them in the Prospectus dated March 11, 2020.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 24 of the Prospectus before making any investment decision.

For and on behalf of the Board of Directors
Cospower Engineering Limited
Sd/-
Mr. Oswald Rosario Dsouza
Managing Director
DIN: 02711251
Place: Mumbai, Maharashtra
Date: March 11, 2020

Cospower Engineering Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai.The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at www.cospowerindia.com,www.bseindia.com and www.shreni.in, respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 24 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulations under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Raka

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक

.......भरोसे का प्रतीक

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय : उत्तरी दिल्ली तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन : 011-25744163, ई–मेल : condelrd@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं पता
1	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली मैसर्स पूजा ट्रेडिंग क. एक मात्र प्रोपराईटर श्रीमती सुनिता देवी (कर्जदार सह बंधककर्ता) 2061, प्रथम तल, ओल्ड अनाज मण्डी नरेला, दिल्ली–40	24.04.2018 रु. 100.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 25.07.2019 भौतिक	फ्रीहोल्ड खेवत न. 992, किटा –2, रकबा –6 कनाल, 8 मरला (3/128 हिस्सा) एरिया 0–3 मरला, आदर्श नगर, समालखा, पानीपत–132103, क्षेत्रफल 89 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कवर भान के नाम पर है।	रु. 114.25 लाख रु.11.43 लाख [07.04.2020] रु.25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
2	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली (पीएनबी रु. 13821.20 लाख, कॉर्पोरेशन बैंक रु. 3523.70 लाख, ओबीसी रु. 3855.74 लाख, बीओआई रु. 2223.23 लाख, आन्ध्रा बैंक रु. 2736.86 लाख) मैसर्स श्रीधर मिल्क फूड्स लि. मैसर्स श्रीधर मिल्क फूड्स लि. (कर्जदार) नं. 632/7 द्वितीय तल खारी बावली दिल्ली–110006, श्री श्याम गोयल पुत्र स्वं. श्री आर.डी. गोयल (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता) मकान नं. 406 सेक्टर 37 फरीदाबाद हरियाणा – 121003 श्री अनिरुद्ध गोयल पुत्र श्री श्याम गोयल (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता) मकान 406 सेक्टर 37, फरीदाबाद हरियाणा – 121003, श्रीमती साधना गोयल पत्नी श्री श्याम गोयल (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता) मकान नं. 406 सेक्टर 37 फरीदाबाद हरियाणा – 121003 श्री विशाल गोयल पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (गारंटर) ब्लॉक डी प्लॉट नं. डी–1112 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली–110065, मैसर्स श्री बांके कुंज विहारी मिल्क फूड्स प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर) नं. 632/8 द्वितीय तल खारी बावली दिल्ली–110006 और मैसर्स वैभव लक्ष्मी एंटरप्राइजेज प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर) नं. 632/8 द्वितीय तल, खारी बावली दिल्ली –110006	31.03.2018 रु. 27579.45 लाख संयुक्त सभी बैंक + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 26.08.2019 सांकेतिक	रिहायशी भूमि एवं भवन प्लॉट न. 93–पी, सेक्टर–46, अरबन इस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 में स्थित, क्षेत्रफल 480 वर्ग मी. लगभग, यह सम्पत्ति श्री श्याम गोयल के नाम पर है।	रु. 165.86 लाख रु. 16.59 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
3		31.03.2018 रु. 27579.45 लाख संयुक्त सभी बैंक + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 26.08.2019 सांकेतिक	प्लॉट भूमि जोकि गेट न. 473, ग्राम अराजी, भूमिधोरी, करनपुर, कयस्था, तह. सम्भल, जिला मुरादाबाद, यू.पी–244001 में स्थित क्षेत्रफल 14000 वर्ग मी. लगभग, यह सम्पत्ति श्री अनिरुद्ध गोयल के नाम पर है।	रु. 140.00 लाख रु. 14.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
4		31.03.2018 रु. 27579.45 लाख संयुक्त सभी बैंक + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 27.08.2019 सांकेतिक	सम्पत्ति प्लॉट नं. एस–4/159, योजना चितन्य विहार, आवासिये योजना, फेज ।।, राईपुर, बंगेर, वृंदावन (यू. पी)– 281121 में स्थित, क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी. लगभग, यह सम्पत्ति श्रीमती साधना गोयल के नाम पर है।	रु. 24.30 लाख रु. 2.43 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
5		31.03.2018 रु. 27579.45 लाख संयुक्त सभी बैंक + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 26.08.2019 सांकेतिक	रिहायशी भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. 406, सैक्टर–37, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 258.34 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती साधना गोयल के नाम पर है। (खाता श्री बांके कुंज विहारी मिल्क फूड्स प्रा. लि. में द्वितीय प्रभार, प्रथम प्रभार)	रु. 316.00 लाख रु. 31.60 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
6	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली मैसर्स ओम श्री प्रमोटर्स प्रा. लि. मैसर्स ओम श्री प्रमोटर्स प्रा. लि. (कर्जदार सह बंधककर्ता) 55/2 अणुव्रत विहार सबहापुर एक्स. दिल्ली–94, धनेश शर्मा (गारंटर) 55/2 अणुव्रत विहार सबापुर एक्स. दिल्ली–94 रवि शर्मा (गारंटर) 55/2 अनुव्रत विहार सबहापुर एक्स. दिल्ली –94	12.07.2017 रु. 263.72 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 22.12.2017 भौतिक	फ्री होल्ड दुकान न.1 औद्योगिक प्लॉट न. 10, खसरा न. 88 का हिस्सा, क्षेत्रफल 18.394 वर्ग मी., प्रकाश औद्योगिक ईस्टेट, गाँव कडकड मोदन, साहिबाबाद परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी–201005 मे स्थित यह सम्पत्ति मैसर्स ओम श्री प्रमोटर्स प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 30.00 लाख रु. 3.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
7			फ्री होल्ड दुकान नं 2 से 14, प्रथम तल, कुल क्षेत्रफल 2509.50 वर्ग फीट, औद्योगिक प्लॉट नं. 10, प्रकाश औद्योगिक ईस्टेट, गाँव कडकड मोदन, साहिबाबाद परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी–201005 मे स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स ओम श्री प्रमोटर्स प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 190.00 लाख रु. 19.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
8	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली–110091 इंट्रेड कॉटन (प्रा.) लि. (कर्जदार कम बंधककर्ता), सी–178 द्वितीय तल, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2 दिल्ली–64, करन कालरा (निदेशक सह गारंटर) टीजी/7बी आर्किड गार्डन सिटी सेक्टर–54 गुड़गांव हरियाणा–122022, कुंज कालरा (निदेशक सह गारंटर) टीजी/7 बी आर्किड गार्डन सन सिटी सेक्टर–54 गुड़गांव हरियाणा–122022, कमल कालरा (गारंटर) टीजी/7बी आर्किड गार्डन, सन सिटी–54 गुड़गांव हरियाणा–122022 और रचना कालरा (गारंटर) टीजी/7 बी ऑर्किड गार्डन सन सिटी सेक्टर–54 गुड़गांव हरियाणा–122022	05.10.2012 रु. 958.87 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 09.05.2014 भौतिक	फैक्टी भूमि एवं भवन प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 5740.80 वर्ग गज, नं. 65, होज का मिर्ये औद्योगिक क्षेत्र, रोहना, हरियाणा– 122066 में स्थित, फ्री होल्ड यह सम्पत्ति इंट्रेड कॉटन प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 405.00 लाख रु. 40.50 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
9	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली मैसर्स कंसकक इंजीनियर्स मैसर्स कंसकक इंजीनियर्स एकमात्र प्रोपराइटर रोहित सूरी (कर्जदार सह बंधककर्ता), प्लॉट नं. 1 और 2 बडकल लेक क्रॉसिंग के पास, बडकल लेक कंप्लेक्स फरीदाबाद हरियाणा, विजय मदान (गारंटर) मकान नं. 453 सेक्टर–18 फरीदाबाद हरियाणा, सुनीता सूरी (गारंटर) मकान नं. 362 सेक्ट–16ए फरीदाबाद हरियाणा	12.07.2012 रु. 728.44 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 09.10.2012 सांकेतिक	फ्री होल्ड दुकान एसएफ–2, पार्ट 2, कान प्लाजा कॉम्पलैक्स, प्लॉट न. बीपी 28 और बीपी 27, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा – 121001, क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग फीट (लगभग 139.35 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री रोहित सूरी के नाम पर है।	रु. 32.40 लाख रु. 3.24 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
10	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली ऋषि खारी एंड कंपनी ऋषि खारी एंड कंपनी एकमात्र प्रोपराइटर कृष्ण भारद्वाज (कर्जदार) 13/8 गली नं. 2 सफाईबाद रोड संजय कॉलोनी नरेला दिल्ली–40, सतीश कुमार भारद्वाज (गारंटर्स सह बंधककर्ता) 13/8 गली नं. 2 सफाईबाद रोड संजय कॉलोनी नरेला दिल्ली–40, कमलेश भारद्वाज (गारंटर) 13/8 गली नं.2 सफाईबाद रोड संजय कॉलोनी नरेला दिल्ली–40	20.04.2018 रु. 96.10 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 26.11.2018 भौतिक	फ्री होल्ड रिहायशी मकान निर्मित प्लॉट खसरा नं. 13/8 का हिस्सा, गली नं. 2 (जिसे अब गली नं. 1 कहते हैं) आबादी पुरानी बस्ती जिसे अब संजय कॉलोनी कहते है, (शिव मन्दिर कॉलोनी) स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल के पास सैफाबाद रोड, गाँव नरेला, दिल्ली– 110040 में स्थित, क्षेत्रफल 480 वर्ग गज, यह सम्पत्ति सतीष कुमार भारद्वाज पुत्र श्री जय नरायण भारद्वाज के नाम पर है।	रु. 90.00 लाख रु. 9.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
11	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और एसबीआई भी एफई इंडिया लिमिटेड एफए इंडिया लिमिटेड (कर्जदार), डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश– ।।, नई दिल्ली–110048, श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता), एस–474, ग्रेटर कैलाश, पार्ट– ।।, नई दिल्ली–48, मैसर्स वाईटवुड ट्रेडिंग प्रा. लि. (पूर्व में कृष्णा फिनलेज प्रा. लि.) (गारंटर सह बंधककर्ता) I एफ–2 और एफ –3 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट–।। नई दिल्ली–48, मैसर्स नेप्च्यून बिल्डमार्ट प्रा. लि. लिमिटेड (गारंटर कम बंधककर्ता) एफ–4 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट– ।।, नई दिल्ली–48, मैसर्स विशेष रियल्टी प्रा. लि. (गारंटर कम बंधककर्ता) एस–3 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट– ।।, नई दिल्ली–48 और अंदाज मर्केट प्रा. लि. (गारंटर) 90/एन, ब्लॉक–ई, तृतीय तल, न्यू अलीपुर, पश्चिम बंगाल–700053	पंजाब नेशनल बैंक 13.07.17 Rs. 9343.22 Lakhs, भारतीय स्टेट बैंक 23.06.17 Rs. 4025.35 Lakhs., केनरा बैंक 16.08.2017 Rs. 4910.24 Lakhs., सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 19.07.2017 Rs. 2779.91 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.03.2018 भौतिक	फ्लैट न. एफ–1, प्रथम तल, भूमि प्लॉट न. डब्ल्यू – 19, ग्रेटर कैलाश पार्ट– ।।, नई दिल्ली–110048 मे स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. जिसका नाम परिवर्तित होकर मैसर्स व्हिटवुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. है, के नाम पर है। क्षेत्रफल 1300 वर्ग फीट	रु. 171.00 लाख रु. 17.10 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
12			फ्लैट न. एफ2, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं. डब्ल्यू–19, ग्रेटर कैलाश पार्ट– ।।, नई दिल्ली–110048 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. जिसका नाम परिवर्तित होकर मैसर्स वाईटवुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. है, के नाम पर है। क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 127.80 लाख रु. 12.78 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
13			फ्लैट नं. एफ3, प्रथम तल, भूमि प्लॉट नं. डब्ल्यू–19, ग्रेटर कैलाश पार्ट– ।।, नई दिल्ली–110048 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स कृष्णा फिनलीज (प्रा.) लि. जिसका नाम परिवर्तित होकर मैसर्स वाईटवुड ट्रेडिंग (प्रा.) लि. है, के नाम पर है। क्षेत्रफल 1035 वर्ग फीट	रु. 127.80 लाख रु. 12.78 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
14	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली अन्य कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों मैसर्स शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वर्तमान परिसमापन (उधारकर्ता) के तहत श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरि शंकर गुप्ता (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता) श्री मनीष गोयल पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (निदेशक सह गारंटर) श्री विशाल गोयल पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (गारंटर सह बंधककर्ता) मैसर्स शिल्पी केबल प्राइवेट लिमिटेड, वर्तमान परिसमापन में (कॉर्पोरेट गारंटर सह बंधककर्ता) के तहत मैसर्स शिल्पी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर) और मैसर्स एमवीएम इम्पेक्स प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 15.12.2017 रु. 22580.17 लाख, पंजाब नेशनल बैंक 02.01.18 Rs. 12865.33 लाख भारतीय स्टेट बैंक 28.11.18 Rs. 22004.33 लाख, एक्सिस बैंक लिमिटेड 15.11.2018 Rs. 2822.95 लाख, विजया बैंक (Presently BOB) 04.12.2017 Rs. 5811.84 Lakhs, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 08.01.19 Rs. 7012.51 लाख, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 13.11.18 Rs. 3662.71 लाख, सिंडिकेट बैंक 27.12.2017 Rs. 3545.37 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15.11.2018 Rs. 4782.02 लाख., केनरा बैंक 30.01.2019 Rs. 7795.23 लाख., बैंक ऑफ इंडिया 20.01.2018 Rs. 6482.01 Lakhs, आंध्रा बैंक 08.11.2018 Rs. 7411.47 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.02.2020 भौतिक	**सम्पत्ति एमसीडी नं. 269, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता के नाम पर है।**	रु. 127.00 लाख रु. 12.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
15			**सम्पत्ति एमसीडी नं. 268, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 324 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री विशाल गोयल के नाम पर है।**	रु. 137.00 लाख रु. 13.70 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
16			**सम्पत्ति एमसीडी नं. 21, खसरा नं. 358 AALI इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 167 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता के नाम पर है।**	रु. 70.00 लाख रु. 7.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
17	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली मैसर्स इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड, नं. 12 प्रथम तल ईस्ट एंड एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली (कर्जदार सह बंधककर्ता), श्री राकेश शर्मा (निदेशक सह गारंटर), 2386 चिपीवाड़ा जामा मस्जिद नई दिल्ली, श्री राजीव गुप्ता (निदेशक सह गारंटर) बी–102 जनसत्ता अपार्टमेंट सेक्टर–9 वसुंधरा गाजियाबाद, श्री प्रशांत कुमार शर्मा (गारंटर सह बंधककर्ता) लक्ष्मी विहार भद्रवद हरिद्वार उत्तराखंड, एकमात्र प्रोपराइटर राजीव गुप्ता (गारंटर सह बंधककर्ता), 12 प्रथम तल ईस्ट एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, श्रीमती चारु गुप्ता (गारंटर) बी–102 जनसत्ता अपार्टमेंट सेक्टर–9 वसुंधरा गाजियाबाद और श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता (गारंटर सह बंधककर्ता) बी–102 जनसत्ता अपार्टमेंट सेक्टर–9 वसुंधरा गाजियाबाद	18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 31.01.2015 सांकेतिक	रिहायशी फ्लैट न. 102, ब्लॉक बी, प्रथम तल, जनसत्ता अपार्टमेंट, सैक्टर–9, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू. पी– 201012 में स्थित, क्षेत्रफल 148.64 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के नाम पर है।	रु. 72.00 लाख रु. 7.20 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
18		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 31.01.2015 सांकेतिक	सम्पूर्ण भूतल छत के स्तर तक बिना छत के अधिकार के क्षेत्रफल 102.84 वर्ग मी. साथ में भूतल पर दो कार की पार्किंग, प्लॉट न. 29, सम्पत्ति म्युनिसीपल न. 1/1873 ए, खसरा न. 128 मिन में से, गाँव चन्दावली बनाम शाहदरा मानसरोवर पार्क, दिल्ली में स्थित, भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ सम्पूर्ण सम्पत्ति मैसर्स **इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लि. के नाम पर है।**	रु. 43.20 लाख रु. 4.32 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
19		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 31.01.2015 सांकेतिक	सम्पूर्ण द्वितीय छत के स्तर तक, बिना छत के अधिकार के क्षेत्रफल 102.84 वर्ग मी. साथ में भूतल पर दो कार की पार्किंग, प्लॉट न. 29, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 1/1873 ए, खसरा न. 128 मिन में से, गांव चन्दावली बनाम शाहदरा मानसरोवर पार्क, दिल्ली में स्थित, भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ सम्पूर्ण सम्पत्ति मैसर्स **इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लि. के नाम पर है।**	रु. 43.20 लाख रु. 4.32 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
20		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 20.03.2015 भौतिक	लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट नं. सी–95, फेज– ।।।, एल्डीको सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज, खसरा नं. 38, मरबरहरणा (Marbarhaana) तहसील सितारगंज उधम सिंह नगर–262405, उत्तराखण्ड एरिया 1023.57 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स इस्पात उद्योग के नाम पर है।	रु. 24.30 लाख रु. 2.43 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
21		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 20.03.2015 भौतिक	लीज होल्ड औद्योगिक प्लॉट न. सी–96, फेज– ।।।, एल्डीको सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज, खसरा नं. 38, मरबरहरणा (Marbarhaana) तहसील सितारगंज उधम सिंह नगर–262405, उत्तराखण्ड एरिया 1023.57 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स इस्पात उद्योग के नाम पर है।	रु. 24.30 लाख रु. 2.43 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
22		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 20.03.2015 भौतिक	भूमि खाता न. सी–98, खसरा न. 291 मिन रकबा 0.120 हैक्ट, गाँव बुरानगर (Buranagar) तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर–263152, उत्तराखण्ड यह सम्पत्ति श्री प्रशान्त कुमार शर्मा के नाम पर है।	रु. 54.00 लाख रु. 5.40 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
23		18.11.14 रु. 2958.18 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 14.06.2016 भौतिक	फैक्ट्री भूमि एवं भवन साथ में प्लांट एवं मशीनरी, गाँव अम्बाकला बीओ डारना पीएस बारकोट, जिला ढिंगढ, ओडिशा, यह सम्पत्ति मैसर्स **इस्पात एलॉयज इण्डिया (प्रा.) लि. के नाम पर है।**	रु. 525.00 लाख रु. 52.50 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
24	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज ।।, नई दिल्ली मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स, सोल प्रोपराइटरशिप फर्म विकास शर्मा, नं. 16 ए/1102, एचआईजी सेक्टर –16ए वसुंधरा गाजियाबाद–यूपी (कर्जदार सह बंधककर्ता). मैसर्स विकास पंडित होम्स, श्री विकास शर्मा, की एकमात्र स्वामित्व फर्म नं. 27 माल रोड इंदिरापुरम गाजियाबाद–यूपी (कर्जदार सह बंधककर्ता), विकास शर्मा (कर्जदार सह बंधककर्ता), नं. 15/103 एचआईजी डुप्लेक्स वसुंधरा गाजियाबाद–यूपी, अर्चना कृशाली (कर्जदार सह बंधककर्ता), फ्लैट नं. 16ए/201 भूतल सेक्टर–16ए वसुंधरा गाजियाबाद–यूपी	01.12.2014 रु. 1921.82 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.05.2017 भौतिक	प्रथम तल बिना छत के अधिकार, फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट न. 25 (प्लॉट न. 120 वर्ग मी.) जोकि रिहायशी कॉलोनी गोल्डन रेसिडेंसी एन्क्लेव खसरा नं. 21 के साथ ग्राम छाजारसी, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद यू. पी–201010 में यह सम्पत्ति **मैसर्स श्री बांके बिहारी बिल्डर्स और डेवलपर्स,** प्रोपराइटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	रु. 47.69 लाख रु. 4.77 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
25		01.12.2014 रु. 1921.82 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.05.2017 भौतिक	भूतल खाता नंबर 165, खसरा नं. 6 का हिस्सा, प्लॉट नं. 5 (कुल क्षेत्रफल 140 वर्ग मी.) निर्मित क्षेत्रफल 101.75 वर्ग मी. लगभग) गोल्डन रेसिडेंसी एन्क्लेव (अहिंसा खंड–।।) ग्राम छाजारसी, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद यू.पी–201010 के यह सम्पत्ति मैसर्स पंडित होम्स, प्रोपराइटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	रु. 61.20 लाख रु. 6.12 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
26		01.12.2014 रु. 1921.82 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.05.2017 भौतिक	रिहायशी फ्लैट द्वितीय तल सामने का हिस्सा, खाता नंबर 165, खसरा नं. 6 का हिस्सा, प्लॉट न.5, क्षेत्रफल 140.00 वर्ग मीटर, गोल्डन रेसिडेंसी एन्क्लेव (अहिंसा खंड–।।) ग्राम छाजारसी, इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद यू.पी–201010 के यह सम्पत्ति मैसर्स पंडित होम्स, प्रोपराइटर श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	रु. 23.40 लाख रु. 2.34 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
27		01.12.2014 रु. 1921.82 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.05.2017 भौतिक	द्वितीय तल बिना छत के अधिकार फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 25 (प्लॉट क्षेत्रफल 120 वर्ग मी.) जोकि रिहायशी कॉलोनी, गोल्ड रैसीडेन्सी एनक्लेव, खसरा नं. 21 गांव छिजारसी, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी–201010, यह सम्पत्ति श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रोप. विकास शर्मा के नाम पर है।	रु 47.54 लाख रु. 4.76 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
28		01.12.2014 रु. 1921.82 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 16.02.2015 सांकेतिक	रिहायशी एन.आई.जी. फ्लैट नं.नंबर 16ए/201 सेक्टर 16–ए भूतल, सेक्टर–16ए, रिहायशी कॉलोनी वसुंधरा गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद यूपी–201012 में स्थित, क्षेत्रफल 134.99 वर्ग मी., यह सम्पत्ति अर्चना कृशाली के नाम पर है। और अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 161.22 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री विकास शर्मा के नाम पर है।	रु. 137.25 लाख रु. 13.73 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801

Continued to Next Page...

नई दिल्ली

www.readwhere.com

Continued from previous page

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय : उत्तरी दिल्ली तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन : 011-25744163, ई–मेल : condelrd@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं पता
29	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एशियन थाई फूड्स एंड इनवेस्टमेंट प्रा. लि.,** नंबर 39–ए मध्य मार्ग भूतल, डीएलएफ फेज–।।, गुड़गांव हरियाणा (कर्जदार सह बंधककर्ता), मैसर्स लखोटिया डायग्नोस्टिक सर्विस प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर) 493 / सी / ए जीटी रोड विवेक विहार ई–ब्लॉक हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री आदित्य विक्रम लखोटिया (निदेशक सह गारंटर) 241 / 169 जीटी रोड लिलुआह हावड़ा पश्चिम बंगाल, स्व श्री संगीत सारदा (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) (निदेशक सह गारंटर), नं. 28 / 1 शेक्सपियर सरानी फ्लैट नं. 77 गंगा जमुना बिल्डिंग कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्री विक्की शॉ (निदेशक), नं. 19 / 18 नई बस्ती 7 खड़ाह नॉर्थ 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल, श्री सत्य नारायण शॉ (निदेशक), नंबर 19 / 18 नई बस्ती / खड़ाह उत्तर 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल	20.04.2017 रु. 848.22 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 24.05.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) जोकि प्लॉट नं. 1–4, सैक्टर–5 आईआईई पंत नगर, (गांव कल्याणपुर), किच्छा रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड–263153 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एशियन थाई फूड्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लि. (पूर्व में अभिषेक विनियोग प्रा. लि.) के नाम पर है। क्षेत्रफल 14146 वर्ग मी.	रु. 560.00 लाख रु 56.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
30	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स डी डी इंटरप्राइजेज एकमात्र प्रोपराइटर श्री संदीप धीर (उधारकर्ता)** सी–467, बेसमेंट सी.आर पार्क, नई दिल्ली–110019 श्री सतविंदर सिंह (गारंटर कम बंधककर्ता) 2, धीमन नगर, जालंधर, पीबी–144002, श्री सुखविंदर सिंह सोहल (गारंटर सह बंधककर्ता) गांव– परागपुर, जिला–जालंधर, पंजाब –144001	30.09.2014 रु. 196.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 19.05.2016 भौतिक	रिहायशी प्लॉट नं. 168, छोटी बारादरी ।।, गरहा रोड जलंधर रकबा प्लॉट 250 वर्ग गज वाईड सेल डीड 6147 दिनांकित 16.12.2005 यह सम्पति सतविंदर सिंह के नाम पर है।	रु. 73.00 लाख रु 7.30 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
31	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स डी डी इंटरप्राइजेज एकमात्र प्रोपराइटर श्री संदीप धीर (उधारकर्ता)** सी–467, बेसमेंट सी.आर पार्क, नई दिल्ली–110019 श्री सतविंदर सिंह (गारंटर कम बंधककर्ता) 2, धीमन नगर, जालंधर, पीबी–144002, श्री सुखविंदर सिंह सोहल (गारंटर सह बंधककर्ता) गांव– परागपुर, जिला–जालंधर, पंजाब –144001	30.09.2014 रु. 196.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 13.02.2015 सांकेतिक	दुकान नं. एसएफ 9ए, द्वितीय तल, कॉलेज मॉल, परागपुर, जीटी रोड, जलंधर पंजाब – 144024 में स्थित, क्षेत्रफल 896.30 वर्ग फीट लगभग, यह सम्पत्ति श्री सुखविंदर सिंह के नाम पर है।	रु. 36.00 लाख रु. 3.60 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
32	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **गौर सीमेंट एंड आयरन ट्रेडर्स सोल प्रोप्राइटर श्रीमती छाया गौड़ (उधारकर्ता सह बंधककर्ता) सी–9 / 11, कृष्णा नगर, दिल्ली–110051 और: खसरा नं 477, ग्राम छजारसी, जिला गाजियाबाद, यू.पी.**	22.09.2015 रु. 392.23 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 20.11.2017 भौतिक	फ्री होल्ड सम्पूर्ण तीन मंजिला निर्मित सम्पत्ति, भूमि क्षेत्रफल 273.50 वर्ग मी. (अर्थात 327.22 वर्ग गज) जोकि खसरा नं. 477, गांव छजारसी, परगना लोनी, तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती छाया गौर पत्नी श्री संजय कुमार गौर के नाम पर है।	रु. 120.00 लाख रु. 12.00 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
33	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड (कर्जदार सह बंधककर्ता)** 101–ए, द्वितीय तल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014, श्रीमती शीतल मवई (गारंटर सह बंधककर्ता) ए–600, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110096, श्री महेन्द्र सिंह मवई (गारंटर) सी–24, मिग, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी–250001 श्रीमती राम रती देवी (गारंटर सह बंधककर्ता) सी–24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ यू.पी.–250001	03.05.2017 रु. 955.27 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 27.02.2018 सांकेतिक	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट नं. एलआईजी वी एफ 4, प्रथम तल, विनायक ऐवन्यू, गांव करारिया, तहसील हुजुर, जिला भोपाल में स्थित, क्षेत्रफल 31.50 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स ए आर एम टेक इण्डिया लि. के नाम पर है	रु. 8.50 लाख रु. 0.85 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
34	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड (कर्जदार सह बंधककर्ता)** 101–ए, द्वितीय तल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014, श्रीमती शीतल मवई (गारंटर सह बंधककर्ता) ए–600, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110096, श्री महेन्द्र सिंह मवई (गारंटर) सी–24, मिग, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी–250001 श्रीमती राम रती देवी (गारंटर सह बंधककर्ता) सी–24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ यू.पी.–250001	03.05.2017 रु. 955.27 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 27.02.2018 सांकेतिक	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट नं. बी–305, चौथा तल, वर्धमान सिटी प्लाजा, सर्वे नं. 19–22 का भाग, दया बाजार के पास, भोपाल, तहसील हुजुर, जिला भोपाल में स्थित, क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स ए आर एम टेक (इण्डिया) लि. के नाम पर है	रु. 18.00 लाख रु. 1.80 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
35	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड (कर्जदार सह बंधककर्ता)** 101–ए, द्वितीय तल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014, श्रीमती शीतल मवई (गारंटर सह बंधककर्ता) ए–600, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110096, श्री महेन्द्र सिंह मवई (गारंटर) सी–24, मिग, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी–250001 श्रीमती राम रती देवी (गारंटर सह बंधककर्ता) सी–24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ यू.पी.–250001	03.05.2017 रु. 955.27 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 27.02.2018 सांकेतिक	फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल, लेक व्यू अपार्टमेंट, सैक्टर–1, उषा खण्ड, शारदा नगर स्कीम, रॉय बरेली रोड, लखनऊ, (यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 112.26 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स ए आर एम टेक इण्डिया लि. के नाम पर है.	रु 45.00 लाख रु. 4.50 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
36	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड (कर्जदार सह बंधककर्ता)** 101–ए, द्वितीय तल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014, श्रीमती शीतल मवई (गारंटर सह बंधककर्ता) ए–600, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110096, श्री महेन्द्र सिंह मवई (गारंटर) सी–24, मिग, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी–250001 श्रीमती राम रती देवी (गारंटर सह बंधककर्ता) सी–24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ यू.पी.–250001	03.05.2017 रु. 955.27 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 27.02.2018 सांकेतिक	फ्री होल्ड मकान नं. 1901, सैक्टर–28, अरबन ईस्टेट, फरीदाबाद – 121008 में स्थित, क्षेत्रफल 520 वर्ग गज, यह सम्पत्ति शीतल मवाई पत्नी श्री कृष्ण कुमार मवाई के नाम पर है।	रु. 244.30 लाख रु. 24.43 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801
37	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज –।।, नई दिल्ली **मैसर्स एआरएम टेक (इंडिया) लिमिटेड (कर्जदार सह बंधककर्ता)** 101–ए, द्वितीय तल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली–110014, श्रीमती शीतल मवई (गारंटर सह बंधककर्ता) ए–600, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110096, श्री महेन्द्र सिंह मवई (गारंटर) सी–24, मिग, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी–250001 श्रीमती राम रती देवी (गारंटर सह बंधककर्ता) सी–24, एमआईजी, शास्त्री नगर, मेरठ यू.पी.–250001	03.05.2017 रु. 955.27 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 26.02.2018 सांकेतिक	फ्री होल्ड मकान नं. सी–24, एमआईजी, सी ब्लॉक, स्कीम नं 3, शास्त्री नगर, मेरठ, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 186.96 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती राम रति देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह के नाम पर है।	रु. 81.00 लाख रु. 8.10 लाख [07.04.2020] रु. 25000/-	08.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा, सहायक महा प्रबंधक मो. नं. 7044070801

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसी है जहां है आधार पर की जा रही हैं। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटस : www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें।

दिनांक : 11.03.2020, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेटस इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस को जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। **"उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"** ऋणी / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **केनरा बैंक राजपुर रोड, देहरादून शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा / ऋणी / गारन्टर का नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग व कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि + ब्याज व अन्य खर्चें
1.	**ऋणी:** श्री जगजीवन जोत सिंह पुत्र श्री दामोदर सिंह आनन्द, फ्लैट नं0 102, टावर, टी 1–टाइप डी प्रथम तल, गोल्डन मैनर मेन मसूरी रोड, डीआईटी यूनिवर्सिटी के सामने, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001	फ्लैट नं0 102 टावर टी1– टाइप डी प्रथम तल कुल कवर्ड क्षेत्रफल 1089 वर्ग फीट (101.2081 वर्ग मीटर) सम्पत्ति स्वामी जगजीवन जोत सिंह एवं हरदीप सिंह आनन्द, गोल्डन मैनर, स्थित मेन मसूरी रोड, डीआईटी यूनिवर्सिटी के सामने, देहरादून।	मांग नोटिस की तिथि 24.12.2019 कब्जा नोटिस की तिथि 05.03.2020	रु0 17,68,190.76/- दिनांक 24.12.2019 + देय ब्याज दिनांक 05.12.2019 से + लागत एवं व्यय–वसूली दिनांक 24.12.2019 के बाद

दिनांक: 11.03.2020 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

EPSOM PROPERTIES LIMITED

Registered Office: 'Regency House', No. 2A, Second Floor, 250/7, Anna Salai, Teynampet, Chennai – 600 006, Tamilnadu ; **Corporate Identification Number (CIN):** L24231TN1987PLC014084
Tel: +91 44 24350676, **Email:** epsomproperties@gmail.com; **Website:** www.epsom.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Epsom Properties Limited (hereinafter referred to as "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Mrs. Vellanki Jhansilaxmi (Alias Vellanki Jhansilakshmi) (hereinafter referred to as "Acquirer"), to the public shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations, 2011")

Date	11th March, 2020
Name of the Target Company	Epsom Properties Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) & 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations, 2011") for acquisition of upto 19,37,728 Equity Shares of Rs 10/- each at an Offer Price of Rs. 3/- per equity share, payable in cash, aggregating to Rs. 58,13,184/- (Fifty eight lakhs thirteen thousand one hundred and eighty four only) representing 26% of the issued, subscribed, paid up and voting capital
Name of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Mrs. Vellanki Jhansilaxmi (Alias Vellanki Jhansilakshmi)
Name of the Manager to the Offer	Finshore Management Services Limited
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	Mr. Kandala Reddy Bhakthavatsala Ms. Yogeshwary
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	All the members of the IDC are Directors of the Target Company. Except for being Directors of the Target Company they have no other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on 09.01.2020
IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, Equity Shares owned, and other contract/relationship), if any.	None of the IDC members holds any contracts nor have any relationship with the Acquirer
Trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	Not applicable, since Acquirer is an individual
Recommendation on Open Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations, 2011
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed a. Public Announcement (PA) dated 9th January, 2020 b. Detailed Public Statement (DPS) published on 16th January, 2020 c. Draft Letter of Offer dated 23rd January, 2020 d. SEBI observation letter dated 3rd March, 2020 e. Letter of Offer (LOF) dated 9th March, 2020 Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST Regulations, 2011
Details of the Independent Advisors, if any	None
Any other matter to the highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations, 2011.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Epsom Properties Limited
Kandala Reddy Bhaktavatsala
Chairman of IDC

Place: Bengaluru
Date: 11th March, 2020

HDB FINANCIAL SERVICES

From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस, 3, पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान–3002001

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी दूसरी बिक्री सूचना

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा ''जो भी वहाँ है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. ऋणधारक/को एवं गारन्टर का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी
बी.के. ग्लास 17/62, निकट मुखर्जी गार्डन, कॉलक्टोट के निकट, भीलवाड़ा–311001, विश्वकर्मा ग्लास हाउस, 17/62, निकट मुखर्जी गार्डन, कॉलक्टोट के निकट, भीलवाड़ा–311001, ओम प्रकाश सूथर, निकट शिव मंदिर पलरी, तह. भीलवारा पलरी, भीलवारा–311001, साथ हीः मुखर्जी पार्क महिला आश्रम के सामने, एरिया भोपाल गंज, भीलवारा, भीलवारा–311001, शांति देवी सूथर, निकट शिव मंदिर पलरी, तह. भीलवारा पलरी, भीलवारा–311001, साथ हीः मुखर्जी पार्क महिला आश्रम के सामने, एरिया भोपाल गंज, भीलवारा, भीलवारा–311001 ऋण खाता सं 1662824 कुल बकाया रु. 14780466 (रुपए एक करोड़ सैंतालिस लाख अस्सी हजार चार सौ छियासठ मात्र) 15 जून, 2018 को अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेजआदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज	**अधोलिखित का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति स. 1:** मुखर्जी पार्क के सामने, महिला आश्रम एरिया भोपाल गंज, भीलवाड़ा– 311001, माप 640 वर्ग फीट तथा शांति देवी सूथर के नाम में दर्ज पंजीकरण दस्तावेजः क्रम सं. 2012004682 पर तिथि 04.05.2018 को सब–रजिस्ट्रार– भीलवाड़ा के कार्यालय में। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः सरदार चतर सिंह की सम्पत्ति, पश्चिमः लेन, उत्तरः शंकर लाल की अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः शांति देवी की सम्पत्ति। **सम्पत्ति सं. 2:** मुखर्जी पार्क के सामने, महिला आश्रम एरिया भोपाल गंज, भीलवाड़ा– 311001, माप 320 वर्ग फीट तथा शांति देवी सूथर के नाम में दर्ज पंजीकरण दस्तावेजः क्रम सं. 2012013862 पर तिथि 9.8.2012 को सब–रजिस्ट्रार– भीलवाड़ा के कार्यालय में। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः सरदार चतर सिंह की सम्पत्ति, पश्चिमः लेन, उत्तरः शंकर लाल की अन्य सम्पत्ति, दक्षिण शांति देवी की सम्पत्ति। **सम्पत्ति सं. 3:** मुखर्जी पार्क के सामने, महिला आश्रम एरिया भोपाल गंज, भीलवाड़ा– 311001, माप 320 वर्ग फीट, मुखर्जी पार्क के सामने, महिला आश्रम एरिया भोपाल गंज, भीलवाड़ा– 311001 तथा ओम प्रकाश सूथर के नाम में दर्ज पंजीकरण दस्तावेजः क्रम सं. 2003000531 पर 28.04.2003 को सब–रजिस्ट्रार– भीलवाड़ा के कार्यालय में। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः सरदार चतर सिंह की सम्पत्ति, पश्चिमः लेन, उत्तरः डोनी की संयुक्त सम्पत्ति, दक्षिणः ओम प्रकाश की सम्पत्ति।	ई–नीलामी की तिथिः 27.3.2020 को 10.30 पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक 5 मिनट के आगे विस्तार के साथ। 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 25.3.2020 के 5.00 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथिः 23.3.2020 को 12 बजे दोप. से 1.00 बजे अप.	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में) रु. 13257554/– (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ चौवन मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 13,25,755/– (रुपये तेरह लाख पच्चीस हजार सात सौ पचपन मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हित की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. यह नीलामी https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को ''ऑन लाइन ई नीलामी'' बोली होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे सेवा प्रदाता मै. ई–प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction Tiger) अहमदाबाद (टेली.: 079-61200511/ 586/ 584/ 594) delhi@auctiontiger.net, rajsthan@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से प्राप्त किया जा सकता है जो ई–बोली के लिये जरूरी है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
3. इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) ''एचडीबी फाइनांसिल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड– HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगाः 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई–कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा।
4. बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय, दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड– HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICRकोडः 500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा।
5. विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
6. जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो दिल्ली में देय हो अथवा ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड– HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के ही साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चूक करते हैं तो जमा की गई ईएमडी या 10% बिक्री मूल्य, जैसा भी मामला हो, जब्त कर ली जायेगी।
8. बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाणपत्र'' जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज, कान्वीयन्यस, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा।
9. यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण के अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत स्वीकृत/ एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाया देयताओं जैसे बकाया पानी/ बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के लिये कोई उत्तरदायी नहीं लेता है।
10. सफल बोलीदाता को किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकाये, यदि कोई हो/ करों/ नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/ एजेन्सी के उपयोगिता बिलों तथा स्टाम्प शुल्क/ बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी खर्चे का वहन करना होगा।
11. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों/ बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें इंटर–से–बिडिंग की अनुमति अपनी इच्छा से देने का अधिकार प्राप्त है।
12. सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में कंपनी को कंपनी को छोड़कर बेची जा रही संपत्ति पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं देती है अथवा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
13. आगे, उसकी वास्तविक वसूली तक लागू होने वाले, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों जो देय एवं बकाया हो, की वसूली की जाएगी।
14. एतद्द्वारा ऋणधारकों(कों)/ मार्टगैजर(रों) को सूचित किया जाता है कि बिक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/ खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
15. वेबसाईट पर प्रस्ताव/ निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन–लाइन ई–नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाईट https:///sarfacsi.auctiontiger.net देखें। ऑन लाइन बोली संगठन की उक्त वेबसाईट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तो के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https:///sarfacsiauctiontiger.net से डाउनलोड की जा सकती है अथवा एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। संलग्नकों के साथ बोली प्रपत्र की प्रति ऑन लाइन (यूटीआर नंबर उल्लेख करते हुए) जमा की गई संबंधित प्रबंधक श्री जीतेन्द्र सिंह, मोबाईल नं. 9983291777; एवं विकास आनंद मोबाईल नं. 9711010384 के पास एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, पता–3, पार्क स्ट्रीट रोड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के सामने, खासा कोठी, जयपुर, राजस्थान–3002001 में ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में या उससे पूर्व जमा की जा सकती है (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरणों को देखें।)

16) संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता कंपनी के चार्जेज के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण के संपत्ति पर अधिभारों, चार्ज तथा सांविधिक बकायों के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर ले तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व टाईटल, विस्तार, गुणवत्ता, संपत्ति की मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के दावे, संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों अथवा अन्य किसी मामले पर ऑन लाइन बोली जमा करने के बाद तथा किसी भी चरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह कंपनी क्षतियों अथवा एविक्शन कार्रवाई आदि सहित किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यह कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत की सेवा में विश्वास रखती है।

17) यह प्रकाशन इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं खर्चे के साथ अपनी संपूर्ण देयताएं निष्पादित करने तथा उपरोक्त बकाए राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2), 8 (6) एवं नियम 9 के अनुपालन में उपरोक्त ऋण खाता के ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टरों के लिए 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है अथवा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाएगी। यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर तरजीह दी जाएगी तथा विसंगति दूर करने के लिए उसे निर्णायक कॉपी माना जाएगा। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारन्टर कंपनी की बकाया देयता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी।

विस्तृत विवरणों तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनांसियल सर्विस लिमिटेड, श्री जीतेन्द्र सिंह, मोबाईल नं. 9983291777 एवं विकास आनंद, मोबाईल नं. 9711010384 से संपर्क करें।

स्थानः दिल्ली
तिथिः 12.3.2020

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

www.readwhere.com

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

GATI LIMITED

Registered Office: Plot No. 20, Survey No. 12, Kothaguda, Kondapur, Hyderabad, Telangana - 500084;
Tel. No.: 040-7120 4284; Fax No.: 040-2311 2318; Email Id: investor.services@gati.com; Website: www.gati.com; CIN: L63011TG1995PLC020121

This offer opening public announcement and corrigendum to detailed public statement is being issued by Inga Ventures Private Limited (**"Manager to the Offer"**), on behalf of Allcargo Logistics Limited (**"Acquirer"**) pursuant to Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations (**"Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum"**) in respect of the Open Offer to acquire upto 3,17,42,615 fully paid-up equity shares of face value of ₹2/- each (**"Equity Share(s)"**) representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of Gati Limited (**"Target Company"**) (**"Open Offer/Offer"**). The Detailed Public Statement (**"DPS"**) with respect to the aforementioned Open Offer was published on December 12, 2019.

The Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum is to be read together with: (a) the Public Announcement dated December 05, 2019 (**"PA"**); (b) the Detailed Public Statement (**"DPS"**) published on December 12, 2019 in Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Mumbai Lakshadeep (Marathi daily) Mumbai edition and Nava Telangana (Telugu daily) Hyderabad edition and (c) the Letter of Offer dated March 02, 2020 (**"LOF"**).

Capitalised terms used but not defined in this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the LOF.

1. **Offer Price**: The Offer Price is ₹75 (Rupees Seventy-Five only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 6 "Offer Price and Financial Arrangements" beginning on Page 22 of the LOF.

2. Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company: The committee of independent directors of the Target Company (**"IDC"**) published its recommendation on the Offer on March 07, 2020 in the same newspapers where the DPS was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

Members of the Committee of Independent Directors	1. Mr. K L Chugh - Chairperson 2. Mr. N Srinivasan 3. Dr. P S Reddy 4. Mr. P N Shukla 5. Dr. Savita Date Menon
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹75/- offered by the Acquirer: 1. is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. is fair and reasonable.
Summary of reasons for recommendation	The IDC has perused the PA, DPS and LoF issued on behalf of the Acquirer. The members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") as on the date of this recommendation, i.e. March 06, 2020, being ₹67.50 per Equity Share and ₹67.70 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. Based on the review of the PA, DPS and LoF, the IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹75/- offered by the Acquirer: (a) is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) is fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
Details of Independent Advisors, if any	Nil

3. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired.

4. The dispatch of the LOF dated March 02, 2020 to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on February 27, 2020 (**"Identified Date"**), has been completed (either through electronic or physical mode) by March 05, 2020. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LOF was to be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the Identified Date) are eligible to participate in the Offer. A copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (**https://www.sebi.gov.in**) from which the Public Shareholders can download/print the same.

5. Further, in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance, the application can be made on plain paper in writing signed by the shareholder during the Tendering Period, i.e. from March 13, 2020 to March 27, 2020, along with the following details:

   a. **In case the Equity Shares are held in physical form**: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR, 2015 (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 03, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a Depository. Since the Tendering Period for the Offer opens after April 01, 2019, **the Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.**

   b. **In case the Equity Shares are held in dematerialised form**: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic/dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective stock broker by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in the LOF. In case of non-receipt of the LOF, the Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by shareholder, stating name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents. Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE which will be made available by BSE, before the closure of the Tendering Period.

6. **Material Updates (included in the LOF)**

In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer (**"DLOF"**) was submitted to SEBI on December 17, 2019. SEBI vide its letter bearing reference number SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/2020/7268/1, dated February 25, 2020 (**"SEBI Letter"**) issued its comments on the DLOF in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations. These comments have been suitably incorporated in the LOF.

Public Shareholders are requested to note the following key changes to the DPS and DLOF as included in the LOF in relation to the Open Offer:

6.1 As disclosed on cover page (at point no. 4), risk factor A(f) and B(c) on page 5 of the LOF and paragraph 7.14.1 on page 26 of the LOF, to the best of the knowledge of the Acquirer, as on the date of this Letter of Offer, there are no statutory or other approvals required to complete the Open Offer, except receipt of in-principle approval from the Stock Exchanges for listing of the Subscription Shares, which has been received.

Suitable changes in relation to the above have been made to the DLOF (including the cover page, risk factors and paragraph 7.14.1 starting on page 22 of the DLOF), and paragraph (i) under Section VI - "Statutory and Other Approvals" of the DPS.

6.2 Furthermore, the shareholders of the Target Company have approved Preferential Allotment of SSA Shares vide Special Resolution passed at their Extraordinary General Meeting held on January 07, 2020. The NSE and BSE have granted in-principle approval for listing of SSA Shares issued pursuant to Preferential Issue on January 07, 2020 and on January 10, 2020 respectively. The Board of the Target Company has allotted SSA Shares to Acquirer vide their meeting held on January 21, 2020. However, trading approval for SSA Shares was awaited on the date of LOF. The same has been received on March 05, 2020. The Acquirer has deposited 100% of the maximum consideration payable to the Public Shareholders under the Open Offer. The Preferential Issue has been completed in the manner set out in the SSA in accordance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to the completion of the Open Offer.

Suitable disclosures in this regard has been made in paragraphs 3.1.4 on page 11 of the LOF, 3.2.6 on page 13 of the LOF, 4.10 on page 14 of the LOF, 5.8 on page 19 of the LOF, 5.15 on page 22 of the LOF, 6.2.2 on page 24 of the LOF, 6.2.6 on page 24, note 2 relating to pre shareholding pattern of the Target Company as on February 27, 2020 and post shareholding pattern of the Target Company on page 21 of the LOF has also been suitably modified. Paragraph 3.1.8 on page 10 of the DLOF, paragraph 3.2.6 on page 10 of the DLOF, paragraph 4.10 on page 11 of the DLOF, paragraph 5.8 on page 16 of the DLOF, paragraph 5.15 on page 19 of the DLOF, paragraphs 6.2.2 and 6.2.6 on page 20 and 21 of the DLOF, respectively, paragraph (ix) under Section (IA) of DPS, paragraph (ii) under Section III, paragraph (vi) under Section V of DPS stand amended accordingly.

6.3 In compliance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer, partly completed the acquisition of 62,88,399 Equity Shares under SPA on January 28, 2020 through open market purchase at SPA Price. **Further, the Acquirer undertakes to abide by the Attachment Order and agrees to acquire Attached shares with good and valid title free from all encumbrances only when the said Attachment Order is set aside or being vacated.** Suitable disclosure in this regard has been made in paragraphs 3.1.5 on page 11 of the LOF, 3.2.6 on page 13 of the LOF, 4.10 on page 14 of the LOF, 5.15 on page 22 of the LOF, 6.2.6 on page 24 of the LOF, note 9 relating to pre shareholding pattern of the Target Company as on February 27, 2020 and post shareholding pattern of the Target Company on page 22 of the LOF has also been added. Paragraph 3.1.8 on page 10 of the DLOF, paragraph 3.2.6 on page 10 of the DLOF, paragraph 4.10 on page 11 of the DLOF, paragraph 5.15 on page 19 of the DLOF, paragraphs 6.2.2 and 6.2.6 on page 20 and 21 of the DLOF, respectively, paragraph (ix) under Section (IA) of DPS, paragraph (iii) under Section III of DPS, paragraph (vi) under Section V of DPS stand amended accordingly.

6.4 In compliance with Regulation 24(1) of the SEBI (SAST) Regulations, Mr. Shashi Kiran Shetty and Mr. Kaiwan Kalyaniwalla, directors of the Acquirer are also appointed as Additional, Non Executive and Non Independent Directors on the board of directors of the Target Company w.e.f. February 04, 2020. Suitable disclosure in this regard has been made in paragraphs 3.1.9 on page 12 of the LOF, 4.10 on page 14 of the LOF, 4.12 on page 16 of the LOF, 5.10 and 5.11 on page 19 of the LOF, 6.2.7 on page 25 of the LOF. Paragraph 3.1.8 on page 10 of the DLOF, paragraph 4.10 on page 11 of the DLOF, paragraph 4.12 on page 13 of the DLOF, 5.10 and 5.11 on page 16 of the DLOF, paragraph 6.2.7 of DLOF, paragraph (ix) under Section (IA) of DPS paragraph (x) under Section (IA) of DPS, paragraph (iii) under Section III of DPS, paragraph (vi) under Section V of DPS stand amended accordingly.

6.5 Following changes have been made under section Risk Factor beginning on page 3, of the DLOF.

(i) Risk Factor A(b) on page 3 of DLOF has been amended as below:

Some of the SPA Shares, namely, 16,71,666 Equity Shares held in demat form by Mr. Mahendra Kumar Agarwal ("Attached Shares") are stated to be attached pursuant to Order dated December 05, 2019 of the Additional Family Court, City Civil Court, Hyderabad ("Attachment Order") as communicated by an email dated December 07, 2019 received from Ms. Neera Agarwal. **The Acquirer has been informed that the Attached Shares were pledged and invoked by the pledgee. Acquirer has undertaken not to purchase the Attached Shares from Mr. Mahendra Kumar Agarwal's pledgee and abide by this injunction order. The Acquirer will acquire the Attached Shares with good and valid title free from all encumbrances after the said Attachment Order is set aside or being vacated. This will result into partial completion of SPA or delayed completion of SPA.**

The undertaking by the Acquirer w.r.t the Attached Shares has been added at following paragraphs of the LOF: definition of Sale Shares has been amended starting on page 8 of the LOF, paragraph 3.1.5 on page 11 of the LOF, note to paragraph 3.2.6 on page 13 of the LOF, note 7 relating to pre shareholding pattern of the Target Company as on February 27, 2020 and post shareholding pattern of the Target Company on page 21 of the LOF, paragraph 5.15 on page 22 of the LOF.

(ii) Risk Factor A(d) has been added on page 3, of the LOF, as below:

Ms. Neera Agarwal, Mr. Dhruv Agarwal and Mr. Manish Agarwal, wife and children of Mr. M.K. Agarwal, one of the Sellers and part of the promoter group of TCI Finance Ltd. have filed Petition No. 810/241/HDB/2019 dated December 07, 2019 (served on the Acquirer on December 16, 2019) with the National Company Law Tribunal (**"NCLT"**), Hyderabad Bench, seeking to restrain TCI Finance Ltd. from alienating its shares of the Target Company. As on date, no interim relief is granted. In the event, the NCLT restrains TCI Finance Limited from selling its shares of the Target Company, the terms of the SPA and the SSA clearly provide that the open offer shall continue to be valid and will be completed as per terms of the SPA and the SSA and as per the Applicable Law.

(iii) Risk Factor A(e) has been added on page 3 of the LOF as below:

To the best of the knowledge of the Acquirer, following are the pending litigations against the Sellers of the SPA Shares which may result in partial or delayed completion of SPA:

Sr. No.	Complaint/ Petition/ Order No	Complainant/ Petitioner	Filed with	Date of complaint/ petition/Order	Matter	Status as on today
1	EA No. 61 of 2019 in EP No. 32 of 2019	Neera Agarwal	Addl. Family court, City Civil Court	December 05, 2019	Attachment of 16,71,666 equity shares held by Mahendra Kumar Agarwal	As informed by Target Company, as on date there is an attachment order for 16,71,666 number of shares.
2	535/241/ HDB/2019	Neera & Children Trust	NCLT	September 2019	Oppression and mismanagement at Gati Limited	On February 6, 2020, waiver application filed by Petitioner u/s 244(1)(a) of the Companies Act, 2013 was granted and matter is kept on March 2, 2020 for hearing Interim applications and filing counter. We understand from Target Company that they are in the process of filing appeal challenging an order dated February 6, 2020, in view of this matter kept on March 2, 2020 was adjourned to March 25, 2020
3	810/241/ HDB/2019	Neera Agarwal, Dhruv Agarwal and Manish Agarwal	NCLT	December 07, 2019	Interim relief to restrain TCI Finance to alienate shares of Gati Limited and restraining acquirer and Manager to the Open Offer with respect to Open Offer	On February 28, 2020, the Acquirer had filed its detailed reply, matter is now adjourned to March 23, 2020 for completing pleading by all other parties.
4	CEP no. 16 of 2019	"Small is Beautiful" fund	XXIV Additional Chief judge Commercial Court, City civil court At Hyderabad	December 07, 2019	Interim Application in Execution Petition with regard to award passed in arbitration against Amrit Jal Ventures Private Limited, Mr. Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Pvt. Limited	The matter is kept on March 10, 2020 for argument.
5	CARB Op 18 of 2020	SEW Infrastructure Limited	Commercial Court, City Civil Court at Hyderabad	As of March 2, 2020, Acquirer had not received any summons	Petition u/s 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 praying for interim reliefs restraining order with regard to part of SPA Shares	Please refer note 1 & 2 below

Notes:

1. We have received a notice dated January 25, 2020 from the Advocate on behalf of SEW & Prasad - Joint venture on January 28, 2020 via registered post. The subject matter of the said Notice is with regard to a purported claim against Amrit Jal Ventures Private Limited, Gati Infrastructure Pvt. Ltd., Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited, to which we are neither a party nor has any relation. In fact, the purported claim appears to be a contractual claim and not against the equity shares held by Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited in the Target Company. By our reply dated February 04, 2020, we have stated that our SPA with Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited is independent of any purported claim, and in no manner connected with any alleged relationship with, or purported claim against Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited. It is important to note that Gati Limited, the Target Company neither holds any shares in nor is in any manner connected with Amrit Jal Ventures Private Limited and Gati Infrastructure Pvt. Ltd.

2. Further, on February 29, 2020 we have received information from the Target Company that SEW Infrastructure Limited have filed CARB OP No. 18 of 2020 u/s 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before Commercial Court, Hyderabad wherein they have prayed for interim relief as (i) issue of interim injunction against Mahendra Investment Advisors Private Limited (MIAPL) & Mahendra Kumar Agarwal (MKA) restraining them from alienating the SPA Shares held by them to any third parties; (ii) issue an order directing MIAPL & MKA to furnish security for an amount equivalent to the outstanding payable by Amrit Jal i.e. an amount of ₹9,84,43,400/- ; (iii) issue an order of attachment before judgement of SPA shares belonging to MIAPL and MKA, the matter is likely to be listed/scheduled on March 03, 2020. In view of reply dated February 04, 2020 by the Acquirer, though the Acquirer is made a formal party to this legal proceeding, no relief is prayed against the Acquirer and as on the date the Acquirer has not received summons from Hon'ble Court.

(iv) Risk Factor D has been added on page 6 of the LOF as below:

As disclosed in Paragraph 5.16 of this LOF, the promoter acquirers of Transaction 2014 have claimed exemption from open offer under Regulation 10(1)(a)(i) of the SEBI SAST Regulation. The same is being examined by SEBI for open offer violation. Therefore, the said acquirers of Transaction 2014 are liable for appropriate action by SEBI in this regard.

The Transaction 2014 has been defined on page 10 of the LOF as follows:

Transaction 2014: Mr. R K Bansal had transferred 28,62,488 shares (3.28% of outstanding capital of Target Company as on the date of transfer) to the following promoters of Gati Limited on December 12, 2014

Name of the promoter acquirer	No. of Shares	% of shares
Mahendra Kumar Agarwal	5,77,498	0.66
Mahendra Kumar Agarwal HUF	11,54,995	1.32
Neera & Children Trust	11,29,995	1.29
Total	28,62,488	3.28

6.6 Paragraph 3.2.6 on 10 of the DLOF, has been updated as below on page 13 of LOF:

The Acquirer has acquired 2,54,03,340 Equity Shares of the Target Company after the date of PA, i.e. December 05, 2019 and up to the date of this LOF. This includes: (i) 1,33,33,340 Equity Shares acquired under SSA, (ii) 62,88,399 Equity Shares acquired under SPA and (iii) 57,81,601 Equity Shares acquired through open market.

Sr. No.	No. of Shares Acquired	% of Expanded Voting Share Capital	Mode of Acquisition	Acquisition Price (₹)
1	1,33,33,340 Equity Shares acquired under SSA	10.92	Preferential Issue	75
2	62,88,399 Equity Shares acquired under SPA*	5.15	Open Market	75
3	57,81,601 Equity Shares acquired from Open Market during January 13, 2020 to January 28, 2020	4.74	Open Market	71.80 average price per share

*Equity Shares acquired under SPA, does not includes Attached Shares pursuant to Attachment Order. **Further, the Acquirer undertakes to abide by the Attachment Order and agrees to acquire Attached Shares with good and valid title free from all encumbrances only when the said Attachment Order is set aside or being vacated.**

Similar details at Paragraph 5.15 on page 19 of the DLOF has been updated on page 22 of the LOF.

6.7 Paragraph 4.10 on page 11 of the DLOF, has been updated on page 14 of the LOF as below:

As of the date of this LOF, the Acquirer is interested as shareholder of the Target Company to the extent of its shareholding in the Target Company , also Mr. Shashi Kiran Shetty and Mr. Kaiwan Kalyaniwalla directors of Acquirer are appointed as Additional, Non Executive & Non Independent Directors on the board of the Target Company , and are interested to that extent. Except as mentioned herein, no other director and key employee of the Acquirer have any interest in the Target Company. The Acquirer had proposed to provide inter corporate deposit to the Target Company, however, as on the date of LOF, no inter corporate deposit has been provided by the Acquirer.

6.8 Percentage shareholding of Mr. Shashi Kiran Shetty in the Acquirer in paragraph 4.7 on page 14 of the LOF, has been updated as on date of the LOF. The shareholding and names of the promoter and promoter group of the Acquirer as disclosed by it to the stock exchanges under Regulation 31 of the SEBI LODR, 2015 in paragraphs 4.8 and 4.9 on page 14 of the LOF have been updated as of December 31, 2019. Furthermore, brief information of the market prices of Acquirer's equity shares on the Stock Exchanges in paragraph 4.15 on page 16 of the LOF has been updated as of February 28, 2020 and the confirmation of compliance with corporate governance norms in paragraph 4.19 on page 18 of the LOF have been updated as of February 29, 2020.

6.9 Paragraph 5.14 beginning on page 18 of the DLOF, has been updated on page 20 of LOF as follows:

a. Pre shareholding pattern of Target Company has been updated as on February 27, 2020.

b. Following additional notes have been added to shareholding pattern;

i. Note 2 has been modified as follows:

Includes issuance and allotment of 1,33,33,340 Equity Shares representing 10.92% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company pursuant to Preferential Issue. The said SSA Shares were allotted on January 21, 2020. However, as on February 27, 2020 trading approval is pending for said shares. It also includes balance 40,96,933 Equity Shares under SPA.

ii. Note 7: Some of the Attached Shares were pledged and invoked by the pledgee. The Acquirer has undertaken not to purchase the Attached Shares from Mr. Mahendra Kumar Agarwal's Pledgee and abide by this injunction order. Assuming, the Acquirer will acquire the Attached Shares with good and valid title free from all encumbrances after the said Attachment Order is set aside or being vacated, from the Mr. Mahendra Kumar Agarwal and pledgee of his Equity Shares.

iii. Note 8: Attached Shares invoked by the pledgee of Mahendra Kumar Agarwal Shares, are assumed to be acquired by the Acquirer from the pledgee and have been reduced from 'others' under the public category.

iv. Note 9: Includes 62,88,399 SPA Shares, acquired by the Acquirer and sold by parties to SPA and 57,81,601 acquired from the open market by the Acquirer till date of LOF.

6.10 Paragraph 5.16 has been added on page no. 22 of the LOF:

Mr. R.K. Bansal had transferred 28,62,488 shares (3.28% of the outstanding capital of the Target Company as on the date of transfer) to the following promoter acquirers of Gati Limited on December 12, 2014 (Transaction 2014):

Name of the promoter acquirers	No. of shares	% of shares
Mahendra Kumar Agarwal	5,77,498	0.66
Mahendra Kumar Agarwal HUF	11,54,995	1.32
Neera & Children Trust	11,29, 995	1.29
Total	**28,62,488**	**3.28**

The promoter acquirers of Transaction 2014 have claimed exemption from open offer under Regulation 10(1)(a)(i) of the SEBI (SAST) Regulation. The same is being examined by SEBI for open offer violation. Therefore, promoter acquirers of Transaction 2014 are liable for appropriate action by SEBI in this regard.

6.11 Paragraph 5.17 has been added on page 22 of the LOF as below:

There have been some instances of non-compliances of disclosures requirements under the SEBI (SAST) Regulations, by the promoters of the Target Company in the past and therefore such promoters are liable for appropriate action by SEBI in this regard.

7. **Developments after the date of LOF and Corrigendum to LOF for the attention of the Public Shareholders**

a. Note 1 to risk factor A(e) on page 5 of the LOF, shall be amended by deleting last two lines

'It is important to note that Gati Limited, the Target Company neither holds any shares in nor is in any manner connected with Amrit Jal Ventures Private Limited and Gati Infrastructure Pvt. Ltd.'

b. Gati Limited has received trading approval dated March 05, 2020 for 1,33,33,340 Equity Shares issued to Acquirer under Preferential Allotment.

c. Status update on the Litigations mentioned on page 3 of LOF under Risk Factor A(e):

Sr. No.	Complaint/ Petition/ Order No	Complainant/ Petitioner	Filed with	Date of complaint/ petition/Order	Matter	Status as on today
1	CEP no. 16 of 2019	"Small is Beautiful" fund	XXIV Additional Chief judge Commercial Court, City civil court At Hyderabad	December 07, 2019	Interim Application in Execution Petition with regard to award passed in arbitration against Amrit Jal Ventures Private Limited, Mr. Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Pvt. Limited	The matter is kept for hearing on March 26, 2020.
2	C.O.P 18 of 2020	SEW Infrastructure Limited	Commercial Court, City Civil Court at Hyderabad	March 02, 2020	Petition u/s 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 praying for interim reliefs restraining order with regard to part of SPA Shares	The matter is kept for hearing on March 17, 2020 and also refer Note 1 & 2 below

Notes:

1. We have received a notice dated January 25, 2020 from the Advocate on behalf of SEW & Prasad - Joint venture on January 28, 2020 via registered post. The subject matter of the said Notice is with regard to a purported claim against Amrit Jal Ventures Private Limited, Gati Infrastructure Pvt. Ltd., Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited, to which we are neither a party nor has any relation. In fact, the purported claim appears to be a contractual claim and not against the equity shares held by Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited in the Target Company. By our reply dated February 04, 2020, we have stated that our SPA with Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited is independent of any purported claim, and in no manner connected with any alleged relationship with, or purported claim against Mahendra Kumar Agarwal and Mahendra Investment Advisors Private Limited.

2. Further, on February 29, 2020 we have received information from the Target Company that SEW Infrastructure Limited has filed COP No. 18 of 2020 u/s 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before Commercial Court, Hyderabad wherein they have prayed for interim relief as (i) issue of interim injunction against Mahendra Investment Advisors Private Limited (MIAPL) & Mahendra Kumar Agarwal (MKA) restraining them from alienating the SPA Shares held by them to any third parties; (ii) issue an order directing MIAPL & MKA to furnish security for an amount equivalent to the outstanding payable by Amrit Jal Ventures Private Limited i.e. an amount of ₹9,84,43,400/-; (iii) issue an order of attachment before judgement of SPA shares belonging to MIAPL and MKA.

The matter was heard on March 04, 2020 and March 05, 2020, the Acquirer has received copy of summons of the matter on March 02, 2020 (late evening). Pursuant to this Acquirer has appeared and filed its reply before Hon'ble Court. The Acquirer has informed the Court that SPA was already consummated by the parties on January 28, 2020, except for the shares which were either encumbered or attached. After hearing all the parties on March 6, 2020, the Court had not granted any relief and adjourned the matter to March 17, 2020.

d. One of the relative of the Seller, Mr. Mahendra Kumar Agarwal vide email/letter dated March 06, 2020 informed that the Hon'ble XXVI Addl. Chief Judge, City Civil Court,

Contd....

www.readwhere.com

Hyderabad has passed the following orders on March 05, 2020 granting injunction orders restraining Mr. Mahendra Kumar Agarwal and others from:

i. Alienating, encumbering, creating of charge on all properties/assets/shares belonging to Dhruv Agarwal Benefit Trust (Karvy Client ID 11656775, Depository Code/DP ID: IN 300394) in whatever form them may be held, in IA 813/2019 filed in August 2019 in OS 746/2019 in the matter of Dhruv Agarwal Vs Dhruv Agarwal Benefit Trust Rep. by its Trustee Mahendra Kumar Agarwal and others till disposal of the suit.

ii. Alienating, encumbering, creating of charge on all properties/assets/shares belonging to Manish Agarwal Benefit Trust (Karvy Client ID 11656783, Depository Code/DP ID: IN 300394) in whatever form them may be held, in IA 814/2019 filed in August 2019 in OS 747/2019 in the matter of Manish Agarwal Vs Manish Agarwal Benefit Trust Rep. by its Trustee Mahendra Kumar Agarwal and others till disposal of the suit.

iii. Alienating, encumbering, creating of charge on 22,07,703 number of shares of M/s. Gati Ltd. owned by Mr. Mahendra Kumar Agarwal (Karvy Client ID 11358838, Depository Code/DP ID: IN 300394), in IA 1280/2019 filed on 04th December 2019 in OS 746/2019 in the matter of Dhruv Agarwal Vs Dhruv Agarwal Benefit Trust Rep. by its Trustee Mahendra Kumar Agarwal and others till disposal of the suit.

The Acquirer has not received the above mentioned order, but undertakes to abide by the said order w.e.f. March 05, 2020.

8. Status of Statutory Approvals:

i. To the best of the knowledge and belief of the Acquirer, as on the date of the LOF, there are no statutory or other approval(s) required to implement the Offer, except in-principal approval from the Stock Exchanges for listing of Equity Shares of Target Company to be issued pursuant to Preferential Issue, which has been received. If, however any statutory or other approval(s) become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such statutory or other approval(s).

ii. All Public Shareholders, including non-resident holders (NRIs, OCBs and FIIs) of the Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI or any regulatory body) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not person resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserves the right to reject such Offer Shares.

iii. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

iv. In case of delay in receipt of any statutory approval(s) specified in the LOF or any other becoming applicable prior to completion of the Offer, SEBI has the power to grant extension of time to the Acquirer for payment of consideration to the Public Shareholders of the Target Company who have accepted the Offer within such period, subject to the Acquirer agreeing to pay interest for the delayed period if directed by SEBI in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.

9. Revised Schedule of Activities

The schedule of major activities on page 2 of the DLOF (see also Section VII - "Tentative Schedule of Activities" of the DPS) stands amended and the revised schedule of major activities pertaining to the Open Offer as mentioned in the LOF is set forth below:

	Activity	Schedule disclosed in DLOF (Day and Date)	Revised Schedule (Day and Date)
1	Issue of PA	Thursday, December 05, 2019	Thursday, December 05, 2019
2	Publication of DPS in newspapers	Thursday, December 12, 2019	Thursday, December 12, 2019
3	Last date for Filing of draft letter of offer with SEBI	Thursday, December 19, 2019	Thursday, December 19, 2019
4	Last date for public announcement of a competing offer*	Friday, January 03, 2020	Friday, January 03, 2020
5	Last date for receipt of comments from SEBI on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Friday, January 10, 2020	Tuesday, February 25, 2020**
6	Identified Date'	Tuesday, January 14, 2020	Thursday, February 27, 2020
7	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders	Tuesday, January 21, 2020	Thursday, March 05, 2020
8	Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	Friday, January 24, 2020	Wednesday, March 11, 2020
9	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Monday, January 27, 2020	Wednesday, March 11, 2020
10	Date of publication of advertisement for Offer opening	Monday, January 27, 2020	Thursday, March 12, 2020
11	Commencement of tendering period **("Offer Opening Date")**	Tuesday, January 28, 2020	Friday, March 13, 2020
12	Closure of tendering period **("Offer Closing date")**	Monday, February 10, 2020	Friday, March 27, 2020
13	Last date of communicating of rejection/acceptance and payment of consideration for accepted tenders/ return of unaccepted shares	Wednesday, February 26, 2020	Thursday, April 16, 2020
14	Last date for publication of post-Offer public announcement in the newspapers in which DPS has been published	Wednesday, March 04, 2020	Thursday, April 23, 2020

**There was no competing offer.*

***Actual date of receipt of SEBI's final observations on the DLOF.*

'Date falling on the 10th (Tenth) working day prior to commencement of the Tendering Period, for the purposes of determining the eligible shareholders of the Target Company to whom the Letter of Offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (as defined below) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates.

The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in the Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum and also for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments made thereto. The Acquirer and its directors would be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the concerned SEBI (SAST) Regulations.

This Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum will also be available on the SEBI website at **www.sebi.gov.in**

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer:

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
INGA	LINK Intime
INGA VENTURES PRIVATE LIMITED 1229, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Opp. Telli Galli, Andheri (East), Mumbai - 400 069; Maharashtra, India; **Tel. No.:** +91 22 26816003; **Fax No.:** +91 22 26816020; **Email:** gatiopenoffer@ingaventures.com; **Contact Person:** Kavita Shah **SEBI Registration No:** INM000012698 **CIN:** U67100MH2018PTC318359	**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India; **Tel No.:** +91 22 4918 6200; **Fax No.:** +91 22 4918 6195; **Email:** gati.offer@linkintime.co.in; **Contact Person:** Mr. Sumeet Deshpande **SEBI Registration No:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368

Place : Mumbai
Date : March 11, 2020

PRESSMAN

इण्डियन ओवरसीज बैंक

आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
रचना बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
दूरभाष : 011-25758124, ई-मेल: iob1997@ibo.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार **''जहाँ है वहाँ है'' ''जो है यही है'' ''जो कुछ भी है वहीं है''** के आधार पर की जायेगी।

क्र.सं.	कर्जदारों का नाम जमानतियों के नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण ज्ञात ऋण भार, यदि कोई हो	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि	नीलामी की तिथि ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाइल नं.
1.	मैसर्स पेंटाकल क्लोदिंग प्रा.लि. 1. श्री कमल कंटोर 2. श्रीमती आकृति कंटोर 3. श्रीमती शान्ति नवल 4. श्री चिराग नवल	17.12.2015 तक रु. 1,62,69,954.78 एवं 01.12.2015 से भावी ब्याज तथा लागत	लीज हल्ड सम्पत्ति, फ्लैट सं. 203, कंचनजंगा, कौशाम्बी स्कीम पर गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण में स्थित, स्वामित्व श्रीमती शान्ति नवल। कोई नहीं	सांकेतिक	रु. .79.79 लाख रु. 8.00 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री एहसान खलील मोबाइल नं. : 8447416904
2.	मैसर्स वृन्दावन डायमण्ड प्रा.लि. 1. श्री निपुन जैन 2. श्रीमती मानसी जैन 3. मैसर्स साईनाथ ज्वैलर्स प्रा.लि.	16.01.2016 तक रु. 3,87,67,703/- तथा भावी ब्याज एवं लागतें	लॉट सं. 1 : बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित सं. 2682 गली नं. 1 एवं 2, खसरा नं. 205 का भाग, निजी सं. बी-4ए, क्षेत्रफल माप 700 वर्ग फीट में से लगभग 300 वर्ग फीट पर बिल्टअप बेसमेंट फ्लोर भाग जिसका स्वामित्व मैसर्स साईनाथ ज्वैलर्स प्रा.लि. के पास है। लॉट 2 : बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित सं. 2682 गली नं. 1 एवं 2, खसरा नं. 205 का भाग, निजी सं. बी-4ए, क्षेत्रफल माप 700 वर्ग फीट में से लगभग 400 वर्ग फीट पर बिल्टअप बेसमेंट फ्लोर भाग जिसका स्वामित्व मैसर्स साईनाथ ज्वैलर्स प्रा.लि. के पास है। कोई नहीं	भौतिक	लॉट 1, रु. 19.95 लाख लॉट 2 : रु. 26.60 लाख लॉट 1 : रु. 01.10 लाख लॉट 2 : रु. 02.66 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री एहसान खलील मोबाइल नं. : 8447416904
3.	मैसर्स एआई मैटल्स प्रा.लि. 1. अभिजीत सिंह 2. विभोर भार्गव 3. मैसर्स कैप्री इण्टरनेशनल 4. मैसर्स एलायड फिलामेंट्स प्रा.लि. 5. मैसर्स तीरथ सिंह एण्ड सन्स	रु. 19,40,02,774.06/- तथा 16.07.2017 तक एलजी बकाया रु. 1,39,69,957/- एवं भावी ब्याज एवं लागतें	लॉट 1 : प्लॉट सं. एसपी-812/एच1-51 (बी) समतल जोन इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) पर औद्योगिक सम्पत्ति, स्वामित्व मैसर्स ए.आई. मेटल्स प्रा.लि., क्षेत्रफल 738.25 वर्ग गर्ज। लॉट 2 : मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में प्लॉट सं. डब्ल्यू-42, फेज-II, औद्योगिक सम्पत्ति, स्वामित्व मैसर्स तीरथ सिंह एण्ड सन्स प्रोपराइटर श्री नरेन्द्र पाल सिंह, के माध्यम से, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज। कोई नहीं	लॉट 1- सांकेतिक कब्जे में तथा लॉट 2. बैंक के भौतिक कब्जे में।	लॉट 1 : रु. 48.16 लाख लॉट 2 : रु. 147.08 लाख लॉट 1 : रु. 4.82 लाख लॉट 2 : रु. 14.71 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री एहसान खलील मोबाइल नं. : 8447416904
4.	1. श्री मनोज कुमार 2. श्रीमती सपना अरोड़ा निल	02.01.2018 तक रु. 73,97,739.36/- तथा भावी ब्याज एवं लागतें	महागुन मैपल नामक ग्रुप हाउसिंग रेजीडेंशिल कॉम्पलेक्स में प्लॉट सं. 26, ब्लॉक-एफ, सेक्टर-50, नोएडा पर लीज होल्ड आवासीय अपार्टमेंट सं. 110, प्रथम तल, सुपर एरिया माप 1645.00 वर्ग फीट तथा टेरस एरिया 120.00 वर्ग फीट। स्वामित्वश्री मनोज कुमार एवंश्रीमती सपना अरोड़ा कोई नहीं	सांकेतिक	रु. 93.01 लाख रु. 9.31 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री एहसान खलील मोबाइल नं. : 8447416904
5.	मैसर्स सिद्धि विनायक ज्वैलर्स इसके प्रोपराइटर श्रीमती मानसी जैन के माध्यम से 1. मैसर्स वृन्दा डायमण्ड प्राइवेट लिमिटेड	17.01.2019 तक रु. 4,32,88,230/- तथा भावी ब्याज एवं लागतें	लीज होल्ड सम्पत्ति निगम सं. 3272, प्रथम तल तथा द्वितीय तल छत के अधिकार रहित, वार्ड सं. XVI, खसरा सं. 2657/2616, ब्लॉक-पी, गली नं. 27 के सामने, बस्ती रैगड़, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, स्वामित्व : मैसर्स वृन्दा.डायमण्ड प्रा.लि. इसके निदेशक श्री निपुन जैन के माध्यम से, क्षेत्रफल : 225 वर्ग फीट, प्रथम तल तथा 225 वर्ग फीट द्वितीय तल। कोई नहीं	भौतिक	रु. .37.89 लाख रु. 3.79 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री भुवनेश्वर कुमार मोबाइल नं. : 9650075893
6.	मैसर्स रानू एन्टरप्राइजेज प्रा.लि. 1. श्री शिशिर मोदी 2. श्री सुगनाथन सेलवरत्नम 3. श्रीमती रितु मिश्रा 4. श्री स्वदेश मिश्रा 5. मैसर्स अमन इन्ट्राडेक्स प्रा.लि.	17.01.2019 तक रु. 12,02,97,583/- तथा भावी ब्याज एवं लागतें	लॉट सं. 1 : अपर ग्राउण्ड फ्लोर, दुकान नं. ए-237, सुपर एरिया 80.268 वर्ग मीटर, सुपर मार्ट कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स-I, प्लॉट भूमि माप 2.3 एकड़ पर, ग्राम चक्करपुर में, डीएलएफ सिटी, फेज-IV, तहसील एवं जिला गुरुग्राम में स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। स्वामित्व श्रीमती रितु मिश्रा पत्नी श्री स्वदेश मिश्रा। लॉट सं. 2 : प्योरवाल कॉलोनी इण्डस्ट्रियल एरिया पानीपत, हरियाणा में स्थिथ खसरा नं. 1553(2- 17),1556(2-5),1555(5-2),1557(2-8),1559(4-1),1560(4-4) में से प्लॉट सं. 6 से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। मैसर्स रानू एन्टरप्राइजेज प्रा.लि. (सभी सम्पत्तियाँ बैंक के सांकेतिक कब्जे में हैं) कोई नहीं	सांकेतिक	लॉट 1 : रु. 133.53 लाख लॉट 2 : रू. 152.57 लाख लॉट1 : रु. 13.36 लाख लॉट 2 : रु. 15.26 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री भुवनेश्वर कुमार मोबाइल नं. : 9650075893
7.	मैसर्स युनिवर्सल सॉलिटेयर प्रा.लि. 1 श्री राकेश कुमार किशनलाल कोहली पत्नी श्री किशनलाल फकीर चन्द कोहली 2 श्री शीतल राकेश कोहली पत्नी श्री राकेश किशनलाल कोहली तथा 3 श्री शक्ति सोनी	05.10.2015 तक रु. 6,31,29,390.00/- तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं रेस्ट्स तथा लागतें एवं प्रभार आदि	लॉट 1 : द्वितीय तल सामने की ओर, टेरेस के अधिकार रहित, सम्पत्ति निगम सं. 2542, वार्ड सं. XVI, खसरा नं. 283/2 एवं 284, गली नं. 6 एवं 7, ब्लॉक एम, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर लीज होल्ड दुकान। श्री राकेश किशन लाल कोहली के नाम पर। कवर्ड एरिया 198 वर्ग फीट। लॉट 2 : लीज होल्ट बिल्ट अप भाग, बेसमेंट क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, सम्पत्ति निगम सं. 2527, गली नं. 7, ब्लॉक-एम, खसरा नं 286, बीडनपुर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर स्थित। मैसर्स युनिवर्सल सॉलिटेयर्स प्रा.लि. कोई नहीं	भौतिक	लॉट1 : रु. 33.50 लाख लॉट2 : रु. 32.50 लाख लॉट1 : रु. 03.35 लाख लॉट2 : रु. 03.25 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री भुवनेश्वर कुमार मोबाइल नं. : 9650075893
8.	1 मैसर्स एकेसी कॉर्पोरेशन (प्रो. श्री अधिराज कुमार) 2 मैसर्स सीजार इण्टरनेशनल (प्रो. अभिनव बत्रा) श्रीमती मालती पत्नी स्व. श्री रजनी कान्त	03.08.2016 तक रु. 45,97,981.00 /- तथा भावी ब्याज एवं लागतें एकेसी कॉर्पोरेशन के खाते में 03.08.2016 तक रु. 31,35,626/- तथा भावी ब्याज एवं लागतें सीजार इण्टरनेशनल के खाते में	एमसीडी सं. 22-ए, सम्पूर्ण भूतल, छत/टेरेस के अधिकार रहित, बाजार लेन, भोगल, नई दिल्ली-110014 पर स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति। (यह सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है) कोई नहीं	भौतिक	रु. 37.35 लाख रु. 03.74 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री महेन्दर सेहरा मोबाइल नं. 9718664261
9.	मैसर्स ए.पी. मल्टी प्रोडक्ट्स प्रोपराइटर श्रीमती अलका यादव श्री जितेन्द्र कुमार यादव	13.02.2017 तक रु. 72,28,364.13/- तथा अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं लागतों, प्रभारों सहित रेस्ट्स	फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पत्ति फ्लैट सं. सी-1, तृतीय तल, सुपर कवर्ड एरिया 1000 वर्ग फीट (92.9 मीटर) प्लॉट सं. IIIE-29A, कृष्णा अपार्टमेंट, नेहरू नगर-III, गाजियाबाद-201001 (उ.प्र.), श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री महेन्द्र यादव के नाम पर। कोई नहीं	सांकेतिक	रु. 45.00 लाख (आरक्षित मूल्य 1% टीडीएस राशि जो आईटी अधिनियम की धारा 1941 ए के अनुरूप है शमिल है) रु. 04.50 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री महेन्दर सेहरा मोबाइल नं. 9718664261
10.	मैसर्स एडविक लैबोरेटरीज लि. 138 रोज का मियाऊ इण्डस्ट्रियल एरिया, सोहना, जिला, मेवात, हरियाणा-122103 1. श्री पीयूष कुमार अग्रवाल 2. मैसर्स ओमप्रकाश फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. 701/702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	25.10.2015 °fIY रु. 9,31,55,127.42 as तथा भावी ब्याज, लागतें एवं व्यय	लॉट 1 : फ्री होल्ड इण्डस्ट्रियल भूमि तथा भवन, प्लॉट सं. 138, रोज का मियाऊ इण्डस्ट्रियल एरिया, सोहना, मेवात जिला नूह, हरियाणा, क्षेत्रफल 6370 वर्ग मीटर साथ ही संयन्त्र, मशीनरी तथा उपकरण जो फैक्ट्री परिसर 138, रोज का मियाऊ इण्डस्ट्रियल एरिया, सोहना, मेवात जिला नूह, हरियाणा में है। लॉट 2 : मकान नं. 147, पंजाबी मोहल्ला, शोरे कोठी, घंटाघर, सब्जी मण्डी-110007, स्वामित्व श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री ओ.पी. अग्रवाल, डबल स्टोरी बिल्डिंग क्षेत्रफल 64 वर्ग गज। (भूमि तथा भवन एवं संयन्त्र तथा मशीनरी साथ में लेने वाले को वरीयता दी जायेगी।) कोई नहीं	सांकेतिक	लॉट1 : रु. 701.32 लाख लॉट2 : रु. 64.74 लाख लॉट1 : रु. 7.10 लाख लॉट2 : रु. 6.50 लाख	27.03.2020 26.03.2020	श्री महेन्दर सेहरा मोबाइल नं. 9718664261

- जहाँ प्रयोज्य हो आईटी अधिनियम की धारा 194(आईए) के तहत आरक्षित मूल्य में 1% कर शामिल।
- विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इण्डियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.iob.in[https://www.iob.in/TenderDetails.aspx7TendertypesE_Auction], https://auctions.magicbricks.com देंखे।
- इसे उपर्युक्त तिथि पर ई-नीलामी के संचालन के विषय में इसे कथित ऋण के कर्जदार/रों तथा जमानती/यों/बंधककर्ता/ओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, ,2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत 15/30 दिन की सूचना भी मानी जाये।

स्थान : नई दिल्ली | तिथि : 12.03.2020 | अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

भारतीय की हत्या की जांच शुरू

लंदन, 11 मार्च (भाषा)। स्काटलैंड यार्ड के जांचकर्ताओं ने पश्चिमी लंदन में करीब 17 साल पहले आठ लोगों के नृशंस हमले के शिकार हुए भारतीय मूल के एक व्यक्ति की मौत के बाद हत्या के इस मामले की बुधवार को जांच शुरू कर दी।

CLOVER FORGING AND MACHINING PVT LTD (IN LIQUIDATION)
CIN: U29221DL2012PTC236706
Address: Plot no. B-21, 5-Star MIDC, Shendra, Aurangabad – 431 154

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR LIST OF STAKEHOLDERS
(Regulation 31 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016).

NOTICE is hereby given by the Liquidator of Clover Forging and Machining Pvt Ltd (In Liquidation), under regulation 31 (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, that a List of Stakeholders has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench on 10 March 2020

Pursuant to regulation 31(5), the list of stakeholders shall be available for inspection to the persons who have submitted the proof of claims and to the Members, Directors and Guarantors of the company and the same shall be updated at regular interval on the below mentioned link.

Link:https://drive.google.com/drive/folders/1TTaeoIKODCzdYjL23WHBMTrhLlD3apH9

Interested stakeholders may please get in touch with the liquidator at ip.clover@in.ey.com

Date : 12.03.2020
Place: Mumbai

SD/-
Rohit Mehra
Liquidator

चीन में 3,158 लोगों की मौत, इटली में भी संख्या बढ़ी

वुहान, 11 मार्च (एएफपी)।

चीन में कोरोना वायरस से 22 और लोगों की मौत के साथ ही देश में मृतकों का आंकड़ा 3,158 पर पहुंच गया है। इस बीच, स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर का पहला दौरा किया और घातक महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई के लिए अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने में शुरुआती सफलता मिल गई है।

रोम से मिली खबर के अनुसार कोरोना वायरस के कारण इटली में 631 लोगों की मौत हो जाने के बीच देश में आने-जाने पर लगी रोक बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन जारी रही। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने बताया कि मंगलवार को मुख्य भूभाग चीन से कोरोना वायरस के 24 नए मामले और 22 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई।

चीनी राष्ट्रपति ने किया दौरा

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने वुहान शहर का पहला दौरा किया और घातक महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई के लिए अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों की प्रशंसा की।

चीन में मंगलवार तक कुल 80,778 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें पिछले तीन महीनों में बीमारी के कारण मरने वाले 3,158 लोग, इलाज करा रहे 16,145 लोग और सेहत में सुधार के बाद अस्पताल से छोड़े गए 61,475 लोग शामिल हैं।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की मंत्री संक्रमित पाई गईं

लंदन, 11 मार्च (एएफपी)।

दुनियाभर में कोरोना वायरस का संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि आम लोग तो क्या मंत्री भी इसके प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की मंत्री नडीने डोरिस के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

कंजर्वेटिव सांसद ने कहा, 'मैं पुष्टि कर सकती हूं कि मैं कोरोना वायरस की जांच में पॉजीटिव पाई गई हूं और खुद को घर में अलग कर रखा है।' उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कहां से संक्रमण की चपेट में आई और उनके संपर्क में कौन-कौन लोग आए थे।

डोरिस ब्रिटेन की पहली नेता हैं जो कोविड-19 से संक्रमित पाई गई हैं। द टाइम्स की खबर के मुताबिक, वह प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत सैकड़ों लोगों के संपर्क में रही थीं। वह शुक्रवार को बीमार पड़ीं। ऐसा बताया जा रहा है कि वह बीमारी से उबर रही हैं।

मंत्री ने ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं एनएचएस कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे परामर्श और सहयोग दिया।'

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः इन्द्रप्रस्था एस्टेट, विकास मिनार, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **06 / 07 / 2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स शगुन फर्नीचर हाउस,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.30,88,601 / – (तीस लाख अठासी हजार छः सौ एक रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.03.2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.30,88,601 / – (तीस लाख अठासी हजार छः सौ एक रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्राम हस्तसाल के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी को मिलाप नगर के रूप में ज्ञात, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित **अंजु लता शर्मा** के नाम पर साम्यिक बंधक निर्मित सम्पत्ति सं. सी–38, एवं अब सी–38 बी के रूप में जाना जाता है का भाग, भूमि एरिया परिमाप 100 वर्ग यार्ड सभी छत / टैरेस अधिकार के साथ, खसरा नं. 85 / 3 एवं 8, सम्पत्ति का एरिया 100 वर्ग यार्ड में भूखण्ड के सभी भाग एवं हिस्से **जो निम्नानुसार घिरा है:**

उत्तरः सी–39 दक्षिणः सी–38
पूर्वः रोड 24 फीट पश्चिमः रोड 40 फीट

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 05.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः इन्द्रप्रस्था एस्टेट, विकास मिनार, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **06 / 12 / 2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री शम्भू ठाकुर एवं श्रीमती गायत्री देवी,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.11,46,185 / – (ग्यारह लाख छियालिस हजार एक सौ पिचासी रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.03.2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.11,46,185 / – (ग्यारह लाख छियालिस हजार एक सौ पिचासी रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

न्यू लाहौर की आबादी, शास्त्री नगर, गांव खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110031 में स्थित **श्री शम्भु ठाकुर एवं श्रीमती गायत्री ठाकुर** के नाम पर निर्मित प्रथम तल, सं. 68, सीलिंग लेवल की सीमा तक, बिजली एवं पानी के कनेक्शन के साथ मीटर सहित, कॉमन प्रवेश सीढ़ियां, पैसेज और दायें टीवी एंटिना लगा हुआ एवं टॉप फ्लोर की छत पर वाटर टैंक के साथ साम्यिक बंधक भूमि के सभी भाग एवं हिस्से, सम्पत्ति का एरिया–35 वर्ग यार्ड **जो निम्नानुसार घिरा है:** उत्तरः अन्य की सम्पत्ति दक्षिणः गली 5 फीट
पूर्वः सम्पत्ति सं. 67 पश्चिमः शेष भाग

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 05.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः इन्द्रप्रस्था एस्टेट, विकास मिनार, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **31 / 12 / 2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्रीमती सुनीता शर्मा,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.25,01,164 / – (पच्चीस लाख एक हजार एक सौ चौंसठ रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.03.2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.25,01,164 / – (पच्चीस लाख एक हजार एक सौ चौंसठ रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकास मिनार, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गांव बिन्दापुर, दिल्ली राज्य में आर ब्लॉक के रूप में ज्ञात, उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110059 में स्थित **श्रीमती सुनीता शर्मा एवं श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा** के नाम पर भूतल टैरेस अधिकार के साथ, प्लॉट नं. 165 का निर्मित भाग, मकान नं. 165, भूमि परिमाप 100 वर्ग यार्ड में निर्मित, खसरा नं. 75,76, 85 में भूखण्ड के सभी भाग एवं हिस्से **जो घिरा है:**

उत्तरः प्लॉट का शेष भाग दक्षिणः प्लॉट नं. 166 पर निर्मित भाग
पूर्वः रोड 20 फीट पश्चिमः गली 10 फीट

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 05.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

हिंसा कम होने पर पांच हजार तालिबान कैदियों को रिहा करेंगे : अशरफ गनी

काबुल, 11 मार्च (एएफपी)।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह कहा कि अगर आतंकवादी हिंसा कम कर देते हैं तो सरकार इस सप्ताह की शुरुआत से धीरे-धीरे 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी। इसके साथ ही उस विवाद का हल हो गया है जिससे आतंकवादियों और काबुल के बीच शांति वार्ता में देरी हो रही थी।

इस घोषणा से घंटों पहले अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने पिछले महीने दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते की तर्ज पर अफगानिस्तान में अपने दो अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया है। प्रवक्ता सदीक सिद्दीकी ने ट्विटर पर कहा कि सरकार सद्भावना के संकेत के रूप में शनिवार से 1,500 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी। फिर वार्ता शुरू होने के बाद 3,500 अन्य कैदियों को रिहा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह समझौता देश में हमले कम करने की तालिबान की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस समझौते में शुरुआत में हर दिन सौ कैदियों को रिहा किया जाएगा।

'कोरोना विषाणु की जद में आ सकती है 70 फीसद आबादी'

बर्लिन, 11 मार्च (एपी)।

जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने विशेषज्ञों के अनुमान का हवाला देते हुए कहा है कि 70 फीसद आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकती है। उन्होंने इस बीमारी के फैलने की रफ्तार धीमी करने के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। जर्मनी में बुधवार तक इस संक्रमण के करीब 1300 सत्यापित मामले आए और दो मरीजों की जान चली गई। सरकार ने 1000 से अधिक लोगों की भागीदारी वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

मर्केल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'आपको समझना होगा कि यदि विषाणु है और लोगों में इस विषाणु को लेकर प्रतिरक्षा नहीं है, अबतक कोई टीका नहीं है, कोई उपचार नहीं है तो जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि जनसंख्या का 60-70 फीसद हिस्सा उससे संक्रमित हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि प्राथमिकता इस बीमारी के फैलने की रफ्तार को धीमा करना है इसलिए जो उपाय हम कर रहे हैं, वे बड़े महत्व के हैं।

हार्वे विनस्टीन को 23 साल की सजा

न्यूयॉर्क, 11 मार्च (एएफपी)।

हॉलीवुड फिल्मकार हार्वे विनस्टीन को न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने बुधवार को 23 साल की सजा सुनाई। करीब दो सप्ताह पहले वह बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार दिए गए थे। न्यायाधीश जेम्स बर्क ने विनस्टीन के पक्ष की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके मुवक्किल को पांच वर्ष की न्यूनतम सजा देने की मांग की थी। विनस्टीन (67) 24 फरवरी को यौन अपराध और बलात्कार के मामले के दोषी पाए गए थे।

पाकिस्तान दिवस परेड अभ्यास के दौरान एफ 16 विमान दुर्घटनाग्रस्त

इस्लामाबाद, 11 मार्च (भाषा)।

पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना का एफ-16 लड़ाकू विमान बुधवार को इस्लामाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पाकिस्तान वायु सेना (पीएएफ) ने एक बयान में बताया कि यह विमान राजधानी के शकरपारियां इलाके के पास एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

बयान में कहा गया कि विमान पाकिस्तान दिवस परेड के लिए नियमित अभ्यास पर था जब वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही बताया कि पाकिस्तानी वायु सेना ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं।

बयान में बताया गया कि दुर्घटना स्थल से धुआं उठ रहा था और आग पर काबू पाने के लिए बचाव कार्य जारी है। पाकिस्तान दिवस या पाकिस्तान संकल्प दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है जो 23 मार्च,1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित होने और पाकिस्तान के पहले संविधान को स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तकः पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालयः रामगंगा विहार, मुरादाबाद
E-Mail : rmgzb@prathamaupbank.com
क्षेत्रीय कार्यालय :
48 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0)
फोन–0120–2783277, 0120–2783066 फैक्स नं0– 0120–2783333

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोरसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोरसमेंट रूल 2002 के साथ पढ़ते हुए, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (पूर्वनाम सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दि0 22.02.19 के अन्तर्गत दि0 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है।) के प्राधिकृत अधिकारी ने संबंधित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाए गए खातों के पदक नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था।

ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणियों और जन–सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी जिनका पदनाम नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति / सम्पत्तियों का Symbolic कब्जा ले लिया है।

ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन देन ना करें। इन सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन देन प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र.सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणी / गारन्टर का नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	पजेशन चिपकाये गये नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NT00 003107	ऋणीः श्री बिरेन्द्र सिंह ढौंडियाल पुत्र श्री राम प्रसाद व श्रीमती आभा देवी पत्नी श्री बिरेन्द्र सिंह ढौंडियाल मो0 नं0: 8587804492 गारन्टरः श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भरसानन्द	म0 नं0 C-520, तृतीय तल, न्याय खण्ड–2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 20.14 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 34108 पृष्ठ सं0 1–52 क्र0 सं0 15343 दिनांक 12.09.2017 पर दर्ज है।	29.11.19	05.03.20	Rs.809659/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
2.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 000859	ऋणीः श्रीमती सुषमा चौधरी पत्नी श्री मांगे राम मो0 नं0: 9811337684 गारन्टरः श्री मांगे राम पुत्र श्री लखपत सिंह	म0 नं0 B-111, द्वितीय तल, न्याय खण्ड–3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 19.505 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 16025 पृष्ठ सं0 277–298 क्र0 सं0 20017 दिनांक 30.07.2010 पर दर्ज है।	26.11.19	05.03.20	Rs. 437642/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
3.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 001988	ऋणीः श्री सगम भोजपुरिया पुत्र श्री उमेश चन्द भोजपुरिया मो0 नं0: 9911609785 गारन्टरः श्री गजेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह	म0 नं0 47 A, प्रथम तल, न्याय खण्ड–3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 15.60 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 25798 पृष्ठ सं0 1–40 क्र0 सं0 38383 दिनांक 03.09.2013 पर दर्ज है।	29.11.19	05.03.20	Rs. 899609/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
4.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134JH00 000067	ऋणीः श्री पप्पू पुत्र श्री रामेश्वर सिंह मो0 नं0: 7982810641 गारन्टरः श्री जितेन्द्र कुमार पाल पुत्र श्री अवध किशोर लाल	दुकान नं0 SD-150, UGF, जयपुरिया सनराइज ग्रीनस, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 21.74 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 35291 पृष्ठ सं0 275–334 क्र0 सं0 5940 दिनांक 20.03.2018 पर दर्ज है।	29.11.19	05.03.20	Rs. 931773/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
5.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NT00 002995	ऋणीः श्री दीपक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद व श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री दीपक कुमार मो0 नं0: 9810748017 गारन्टरः श्री रीतेश कुमार पुत्र श्री लाल मनोहर शर्मा	म0151, ग्राउण्ड फ्लोर, न्याय खण्ड–3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 24.65 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 33036 पृष्ठ सं0 277–324 क्र0 सं0 3477 दिनांक 21.03.2017 पर दर्ज है।	29.11.19	05.03.20	Rs.1115276/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
6.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 001748	ऋणीः श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मूल चन्द कुमार मो0 नं0: 9990029264 गारन्टरः श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री बुद्धूमल	म0 नं0 L-368, विजयनगर, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 25.606 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक पंचम गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 3457 पृष्ठ सं0 1–42 क्र0 सं0 2591 दिनांक 09.04.2013 पर दर्ज है।	26.11.19	06.03.20	Rs. 789423/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
7.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 003047	ऋणीः श्रीमती सुनीता पाल पत्नी श्री राजेन्दर सिंह व श्री राजेन्दर सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह मो0 नं0: 8285402719 गारन्टरः श्री जय सिंह सगानिया पुत्र श्री वदन सिंह	फ्लैट नं0 E-738, EWS, ब्लॉक E, ग्राउण्ड फ्लोर, सैक्टर 11, प्रताप विहार, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 25.80 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक पंचम गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 5336 पृष्ठ सं0 79–134 क्र0 सं0 1169 दिनांक 04.03.2016 पर दर्ज है।	26.11.19	06.03.20	Rs.1100320/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
8.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 002701	ऋणीः श्री राहुल सिंह पुत्र श्री गंगा प्रसाद मो0 नं0: 9650362377 गारन्टरः श्री धर्मेन्द राठी पुत्र श्री नवाब	फ्लैट नं0 E-16/1, EWS, ग्राउण्ड फ्लोर, मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 29.70 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक द्वितीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 9861 पृष्ठ सं0 343–386 क्र0 सं0 7834 दिनांक 18.06.2015 पर दर्ज है।	28.11.19	06.03.20	Rs.1151360/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
9.	इन्दिरापुरम (गाजियाबाद)	9134NC00 002817	ऋणीः श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमन सिंह मो0 नं0: 9911117532 गारन्टरः श्री भोला कुमार पुत्र श्री नारायन आजाद	फ्लैट नं0 E-145, ग्राउण्ड फ्लोर, मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 41.86 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक द्वितीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 10234 पृष्ठ सं0 351–390 क्र0 सं0 11914 दिनांक 24.09.2015 पर दर्ज है।	29.11.19	06.03.20	Rs.1973342/- ब्याज अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो

दिनांक : 11.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

वसूली अधिकारी–II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 08 / 2016

बिक्री उद्घोषणा

आईडीबीआई बैंक बनाम इलेक्ट्रा पॉवर प्रा.लि.

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2)के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी नं. 1 मैसर्स इलेक्ट्रा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
10, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, यहाँ भी: ए–2 / 2–25 साइट–बी, सूरजपुर [illegible] ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
सीडी नं. 2 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
सीडी नं. 3 श्रीमति किरन शर्मा
दोनों का पताः–
मकान नं. 56, सैक्टर–8, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद–201001, उ.प्र., यहाँ भी:– ए–311, [illegible] ग्रेटर नोएडा–201308, उत्तर प्रदेश

1. चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–II द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र 08 / 2016 दिनांक 18.03.2016 में [illegible] रू. **2,21,76,169 / –(दो करोड़ इक्कीस लाख छहत्तर हजार एक सौ उनहत्तर मात्र)** [illegible] अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–II, द्वारा जारी ओ.ए. नं. 390 / 2014 ibid वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार है। बैंक को रू. **2,21,76,169 / –(दो करोड़ इक्कीस लाख छहत्तर हजार एक सौ उनहत्तर मात्र)** सीडी से संयुक्त रूप से [illegible] लागत रू. 1,50,000 के अतिरिक्त तिथि 17.09.2014 से आगे का साधारण ब्याज 13% प्रतिवर्ष की दर से वसूलने का अधिकार है।

2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणपत्र के आपेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के आदेश दिये है।

3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आगे किसी भी स्थगन के आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्ति की बिक्री 16.04.2020 को 03:00 बजे से 04:00 बजे के बीच यदि जरूरी हुआ तो अवधि में 5 मिनट स्वतः विस्तार के साथ ई–निलामी के माध्यम से की जाएगी और नीलामी आनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रकिया द्वारा मै. सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग नं. 301, गुड़गांव, हरियाणा-122015, website-http://www.c1india.com, सम्पर्क करें– मि. विनोद कुमार 09813887931 के द्वारा आयोजित की जाएगी।

4. उपरोक्त नामित सीडी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी और कथित सम्पत्ति पर देनदारियां एवं दावे जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हे प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया है।

5. अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पत्ति के लॉट बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग की बिक्री पर संतोषजनक राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। बिक्री को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि बिक्री आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की कीमत सहित) का भुगतान कर दिया जाता है अथवा अधोहस्ताक्षरी के पास प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

6. कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी ड्यूटी बिक्री से जुड़ी है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति खरीदने या सम्पत्ति की बिक्री में रूचि लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा।

7. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूचि में निर्धारित शर्तों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और निम्न वर्णित शर्तों का पालन करते हुए की जाएगी।

7.1 संलग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

7.2 सम्पत्ति न. 1 के लिए **आरक्षित मूल्य रू. 1,30,00,000 / –(एक करोड़ तीस लाख मात्र)** है जिससे कम मूल्य पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी और क्रम संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति के लिए धरोहर जमा राशि **रू 13,00,000 / –(रू. तेरह लाख मात्र)** है।

7.3 इच्छुक बोलीदाता जो **वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II दिल्ली के कार्यालय में 14.04.2020 को सांय 4:00** बजे तक [illegible] पहचान पत्र, पते के प्रमाण आदि के साथ तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी बोर्ड सदस्यों द्वारा पास किया गया प्रस्ताव या कोई अन्य [illegible] कम्पनी का प्रतिनिधि या अटॉर्नी साबित करता हो, जमा करेंगे वही **16.04.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दोप. 12:00 बजे** के बीच [illegible] ई–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। [illegible] बाद के मामले में बोली लगाने वाले को अपनी अथॉरिटी जमा करनी होगी और असफल रहने पर उसकी बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। नीलामी खत्म होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो समापन अवधि स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित कर दी जाएगी।

7.4 **बोली दाता बोली** रू. **1,00,000 / –(एक लाख रूपये मात्र)** के गुणक में बढ़ायेंगे।

7.5 असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री प्रकिया समाप्त होने के तुरंत बाद कार्यालय वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली से अपनी ईएमडी वापिस प्राप्त कर सकते है।

7.6 सफल / उच्चतम बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली / बिक्री की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी को समायोजित करने के बाद, ई–नीलामी समाप्ति के 24 घण्टे के अन्दर वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, खाता आर सी. 08 / 2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर [illegible] न्यायाधिकरण के पास ई–नीलामी के अगले कार्यदिवस को सांय 4:00 बजे तक जमा करनी होगी।

7.7 सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी बिक्री की तिथि से 15 वें दिन तक या [illegible] दिन वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली आर सी न. 08 / 2016 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी–II के पक्ष में पाउंडेज शुल्क 2% रू. 1,000 की राशि तक व रू. 1,000 से अतिरिक्त राशि पर 1% की दर से जमा करना होगा (बैंक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर [illegible] वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)।

7.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जायेगी। ऐसी बिक्री की पहले उद्घोषणा नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त मान्य होंगे।

8. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है के आधार"** पर की जा रही है।

9. सीएच बैंक / सीएफआई को दिए गए विवरणों की सत्यता के बारे में प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

10. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति का विवरण

बिक्री की जा रही सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	सम्पत्ति के बाबत पेश किया गया कोई दावा तथा अन्य कोई ज्ञात विवरण जो सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को प्रभावित करता है।
औद्योगिक प्लॉट नंबर ए–2 / 2–25, साइट–बी, यूपीएसआईडीसी, सूरजपुर, इंडस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक **25.02.2020** को दिया गया।

(अविनाश चन्द)
वसूली अधिकारी–II
डीआरटी–II, दिल्ली

www.readwhere.com

सोने में 516 रुपए की गिरावट

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

रुपए की विनिमय दर में वृद्धि के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव बुधवार को 516 रुपए टूटकर 44,517 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि चांदी का भाव 146 रुपए बढ़कर 47,234 रुपए किलो पर पहुंच गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा- दिल्ली में 24 कैरेट सोने के भाव में 516 रुपए की गिरावट आई। रुपया बुधवार को कारोबार के दौरान करीब 36 पैसा मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,661 डॉलर प्रति औंस और चांदी 17.03 डॉलर प्रति औंस रहा।

यस बैंक के ग्राहक अब ऑनलाइन दो लाख से अधिक राशि का कर सकते हैं भुगतान

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

यस बैंक के ग्राहक अब अपने क्रेडिट कार्ड और कर्ज की किस्तों के बकाए का दो लाख रुपए से अधिक का भी भुगतान दूसरे बैंक से ऑनलाइन कर सकते हैं। यस बैंक ने बुधवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी।

यस बैंक ने एक दिन पहले क्रेडिट कार्ड या कर्ज बकाए के भुगतान के लिए अन्य बैंक के खातों से आइएमपीएस और एनईएफटी की सुविधा पुनः शुरू की थी। अब बैंक ने इस तरह के भुगतान के लिए आरटीजीएस सेवाएं भी शुरू कर दी है। आरटीजीएस के जरिए दो लाख रुपए से अधिक के भुगतान किए जा सकते हैं। एनईएफटी के जरिए दो लाख रुपए तक के भुगतान की ही सुविधा है।

बैंक ने एक ट्वीट में कहा- यस बैंक के बकायों के भुगतान के लिए आरटीजीएस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अब आप किसी अन्य बैंक के खाते से यस बैंक के क्रेडिट कार्ड या कर्ज की बकाया किस्तों का भुगतान कर सकते हैं।

यस बैंक के शेयर 28 फीसद चढ़े

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

यस बैंक के शेयरों में बुधवार को लगातार दूसरे सत्र में जोरदार तेजी देखने को मिली और बुधवार को शेयर 28 फीसद बढ़ गए। एसबीआइ ने यस बैंक में 49 फीसद हिस्सेदार खरीदने की बात कही है, जिससे निवेशकों की धारणा सकारात्मक हो गई है।

यस बैंक के शेयर बीएसई में 28 फीसद बढ़कर 27.20 रुपए के भाव तक पहुंच गए, जबकि एनएसई पर इतनी ही बढ़त के साथ शेयर 27.20 रुपए कारोबार कर रहा था। पिछले सत्र सोमवार को बैंक के शेयर 31.17 फीसद बढ़कर 21.25 रुपए पर बंद हुए थे। शेयर बाजार मंगलवार को होली के अवसर पर बंद थे।

सूचकांक में 62 अंक की बढ़त

मुंबई, 11 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजार में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सूचकांक 62 अंक लाभ में बंद हुआ। इस दौरान आरआइएल, आइसीआइसीआइ बैंक और एचडीएफसी बैंक में तेजी देखने को मिली, हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते बाजार आशंकाओं की गिरफ्त में है।

कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक एक समय 386 अंक तक चढ़ गया। अंत में यह 62.45 अंक या 0.18 फीसद की तेजी के साथ 35,697.40 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई निफ्टी 6.95 अंक या 0.07 फीसद की तेजी के साथ 10,458.40 पर बंद हुआ। कारोबारियों ने बताया कि निवेशकों ने ऊर्जा, बैंकिंग और खपत आधारित क्षेत्रों में निवेश किया, जहां हाल में गिरावट देखी गई थी।

सूचकांक में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइसीआइसीआइ बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और एलएंडटी लाभ में रहे। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एसबीआइ और इंफोसिस में गिरावट दर्ज की गई।

इस दौरान ऊर्जा, दूरसंचार, पूंजीगत वस्तुओं, वित्त और बैंकिंग शेयरों में 2.11 फीसद तक की तेजी आई, जबकि तेल और गैस, धातु, आइटी, उपभोक्ता वस्तुओं और ऑटो शेयरों में गिरावट आई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में भी गिरावट हुई।

कारोबारियों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी से निवेशकों में घबराहट बढ़ गई थी और बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त खो दी। कोरोना वायरस दुनिया भर में एक महामारी का रूप ले चुका है। इससे 4,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि 1.20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

इस बीच सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने का एलान किया, जिसके बाद वायदा बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.02 फीसद फिसलकर 36.47 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

एअरटेल ने 13,000 करोड़ का पूरा बकाया चुकाया : मित्तल

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

भारती एअरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बुधवार को कहा कि कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए के पूरे सांविधिक बकाए का भुगतान कर दिया है।

सरकार ने चार मार्च को भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया मद में बची शेष राशि का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना किसी देरी के करने को कहा था। उस लिहाज से मित्तल की उक्त टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है। दूरसंचार विभाग ने उस समय सभी दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर बाकी बचे बकाए का भुगतान यथाशीघ्र करने को कहा था। साथ ही उन्हें खुद से आकलित राशि के बारे में ब्योरा देने को कहा था ताकि सांविधिक बकाए का समुचित मिलान हो सके।

दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश के साथ बुधवार को बैठक के बाद मित्तल ने कहा कि हमने 13,000 करोड़ रुपए की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान किया है। मित्तल के अनुसार सरकार ने कंपनियों से अपने सांविधिक बकाए का खुद से आकलन करने को कहा था। एअरटेल यह पहले ही कर चुकी है और उसके अनुसार भुगतान किया गया है। भारती एअरटेल ने दो किस्तों में सरकार को 13,004 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है ताकि अगर मिलान के दौरान कोई अंतर आए तो उसकी भरपाई हो सके। हालांकि दूरसंचार विभाग ने कंपनी पर 35,586.01 करोड़ रुपए के बकाए का अनुमान जताया है। कंपनी ने इसका लगभग आधा भुगतान किया है।

SHILPI CABLE TECHNOLOGIES LIMITED - In LIQUIDATION
CIN No. L64201DL2006PLC150753

E-AUCTION SALE NOTICE

Sale of Assets

1. State-of-the-art Cable manufacturing unit including land & building, plant & machinery and all other movable assets at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan.
2. All movable assets of auto-cable assembly unit including plant & machinery at Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan.
3. Plant & Machinery of RF Cable manufacturing line at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan
4. Plant & Machinery of Copper manufacturing line (including Upcast machine) at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan
5. Plant & Machinery of PVC manufacturing plant at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan
6. Plant & Machinery of Utility section at Chaupanki, Dist. Alwar, Rajasthan
7. All Lab equipments at Chaupanki and Bhiwadi plant, Dist Alwar, Rajasthan
8. All Office Equipments and Furniture at Chaupanki and Bhiwadi plant, Dist. Alwar, Rajasthan

E-Auction on 27th March, 2020 from 11 AM to 1 PM at web portal of: https://ncltauction.auctiontiger.net
Call at +91 22 6610 0922/21 or Email at sctl.lq@gmail.com for more information. Detailed Sale notice uploaded on the website: https://ncltauction.auctiontiger.net

For Shilpi Cable Technologies Limited - In Liquidation
Huzefa Fakhri Sitabkhan
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115

Date : 12th March, 2020
Place : Mumbai

टाटा कैपिटल फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड
TATA 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. रणवीर सिंह ए.के.ए. रणबीर सिंह
फ्लैट सं. सी-502, 5वीं मंजिल, टाइप-III, एमएस-ब्लॉक, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्लॉट नं. जीएच-69, सेक्टर-55, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
साथ ही : मकान नं. 51, घट्टा, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122002
2. मंजू पत्नी रणवीर सिंह ए.के.ए. रणबीर सिंह
फ्लैट सं. सी-502, 5वीं मंजिल, टाइप-III, एमएस-ब्लॉक, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्लॉट नं. जीएच-69, सेक्टर-55, गुरुग्राम, हरियाणा-122001
मोबाइल : +91-9873226555
साथ ही : मकान नं. 51, घट्टा, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122002

प्रिय श्रीमान/महाशया,

28.02.2016 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित 06.03.2020 तक ऋण खाता सं. 5790694 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" सन्दर्भित) का रु. 75,08,081.38/- (रुपये पचहत्तर लाख आठ हजार इक्यासी एवं अड़तीस पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते 7 जून, 2019 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23(2) के तहत आपको भावी ब्याज एवं लागत सहित रु. 75,08,081.38/- के कथित ऋण का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए 06.03.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

प्लॉट सं. जीएच-69, सेक्टर-55, गुरुग्राम, हरियामा पर स्थित प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर फ्लैट सं. सी-502, 5वीं मंजिल, टाइप-III श्रेणी, एम.एस. ब्लॉक, कवड/सुपर एरिया 117.738 वर्ग मीटर + 16.067 वर्ग मीटर बालकनी एरिया, कुल क्षेत्रफल 133.805 वर्ग मीटर। कथित सम्पत्ति विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2008 में अधिक वर्णित। मंजू के पक्ष में क्रियान्वित। कार्यालय उप रजिस्ट्रार गुरुग्राम, हरियाणा में पंजीकृत, दस्तावेज सं. 29330, ब्लॉक सं. 1, वॉल्यूम सं. 9753/832, पृष्ठ 141/54 से 55 के रूप में पंजीकृत, 17.03.2008 को पंजीकृत।

चूँकि आप लाभ हेतु जिस मूल पते पर निवास/व्यापारिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर 06.03.2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं हुई, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली — भवदीय
तिथि : 12.03.2020 — कृते टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

Syndicate Bank — एसएसआई फरीदाबाद 1 एफ/20, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा-121001, ई-मेलः br.8238@syndicatebank.co.in — **ई-नीलामी बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा गारन्टरों से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये की वसूली के लिये 17.4.2020 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि इस प्रकार हैः

ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम एवं पता तिथि के साथ बकाया राशि	गिरवी रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण तथा स्वामी/ मार्टगैजर का नाम	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)
खाता नं. 82381400000911 (बकाया राशिः 29.2.2020 को रु. 2,28,94,162.00) ऋणधारकः मै.ए वन ट्रेड लिंक्स, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री करण कुमार भाटिया, एच.नं. 5ई/22 बीपी, बी.के. चौक, एनआईटी फरीदाबाद-121001, गारन्टरः श्रीमती निकिता भाटिया, पत्नी श्री करण कुमार भाटिया, एच.नं. 5ई/22 बीपी, बी.के. चौक, एनआईटी फरीदाबाद-121001, गारन्टरः खाता नं. 82389830000387 (बकाया राशिः 29.2.2020 को रु. 3685107.00) ऋणधारकः श्री करण कुमार भाटिया, एच.नं. 5ई/22 बीपी, बी.के. चौक, एनआईटी फरीदाबाद,-121001, गारन्टरः श्रीमती निकिता भाटिया, पत्नी श्री करण कुमार भाटिया, एच.नं. 5ई/22 बीपी, बी.के. चौक, एनआईटी फरीदाबाद-121001, गारन्टरः कुल बकाया राशिः 29.2.2020 को रु. 26579269.00	दो मंजिला मकान जिसमें गोदाम के साथ भू तल पर ऑफिस यूनिट तथा प्रथम तल पर आवासीय यूनिट है, 266.66 वर्ग यार्ड्स के प्लॉट के पूर्वी भाग पर, बंगला प्लॉट नं. 5 ई/22 बीपी, एनएच-5, एनआईटी फरीदाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः रोड, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः एच.नं. 5ई/21 बीपी, पश्चिमः 5ई/22 बीपी (पश्चिमी भाग)	रु, 17000000/- रु. 1700000/- बिक्री सूचना की तिथि 7.3.2020 ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 17.4.2020 (11 बजे पूर्वा. 1 बजे अप.)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 12.3.2020 स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी सूचना
आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सूचना
मै. एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड (परिसमापन में)
CIN: U74999DL2004PLC125846, पंजी. कार्यालयः 31/3203, बेडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110002
परिसमापक का कार्यालयः खण्डेलवाल जैन एंड क., जी-8 एवं 9, हंस भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

सीपी(1B)-1650(ND)/2018 में आदेश सं. सी.ए. 83/सी-II/ एनडी/2002 तिथि 7.1.2020 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली मै. एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री https://ncltauction.auctiontiger.net के ई-नीलामी प्लेटफार्म पर की जाएगी।

विवरण	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	ईएमडी राशि एवं दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	बोली वृद्धि राशि
बैच I				
लॉट 1: गोइंग कसर्न के रूप में कॉर्पोरेट डेब्टर की बिक्री	शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2020 समयः 3.00 बजे अप से 5 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु 193000000/- (रुपए उन्नीस करोड़ तीस लाख मात्र)	रु 19300000/- 31 मार्च, 2020 को 5 बजे अप. से पूर्व.	रु. 500000
बैच II				
लॉट 2: डी-2/ई-16, दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट, भरूच, गुजरात-392130 में स्थित फर्नीचर एवं फिक्सर्स, कार्यालय उपकरण तथा विद्युत संस्थापन सहित प्लान्ट एवं मशीनरी	मंगलवार, 14 अप्रैल, 2020 समयः 3.00 बजे अप से 5 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 69000000/- (रुपए छह करोड़ नब्बे लाख मात्र)	रु. 6900000/- 10 अप्रैल, 2020 को 5 बजे अप. से पूर्व.	रु. 200000
लॉट नं. 3 डी-2/ई-16, दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट, भरूच, गुजरात में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन (भूमिः 54457.96 वर्ग मीटर)	मंगलवार, 14 अप्रैल, 2020 समयः 3.00 बजे अप से 5 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु, 10,80,00,000/- (रुपये दस करोड़ अस्सी लाख मात्र)	रु. 10800000/- 10 अप्रैल, 2020 को 5 बजे अप. से पूर्व.	रु. 200000
लॉट नं. 4: प्लॉट नं. ए-51 एवं 52, ग्राम अटाली, तालुका, वग्रा, जिला भरूच, गुजरात में फैक्ट्री भूमि एवं भवन की अचल सम्पत्ति (भूमि 3913.32 वर्ग मीटर)	मंगलवार, 14 अप्रैल, 2020 समयः 3.00 बजे अप से 5 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु, 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र)	रु. 5,00000/- (रुपये पांच लाख मात्र)	रु. 200000

निरीक्षण की तिथिः 16 मार्च, 2020 से 28 मार्च 2020 (12.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.) परिसमापक की पूर्व अनुमति के साथ
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथिः 31 मार्च, 2020 (बैच-1, लॉट-1 मात्र के लिये), 10 अप्रैल, 2020 (बैच -II, लॉट 2, 3 एवं 4 के लिये)

बिक्री के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं
1. ई-नीलामी सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योरमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (https://ncltauction.auctiontiger.net) के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ वहां है तथा उपचार रहित आधार" पर की जायेगी इस प्रकार बिक्री बिना किसी गारन्टीज तथा क्षतिपूर्ति के होगी।
2. नीलामी 2 बैचों में शमिल है जिसमें कॉर्पोरेट डेब्टर की बिक्री गोइंग कंसर्न के रूप में बैच-1 के लॉट 1 में होगी। यदि बैच-1 के लिये कोई बोलीदाता नहीं है, बैच- II के लॉट 2, 3 एवं 4 की बिक्री के लिये ई-नीलामी वैयक्तिक रूप से की जायेगी।
3. बोलियां निर्धारित प्रारूप में परिसमापक के पास (ऑन लाइन या हार्ड कापी में) जमा की जायेगी। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net से डाउनलोड की जा सकती है।

आकाश सिंघल परिसमापक
तिथिः 11.3.2020 — IBBI पंजी. नं.: IBBI/IPA-001/IP-N00137/2017-18/10279
स्थानः नई दिल्ली — फोः +91-9668145676
ईमलः akash@kjco.net, exclusivefibers.cirp@gmail.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
शाखा कार्यालय : 10203, जमना हाउस, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पतियां जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम हैं, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई-नीलामी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
मैसर्स Sico इंडिया प्रोप. श्री साविर मदान पंजी. कार्यालयः – जीए 14, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली -110015 गारंटरः 1. श्रीमती सिम्मी मदान, 2. श्रीमती स्वीटी मदान, 3. श्री संजीव मदान, 4. श्री राजीव मदान, 5. श्रीमती कमलेश रानी, पताः सी/ओ Sico इंडिया जीए 14, शिवाजी एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली -110015 — ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 29-01-2020	मांग सूचना की तारीख 03-02-2020 बकाया राशि ₹3,99,09,927.07 (दिनांक 30.11.2019 तक ब्याज सहित + ब्याज प्रभार एवं अन्य खर्चे इत्यादि	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 14 की EMDTD के माध्यम से प्रभार, ब्लॉक न. जीए, क्षेत्रफल 335.50 वर्ग मी., शिवाजी एनक्लेव - जी नजफगढ़ रोड नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति सिम्मी मदान पत्नी श्री राजीव मदान और श्रीमती स्विटी मदान पत्नी श्री राजीव मदान के नाम पर हैं। निरंतर सुरक्षित EMDTD व्यवसायिक सम्पत्ति 609-615, हामिल्टोन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 168 वर्ग गज, बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल, यह सम्पत्ति श्रीमती कमलेश और राजीव मदान के नाम पर है।

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 11.03.2020, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS

ETIAM EMEDIA LIMITED
CIN: L52520MP1995PLC008936
Registered Office: 224, Apollo Towers, 2, M.G.Road, Indore-452001
Tel: +91 731 4285155; **Email:**etiamemedialtd@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement ("**Exit Offer PA**") is being issued by Mr. Kailash Garg **("Acquirer")** for and on behalf of all the constituents of promoter group of Etiam eMedia Limited ("**EML**"/"**Company**"). Company was listed on Madhya Pradesh Stock Exchange, Delhi Stock Exchange, Madras Stock Exchange and Ahmedabad Stock Exchange, which have been categorized as non-operational by Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**. Consequently, the Company was moved to the Dissemination Board ("**DB**") of the BSE Limited **("BSE")**.

SEBI, vide the Exit Circular, has stipulated the process for exit of Exclusively Listed Companies (ELC) from the DB. In terms of clause (i) of Annexure A of the Exit Circular, Offering Promoter has appointed Capital Square Advisors Private Limited, Merchant Banker registered with SEBI and empanelled as an Expert Valuer on the panel of BSE **("Independent Valuer")** for the valuation of shares of EML and related services. The said Independent Valuer, after taking into account the applicable valuation methodologies, has issued its valuation report dated March 09, 2020 and determined the fair value of one Equity share of EML at ₹ **(0.01)** (Negative one paisa only) per share.

INFORMATION RELATING TO THE COMPANY
1) **Name and Registered Office of the Company:**
Name of the Company : Etiam eMedia Limited
Registered Office : 224, Apollo Towers, 2, M.G. Road, Indore-452 001
2) **Shareholding pattern**

Particulars	No. of Equity Shares	No. of Equity Shareholders	% of Equity Share Capital
Promoters/Acquirers/other entities in Promoter Group	25,57,100	6	75.09%
Public Shareholders	8,48,400	170	24.91%
Total	**34,05,500**	**176**	**100.00%**

Para (ii) of Annexure A to the said SEBI Circular stated that incase the fair value of Equity shares determined by Independent Valuer is Positive, the promoter of the Company shall acquire the shares from the public shareholders by paying them such value determined by the Independent Valuer.

In the present case, the fair value determined by the Independent Valuer being Negative [₹ **(0.01)** (Negative one paisa only) per share] the Offering Promoter will not acquire any shares from public shareholders with no liability to make any payment to the public shareholders.

In view of the above, EML will be making an application to BSE requesting it to remove the name of EML from Dissemination Board. Further, EML and its promoter undertake to redress all the grievances of the Public shareholders, if any.

The Exit Offer PA is expected to be available at the website of BSE at www.bseindia.com and on the website of Independent Valuer at www.capitalsquare.in.

In case of any queries regarding the Exit Offer, the public shareholders can contact the Company at the above-mentioned address.

Sd/-
Place: Indore — by **Mr. Kailash Garg**
Date: March 11, 2020 — **(for and on behalf of the Promoter Group of Etiam eMedia Limited)**

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO DELISTING ORDER PASSED BY THE DELISTING COMMITTEE OF BSE LIMITED IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

GOLKONDA ENGINEERING ENTERPRISES LIMITED
(CIN: U74120TG1991PLC012450)
Registered Office: - 1-7-241/11/D, Ramalaya, 3rd Floor, S.D. Road, Secunderabad-500 003, Telegana
Email ID: gp@suranamailindia.com ; **Phone:** 040 40176211, 65595929, **Website:** www.geel.co.in

This Public Announcement ("PA") is being issued by Mr. Gulabchand Pukhraj Surana, Mr. Dipin Surana and Mr. Ravi Surana, the Promoters of the Golkonda Engineering Enterprises Limited ("GEEL"/"the Company") who are acting as Offerer to provide Exit Opportunity to the Public Shareholders pursuant to Delisting Order dated 26th June, 2018 passed by Delisting Committee of BSE Limited in terms of Regulation 22 of Chapter V of Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 ("Regulations"). The Company was listed on the BSE Limited ("BSE"). However, due to non-compliance of various provisions of the erstwhile Listing Agreement [presently under SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015], the Company was delisted by Delisting Committee of BSE. Consequently, the Company was moved to Dissemination Board of the BSE Limited for 5 (five) years. The Company is engaged in the business of manufacturing of Railway and Telecom Cables such as PIJF, Quad and Signalling Cable. The Company supplies its products to Railway, BSNL and other organizations.

As per the Delisting Order dated 26th June, 2018, the Fair Value of the Company was worked out to ₹ 35.65 per share, as determined by the Independent Valuer appointed by BSE Limited. However, as more than a year has elapsed since then on account of delay in obtaining ISIN and entering into an agreement with the Depositories, the Valuation is done once again considering the latest Financial Statements of the Company. Accordingly, the Company has appointed Mark Corporate Advisors Private Limited, Merchant Banker, as an Independent Valuer for determining Fair Value/Exit Price of Equity Shares of the Company. The said Independent Valuer, after taking into consideration on the applicable valuation methodologies, has issued GEEL its Valuation Report on August 09, 2019 and has determined fair value/exit price of equity shares at ₹ 40.70 per fully paid up equity share. The said Valuation Report will be available for inspection at the Registered Office of GEEL during office hours from Monday, 23rd March, 2020 upto the closure of exit offer window, (i.e.) Tuesday, 31st March, 2020.

The fair value of the equity share has been arrived at based on Net Asset Value (NAV) and Price Earning Capacity Value (PECV) methods, by assigning appropriate weights to each method. Based on the weighted average, the Fair Value/Exit Price per Fully paid up equity share of the Company is arrived at ₹ 40.67 which is rounded off to ₹ 40.70 per fully paid up equity share. The total number of equity shares of Public Shareholders of GEEL as on date is 4,29,920 Equity Shares including 600 Partly paid up Equity Shares paid up to the extent of ₹ 5/- each. However, those shareholders whose shares are partly paid up, required to pay the unpaid call amount and get the shares dematerialized before participating in this Exit Offer.

In view of the above and to provide exit opportunity to all public shareholders of GEEL, an exit offer is invited to tender equity shares in accordance with the below mentioned details:

Exit Offer Period/Window
Exit Offer Opens on : Monday, 23rd March, 2020
Exit Offer Closes on : Tuesday, 31st March, 2020

The Promoters of the Company have appointed Bigshare Services Private Limited as the Registrar to the Offer. The Registrar would be accepting the Form of Acceptance at their office located at "1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra". The shareholders holding shares in Physical Form are requested to get their shares dematerialized before participating in this Exit Offer. Please note that no shares will be accepted in Physical mode pursuant to PR No.: 51/2018 dated December 03, 2018 issued by SEBI wherein requests for effecting transfer of securities shall not be processed after March 31, 2019 unless the securities are held in Dematerialized Form with a Depository. The shareholders holding shares in the Dematerialized Form, will be required to send their Form of Acceptance to the Registrar to the Offer, so as to reach to the Registrar to the Offer, on or before the Date of Closure of the Offer, i.e. Tuesday, 31st March, 2020, along with a photocopy of the delivery instructions in "Off-market" mode or counterfoil of the delivery instructions in "Off-market" mode, duly acknowledged by the depository participant ("DP"), in favour of Golkonda Engineering Enterprises Limited" ("Depository Escrow Account") filled in as per the instructions given below:

Account Name : **Golkonda Engineering Enterprises Limited**
DP Name : HDFC Bank Limited
DP ID : IN301549
Beneficiary/Client ID : 61039450
Depository : National Securities Depository Limited

In accordance with the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, the Promoters have opened a Cash Escrow Account under the name and style of **"Golkonda Engineering Enterprises Limited Exit Offer Escrow Account"** ('Cash Escrow Account') with IndusInd Bank Limited, Premises No. 61, Sonawala Building, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai – 400 001 ('Escrow Banker') bearing account number 250557778107 and made a cash deposit of ₹ 1,74,97,744/- (Rupees One Crore Seventy Four Lacs Ninety Seven Thousand Seven Hundred and Forty Four Only) in the account which is equivalent to 100% of the Consideration. The Offerer have authorized Mark Corporate Advisors Private Limited to operate and realize the value of the Escrow Account in terms of the Regulations.

Upon receipt of the complete documents, the Offerer shall acquire offered/tendered equity shares at the Exit Price for cash consideration of ₹ 40.70 per equity share from all the shareholders of the Company. The procedure of exit offer shall be as per SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and other Rules & Regulation as prescribed. The Payment to the Public Shareholders who have tendered shares in the exit offer window shall be made within 15 days from the close of the exit window i.e. Wednesday, 15th April, 2020.

The Exit Price of ₹ 40.70 per share is justified as the Fair Value per share derived by the Independent Valuer and the same is offered to all the Public Shareholders of the Company.

OTHER DETAILS:

Shareholding: As on 7th August, 2019 as well as on date, the paid up Equity Share Capital of Golkonda Engineering Enterprises Limited is ₹ 4,14,47,700 consisting of 41,44,470 fully paid equity shares of ₹ 10 each and 600 Partly Paid Up Equity Shares (paid up to the extent of ₹ 5/- each); out of which 4,29,920 (10.37%) Equity Shares including 600 partly paid up equity shares are held by the Public Shareholders. There are seven Shareholders in the Promoters & Promoter Group category and out of which 3(three) Promoters of the Company are offering the exit offer to all the public shareholders.

Those public shareholders who are not offering their equity shares under current public/exit offer period may do so on or before Wednesday 31st March, 2021, being one year from the closure of exit period/window, at the same price of ₹ 40.70 per equity share. The procedure for tendering the equity shares after the closure of the exit period/window for a period of one year shall remain the same.

Sd/-
Gulabchand Pukhraj Surana
Place : Secunderabad — **(For himself and on behalf of Dipin Surana and Ravi Surana)**
Date : 11.03.2020 — **(Promoters of Golkonda Engineering Enterprises Limited)**
(Promoters of Nava Bharat Enterprises Limited)

कोरोना : बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर

कोट्टायम, 11 मार्च (भाषा)।

कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 85 साल की महिला की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हृदय से जुड़ी पुरानी बीमारियों के कारण उनकी हालत नाजुक है जबकि उनके 96 साल के पति की हालत स्थिर है।

दोनों इटली से 29 फरवरी को अपनी पत्नी और बेटे के साथ लौटे व्यक्ति के माता-पिता हैं।

शरद पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन

मुंबई, 11 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। राज्यसभा चुनाव 26 मार्च को होना है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विधान भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। राज्य के राकांपा नेताओं के साथ वह यहां पहुंचे थे। राकांपा नेता और पूर्व मंत्री फौजिया खान भी पवार के साथ नजर आईं। वे खुद भी गुरुवार को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है।

पवार के अलावा कांग्रेस के हुसैन दलवई, शिवसेना के राजकुमार धूत, भाजपा के अमर सबले, निर्दलीय नेता संजय काकडे और राकांपा के मजीद मेमन का भी राज्यसभा का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो रहा है।

अदालत ने कोरोना पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जनहित याचिका पर 30 मार्च तक जवाब मांगा।

अधिवक्ता त्रिवेणी पोटेकर की ओर से दायर याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस के उपचार एवं जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और उन तक पहुंच के बारे में आवश्यक एवं प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध करवाएं।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी मंत्रालय की ओर से पेश हुए। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि हाई कोर्ट में संक्रामक लोगों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

पोटेकर ने अपनी याचिका में कहा कि पर्याप्त जांच, पृथक रखने की सुविधा और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण भारत में बड़े पैमाने पर संक्रमण का बहुत खतरा है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि वह क्षेत्र के विशेषज्ञों की देखरेख में एक निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दे।

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष

सीएए–35/एनडी/2020 के साथ संबंधित सीए (सीएए)–13/एनडी)/2020

के विषय में,
एमस्टार सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता कम्पनी/आवेदक स. 1)
तथा
मीडियाटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी/आवेदक सं. 2)
तथा
उनके संबंधित शेयरधारक

(आवेदक सं. 1 को कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निगमित किया गया है और आवेदक सं. 2 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित किया गया है और दोनो कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है)

एमस्टार सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मीडियाटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की संयुक्त स्कीम की मंजूरी के लिए कम्पनी याचिका सीएए–35/एनडी/2020 (द्वितीय प्रस्ताव) के रूप में एक याचिका कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 तक के अधीन संयुक्त रूप से दिनांक 12–02–2020 को प्रस्तुत की गई थी। कि उक्त कम्पनी याचिका में 25–02–2020 को नोटिस जारी किया गया था और उक्त याचिका की सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष 13–04–2020 को की जानी नियत है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, वह अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, याचिकादाताओं/आवेदकों के अधिवक्ता को इस प्रकार भेज सकता है कि याचिकादाता के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की प्रति उसको लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./–
तिथि : 11–03–2020
स्थान : नई दिल्ली
एसपी सिंह चावला
कॉर्पलिट कंसल्टेंट्स
(एडवोकेट्स एंड एडवाइजर्स)
डब्ल्यू–104, एलजीएफ (रियर), ग्रेटर कैलाश–I, नई दिल्ली–110048
ई–मेल : corplitconsultants@gmail.com, सेल : +91 9911338809

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
डेटक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
[illegible]
प्लॉट नंबर 505, उद्योग विहार फेज–3, गुड़गांव, हरियाणा–122 001
कृते एवं हिते निदेशक मंडल
डेटक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
भुवनेश्वर प्राणेश
(निदेशक)
डीआईएन : 07072931
तिथि : 05–03–2020
स्थान : हरियाणा

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE that my client Kaizen Domestic Scheme 1 & Kaizen Private Equity have filed O.M.P. (ENF) (COMM) No. 28 of 2020 before Hon'ble Delhi High Court against the Judgment Debtors viz. (1) Your Kids "R" Our Kids (India) Education Private Limited, (2) Bharat Kapoor, (3) Suman Kapoor, (4)Harbans Lal Kapoor & (5) Neelam Kapoor all residents of 4B, Palm Drive, DLF Farms, Chattarpur, New Delhi - 110074, restraining them from creating any third-party rights with respect to 3 properties i.e.
(i) N-39, Panchsheel Park, New Delhi – 110017,
(ii) 4B, Palm Drive, DLF Farms, Chattarpur, New Delhi - 110074 and
(iii) 17, Jorbagh, Opp. Lodhi Garden, New Delhi – 110023
In the said matter the Hon'ble Delhi High Court vide its Order dated 17.02.2020 has passed Injunction Order restraining the said Judgement Debtors to create any third-party rights with respect to the said properties.
The general public is hereby informed not to deal with the said properties and not to enter upon the said properties under any arrangement of whatsoever nature.

Gaurav Goel
Advocate for Decree Holders
Chamber No.882 - 883, Patiala House Court,
New Delhi - 110001.
Tel.: 99104083633

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परि.) सिटी एवं एसपीजेड का कार्यालय
कमरा संख्या 300, तृतीय तल, पुराना हिंदू कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 टेली.नं. 011-23988845

सं. ईई (प्रोजेक्ट)सीएसपीजेड/टीसी/2019-20/20 दिनांक: 09.03.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध	:	16.03.2020 अपराह्न 18.00 बजे से 23.03.2020 अपराह्न 18.00 बजे
निविदा दस्तावेज जारी करना	:	16.03.2020 अपराह्न 18.01 बजे से 23.03.2020 अपराह्न 18.10 बजे
निविदा समाप्ति की तारीख और समय	:	24.03.2020 अपराह्न 15.00 बजे
खोलने की तारीख	:	25.03.2020 अपराह्न 15.00 बजे

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित एवं पात्र संविदाकारों से अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु सीलबंद प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.1, कार्य का नाम: उत्तरी दि.न.नि. के करोल बाग जोन में एमएसडब्ल्यू प्रबंधन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक संग्रह करने के लिए अवसंरचना बनाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। उप-शीर्ष: करोल बाग जोन में फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) (प्रत्येक वार्ड में एक) हेतु 13 बाड़ों (एन्क्लोजर्स) का निर्माण, **लेखा शीर्ष:** यूडीएफ, **निविदा राशि:** 3,82,55,682/–, **अनुमानित लागत:** 3,82,56,000/–, **धरोहर राशि:** 7,65,200/–, **पूर्ण करने की अवधि:** 06 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 05 महीने, **निविदा लागत:** 1,500/–

क्र.सं.2, कार्य का नाम: उत्तरी दि.न.नि. के नरेला जोन में एमएसडब्ल्यू प्रबंधन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक संग्रह करने के लिए अवसंरचना बनाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। उप-शीर्ष: नरेला जोन में फिक्स्ड कॉम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) हेतु 02 बाड़ों (एन्क्लोजर्स) का निर्माण, **लेखा शीर्ष:** यूडीएफ, **निविदा राशि:** 58,85,407/–, **अनुमानित लागत:** 58,85,000/–, **धरोहर राशि:** 1,17,700/–, **पूर्ण करने की अवधि:** 04 महीने, **दरें मान्य रहने की अवधि:** 05 महीने, **निविदा लागत:** 1,000/–

नोट: नि.आ.सू. से संबंधित अनुशेष/शुद्धिपत्र सहित विस्तृत जानकारी केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER पर अपलोड की जाएगी।

– हस्ता. –
अधिशासी अभियंता (परि.)
सिटी-एस.पी.जोन
R.O. No.242/North DMC/2019-20

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[illegible]

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Railways) Regional Office
Chief General Manager (CGM)/ North Central Region(NCR)
6th Floor, IWAI Building, A-13, Sector-1, Noida-201301 (U.P.)
Ph No – 0120 – 4052941, Fax – 0120- 4052988

E-Tender Notice

Reference: OPEN E- TENDER NO: CON/NCR/T/CPC/DG Set 500 KVA /2020 Dated 12/03/2020, in Single bid system is invited, for Supply, Installation, Testing & Commissioning of one no. of 500 KVA silent DG-set with AMF panel & accessories At ICD/KANPUR, UTTAR PRADESH, at Container Corporation of India Ltd, North Central Regional office,6th Floor, IWAI Building, A-13, Sector-1, Noida-201301 (U.P.). Last date of submission of tender is up to 17:00 hrs, on 26/03/2020 on the website www.tenderwizard.com/CCIL. For detailed information and any corrigendum please log on to www.tenderwizard.com/CCIL

Chief General Manager/NCR

दक्षिण मध्य रेलवे

हमें SCRailwayIndia पर फॉलो करें
द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाइट: www.scr.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है

मार्च–2020 माह में विशेष ई–नीलामी के संचालन का प्रस्ताव

डिवीजनों/स्क्रैप डिपो हेतु विशेष ई–नीलामी कार्यक्रम

ई–नीलामी की तिथि	डिवीजन/स्क्रैप डिपो
26.03.20	हैदराबाद, गुंताकल, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रेयानापाडू, तिरुपति
26.03.20	सिकन्दराबाद, हैदराबाद गुंताकल, गुंटूर, नांदेड, लल्लागुडा, रेयानापाडू, तिरुपति

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, सिकन्दराबाद
ए0395/20

निविदा की विस्तृत शर्तों/ विवरणों तथा निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए कृपया हमारी वेबसाईट: www.ireps.gov.in, http://www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 315/2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 153 दिनांक: 04.03.2020

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स जी0 के0 इंटरप्राइजेज एवं अन्य

सेवा में,
1. मैसर्स जी0के0 इंटरप्राइजेज, पंजीकृत ऑफिस दूकान नं0 4, सिडकुल बाईपास रोड, निकट पेट्रोल पम्प, हरिद्वार, उत्तराखण्ड– 249402
2. उपदेश चौधरी पुत्र राज सिंह, निवासी: ईएच–8, टाइप III, सेक्टर 6, शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड– 249403
3. अनुभव कुमार पुत्र पुरषोत्तम कुमार, निवासी 36, माँ आनंदमयी पुरम, हजारी बाग, ग्राम– जगजीतपुर, ज्वालापुर, हरिद्वार उत्तराखण्ड– 249407
वैकल्पिक पता: मकान नं0 20, विवेक विहार, आवास विकास कॉलोनी, अहमदपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड– 249407

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रु0 68,17,422.90/– की वसूली हेतु ओ0ए0 सं0 315/2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन/नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 02.03.2020 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीकों से सम्मन नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 21.04.2020 को 10.30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सूचित हो कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 04 मार्च, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon!

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
प्र. का.: सी– 13, सैक्टर–1, नोएडा 201301 (उ.प्र.)

लैजर पेपर की खरीद के लिए ई-निविदा का आमंत्रण

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भारत में स्थित ऐसे पेपर मिल्स से या उनके अधिकृत /मनोनीत वितरक(कों) से 1,500 रीम 70–जी.एस.एम लैजर पेपर (100% लकडी (वुड) /बांस आधारित पल्प या अन्य किसी उच्च गुणवत्ता वाले लकडी आधारित वर्जिन पल्प से ही निर्मित) की खरीद हेतु खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है, जो निविदा दस्तावेज में बैंक द्वारा दिए गए पात्रता मानदंड और पेपर के तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करते हों।

उक्त सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से 12.03.2020 से इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान रु. 1,180/– के नॉन–रिफण्डेबल (अप्रतिदेय) निविदा शुल्क का भुगतान – "मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, नोएडा" के पक्ष में देय – द्वारा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कर प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त निविदा दस्तावेज का बैंक के ई–खरीद पोर्टल https://etender.pnbnet.in और बैंक की वैबसाइट www.pnbindia.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक निविदाकर्ता सम्पूर्ण विवरण के लिए कृपया निविदा दस्तावेज का संदर्भ लें।

बैंक के ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा को जमा करने की अंतिम तिथि 26.03.2020 अपरान्ह 12.00 बजे तक है।

मुख्य महाप्रबंधक

प्रपत्र सं. यूआरसी–2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत अब से पन्द्रह दिन के पश्चात किन्तु तीस दिन की समाप्ति से पूर्व रजिस्ट्रार दिल्ली के पास यह आवेदन प्रस्तावित किया जाना है कि "एचए कॉट्सपिन एलएलपी", एक एलएलपी को शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : टेक्सटाइल एवं अनुषंगी गविधियों का निर्माण।
3. प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय 114, भूतल, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली–110003 पर निरीक्षित की जा सकती है।
4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड–122050 के पास इस सूचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज सकता है।

दिनांक : 12 मार्च, 2020
आवेदक(कों) के नाम
1. अनुपमा दुग्गल
2. अंशु कपूर

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint R/w sec - 138 N. I ACT
CNR NO:PBLD03-011749-2019
Next date: 09-04-2020

M/s Kimti Garments
V/s
M/s Salam Namste

Notice To: 1. M/s Salam Namste, Patta Bohri Chowk, Jammu And Kashmir, Through Its Prop. Ankur Abrol 2. Ankur Abrol, Prop. Of M/s Salam Namste, Patta Bohri Chowk, Jammu And Kashmir
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 09-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Ms. Rajbinder Kaur
Judicial magistrate-1st class, bathinda
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBBT03-012429-2017
NEXT DATE: 26-03-2020

Ashwani Kumar Shukla
V/s
U 2 EEAT Bathinda

Publication Issued To: Shilpi Prashar Daughter:- Vipin Prashar R/o Mohalla Misharpura, Ps Kankhal Janpath, Haridwar, Through Its Authorized Signatory U2 EEAT Bathinda
In above titled case, the accused could not be served .it is ordered that accused should appear in person or through counsel on 26-03-2020 at 10.00 a.m. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Bathinda
JMIC BATHINDA

COURT NOTICE

In the court of Ms. Rajbinder kaur
Judicial magistrate-1st class, bathinda
CNR NO:PBBT03-002487-2019
NEXT DATE: 29-04-2020

Bipan Kumar
V/s
Rushtam Sekhar

Pubication Issued To: Rushtam Sekhar Father:- Shri Chand Shekar R/o Village Sandalpur, Police Station Kasim Bazar District Munger, Bihar
In above titled case, the accused could not be served .it is ordered that accused should appear in person or through counsel on 29-04-2020 at 10.00 a.m.
For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Bathinda
JMIC BATHINDA

COURT NOTICE

In the court of sh. Shaminder pal singh
Judicial magistrate first class-6, jalandhar
CNR NO: PBJL03-011020-2019
NEXT DATE: 02-05-2020
BASTI SAWA KHEL

Rexon laboratories limited
V/s
Prerna arora

Publication Issued To: Prerna Arora R/o Prop/ Authorized Signatory Of M/s Design Ur Wall Basement Rx Complex, Besides Marie Gold Apartment Near Neel Giri Chauraha, Ravindrapalli, Indra Nagar, Lucknow, U.p
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 02-05-2020 at 10.00 a.m. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar
JMIC JALANDHAR

COURT NOTICE

Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh
Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-036698-2017
NEXT DATE: 10-04-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Mohd. Javed

[illegible]
JMIC LUDHIANA

पायनियर हॉर्टीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U01122DL2005PTC138349
पंजीकृत कार्यालयः बी–113, हरिजन, वेस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, नई दिल्ली–110093
फोनः 0120–4317173,
ईमेल आईडी: phplindia2005@ymail.com
वेबसाइटः www.nurserypioneer.com

फॉर्म सं0. आईएनसी–26
(कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार के समक्ष
(क्षेत्रीय निदेशक को प्रेषित शक्ति)
उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
पायनियर हॉर्टीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः बी–113, हरिजन, वेस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, नई दिल्ली–110093 में है के मामले में
आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के रा.रा.क्षे." से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 01 फरवरी, 2020 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक को प्रेषित शक्ति) के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के उपलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

कृते और आवेदक की ओर से
पायनियर हॉर्टीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
स्नेहलता तोमर
प्रबंध निदेशक
DIN - 01295650
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 11.03.2020

ब्रिज एण्ड रूफ कॉ (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No: U27310WB1920GOI003601
"कंकरिया सेंटर", (चौथा व पांचवा तल), 2/1, रूसेल स्ट्रीट, कोल–71

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (ई–एनआइटी) नं. B&R/HO/MSP/61010/INSTRUMENTATION/HMEL/NIT/01 दिनांक 12.03.2020

भठिंडा, पंजाब मै. एचएमइएल की गुरू गोबिंद सिंह रिफाईनरी में गुरू गोबिंद सिंह पॉलीमर एडिशन प्रोजेक्ट के लिए डीएफसीयू यूनिट–भाग ए व बी पर ईआइएल मानदंड एवं विनिर्देशनों के अनुसार विभिन्न इनस्ट्रूमेंटेशन कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिष्ठित, संसाधन- संपन्न और अनुभवी एजेंसियों से दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन एकल प्रतिशत दर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक बोलीदाता को http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर लॉगइन के माध्यम से सरकारी इ–प्रापण प्रणाली के साथ नामांकन एवं पंजीकरण करना होगा।

प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.03.2020 को 16.00 बजे तक।

परिशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा, केवल कंपनी की वेबसाइट www.bridgeroof.co.in और सीपीपी पार्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर डाला जाएगा।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदाकरण की एकल पैकेट प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है :

निविदा सं	कॉन/ईपी/वरनामा/रेलवे स्टेशन/ब्रिज एण्ड ट्रैक वर्क्स/2020
कार्य का नाम	वरनामा रेलवे स्टेशन, वडोदरा (गुजरात) के नजदीक मिट्टी का कार्य, पीएससी ब्रिज का निर्माण, ट्रैक वर्क्स और अन्य संबद्ध कार्य।
अनुमानित लागत	935.63 लाख रु.
पूरा करने की अवधि	12 (बारह) माह
धरोहर राशि जमा	6,17,820 रु. (ई–भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज का मूल्य (अप्रतिदेय)	1,000 रु. (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और प्रभार सहित)
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	5,310 रु. (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और प्रभार सहित)
निविदा की बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	12.03.2020 (11.00 बजे) से 02.04.2020 (17.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	03.04.2020 को 17.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	06.04.2020 को 11.30 बजे

वित्तीय योग्यता मानदंड, समान प्रकार के कार्य आदि के संबंध में अनुभव के लिए कृपया वेबसाइट www.concorindia.com पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, किन्तु सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के शुद्धिपत्र/अनुलग्न, यदि कोई हों तो केवल वेबसाइट www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL और केन्द्रीय प्रापण पोर्टल (सीपीपी) पर डाले जाएंगे। समाचार पत्र में इसके लिए प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

समूह महा प्रबंधक (ईसी)
फोन नं.: 011-41222500

शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

पंजी. कार्यालयः 13/1207, अंसारी रोड, सहारणपुर–247001 (उ.प्र.)

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि. के निम्नलिखित ऋणधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी वैयक्तिक सूचनाओं सहित विभिन्न मांगों तथा सूचनाओं के बावजूद उन्होंने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त गोल्ड लोन को समायोजित नहीं किया है। सभी ऋणधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक में प्रतिभूति के रूप में रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने का फैसला किया गया है एवं तदनुसार उन शाखा परिसरों जहां से उन्होंने ऋण प्राप्त किये थे, में 27.3.2020 को 3.00 बजे अप. में नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है। ऋणधारकों, शाखा धारकों तथा आम जनता सहित सभी व्यक्ति नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

शाखा	खाता सं.	खाता धारक का नाम	पिता/पति-पत्नी का नाम	पता	वांछित राशि
चिल्काना रोड	100941010645	मोहम्मद सलीम	मोह. हारुन	अजीज कॉलोनी चिल्काना रोड सहारणपुर	42510.34
चिल्काना रोड	100941010653	मुर्तजा	नूर मोह.	एच. नं.–709ए, न्यू बस्ती इस्लामाबाद, सहारणपुर	72655.59
चिल्काना रोड	100941010820	सलीम अहमद	मकसूद अहमद	मुर्सलिन ताज कॉलोनी, निकट सलीम टेन्ट वाले लेन नं.–06, खट्टा खेरी, सहारणपुर	84407.17
चिल्काना रोड	100941010536	मोह. रिजवान	खुर्शीद आलम	धतौली रंगद, मदरसा के सामने, सहारणपुर	36734.13
चिल्काना रोड	100942510009	फातिमा परवीण	बलीगू रहमान	एच. नं 11/903, सराय कलनदार, खंड–2, सहारणपुर	385634.27
चिल्काना रोड	100942510011	मोह. अहमद	बलीघुर रहमान	एच. नं 11/903, सराय कलनदार, खंड–2, सहारणपुर	416172.18
चिल्काना रोड	100942510050	सोनी कुमार	सुरेन्द्र कुमार	सम्राट विक्रम कॉलोनी दुर्गा मंदिर के पास सहारणपुर	88511.43
देवबंद	100441014302	सैय्यदाह खदीजा मदानी	पत्नी जाहीन अहमद	मोह–बडजिया उल हक देवबंद, जिला सहारणपुर–247554, उ.प्र.	165558.31
गंगोह	100241025347	रामधन पंचाल	बुध सिंह	निकट गणेश चौक मोहल्ला टाकन गंगोह	36726.02
गंगोह	100241024648	मनोहर सिंह	अजीत सिंह	ग्राम– गुरछप्पर पोस्ट गंगोह–247341	182426.16
गंगोह	100241025028	अय्यूब	नानू	मोहल्ला कुर्सियान, साबिर मस्जिद के निकट, गंगोह	517520.37
गंगोह	100241025010	मस्कूर	मकबूल	मोहल्ला मोहम्मद गौरी, शेक सवारी मस्जिद गंगोह	517157.55
गंगोह	100241025372	इरताक	जिलेदार	ग्राम बेगी बंश देवा पोस्ट सिकन्दरपुर गंगोह	292113.25
गंगोह	100242510088	श्री वसीम कुरैशी	हाजी इलयािश कुरैशी	मोहल्ला कुरेशियान, निकट दूदला चुंगी गंगोह	821052.42
सरसावा	101241010687	विपिन कुमार	जयदयाल सिंह	बलवंतपुर सलीमपुर, अम्बाला रोड सरसावा 247232	117098.31
शामली	102641000743	संजीव कुमार चौहान	हरपाल सिंह	ग्राम अलीपुर शामली 247774	314975.39
शारदा नगर	101741006278	रणजीत सिंह	पुत्र गुरु दयाल सिंह	1416, तेल मिल खड 4, गली पुराना तेल मिल शरदा नगर सहारणपुर, उ.प्र.–247001	101255.34
शारदा नगर	101741006411	नीलम	पुत्री ओम प्रकाश	नवादा रोड, शिवपुरी के निकट, सहारणपुर, उ.प्र.–247001	16025.16
गाजियाबाद	101541012978	कपिल	सीओ सरण सिंह	फ्लैट नं. 508, टावर 9, पुर्वांचल रॉयल पार्क, फेलिक्स हॉस्पीटल सेक्टर 137, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश–201301	692029.44
गाजियाबाद	101541013375	गीता	मोह. सोहैल	बी 02, दूसरा तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	259519.88
गाजियाबाद	101541013130	तहबिला फिरदौस	पुत्री, डब्ल्यू/ओ मोह. जासिम	1593 डी ब्लॉक जेजे कॉलोनी बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली नरेला दिल्ली–110039	21032.26
गाजियाबाद	101542510001	लल्लन सिंह	बैकुन्ठ सिंह	हैवतपुर, बिसरख, तहसील दादरी, गौतमबुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–203207	42943.66
गाजियाबाद	101542510019	अंकुर सिरोही	पुत्र कौशल पाल सिरोही	341, दौलतपुरा भाटिया मोड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	241941.47
गाजियाबाद	101542510021	सुनीता कश्यप	अमोद कुमार कश्यप	ए 872, गली नं. 13, दीन दयालपुरी, नंदग्राम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	50666.95
गाजियाबाद	101542510017	दिनेशअगरवाल	कृष्ण अगरवाल	केबी–10, 2रा तल, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001	1014344.02
हापुर	102542510004	पवन त्यागी	सुरेश चंद त्यागी	मकान सं. 700, तागासराय, बड़ा गेट के निकट, उत्तर प्रदेश, हापुर, उत्तर प्रदेश–245101	132890.22
इन्दिरा पुरम	101941013881	श्री हरि उपाध्याय	श्री हरि उपाध्याय	बी–461, सुदर्शन पार्क, रमेश नगर, दिल्ली–110015	95881.96
इन्दिरापुरम	101941011550	नंदू चौधरी	देव नारायण चौधरी	एच.नं. 78/7, निकट विशाल पब्लिक स्कूल, रघुनाथपुर, बहरामपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	14689.07
इन्दिरापुरम	101941013974	दीपक कुमार नायक	भाष्कर चंद नायक	एच.नं. 168, ग्राम जलपुरा, तहसील दादरी, उत्तर प्रदेश–201301	75793.09
इन्दिरापुरम	101941013865	कैलाश चन्द्र	कैलाशचन्द्र	आर.सी.– 143, प्रेम विहार, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201309	57906.34
इन्दिरापुरम	101942510002	योगेन्द्र कुमार वर्मा	श्री. वर्मा	एच.नं. एल 113, विजय नगर, सेक्टर 9, ब्लॉक एल, गाजियाबाद पीएस विजय नगर तह. गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009	62653.72
नोएडा	100741023583	विनोद कुमार शर्मा	राम भरोसे शर्मा	एच.नं. 288, ब्रह्मपुरी दादरी नोएडा, उत्तर प्रदेश–203202	85786.75
नोएडा	100742510031	राकेश कुमार	एस.एच. कुमार	मकान सं. 323, घघोला गांव, पुलिस थाना के निकट, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301	70235.04
नोएडा	100742510068	रविन्द्र कुमार	हर स्वरूप	एच.नं. 45, 5वां तल, हिंडेन विहार, सेक्टर–49, नोएडा, तह–दादरी, नोएडा उत्तर प्रदेश–201301	120024.18
नोएडा	100741024013	विजय बजाज	पी.एल. बजाज	एच.नं. जे नोएडा सेक–11, झुडापुरा, नोएडा तह. दादरी, उत्तर प्रदेश–201301	67382.08
नोएडा	100741023466	पारस बजाज	विजय बजाज	जे 28 सेक्टर 11, गौतम बुध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301	117252.35
नोएडा	100741022506	विजय बजाज	पी.एल. बजाज	एच.नं. जे नोएडा सेक–11, झुडापुरा, नोएडा तह. दादरी, उत्तर प्रदेश–201301	1432297.52
नोएडा	100742510050	विजय बजाज	पी.एल. बजाज	एच.नं. जे नोएडा सेक–11, झुडापुरा, नोएडा तह. दादरी, उत्तर प्रदेश–201301	415040.17
नोएडा	100742510094	विजय बजाज	पी.एल. बजाज	एच.नं. जे नोएडा सेक–11, झुडापुरा, नोएडा तह. दादरी, उत्तर प्रदेश–201301	1015921.77
नोएडा सेक. 135	101641007119	सतीश चौहान	श्री चौहान	विल– वाजिदपुर सेक्टर–135, जिला जी.बी. नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201304	39143.05
नोएडा सेक. 135	101641008061	दिनेश कुमार	महराज सिंह	ग्राम याकुतपुर मैदा नोएडा जिला जी.बी. नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश	217872.92
सरदाना	103141000173	मोहसीन खान	नोशाद खान	ग्राम तेहारकी, फातमा मस्जिद के निकट, तेहारकी मेरठ, उत्तर प्रदेश–250342	89296.77

नीलामी तिथिः 27.3.2020 को 2.00 बजे अप. में

बैंक को नीलामी से किसी भी खाता को हटाने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को निरस्त करने का अधिकार है।

प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि.

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. कानू स्पिनटेक्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–1, सागर अपार्टमेन्ट्स, 6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली–110001 में है, आवेदक के मामले में
[illegible]
बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
कानू स्पिनटेक्स लिमिटेड
हस्ता./–
सुनील कुमार
निदेशक
तिथि: 11.3.2020
स्थान: नई दिल्ली
DIN No: 00189008

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
Complaint R/w sec - 138 N. I ACT
CNR NO:PBLD03-011749-2019
Next date: 09-04-2020

M/s Kimti Garments
V/s
M/s Salam Namste

[illegible]
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Devnoor Singh
Judicial magistrate-1st class Ludhiana
Publication notice for proclamation under Section 82 CR.PC
complaint r/w sec-138 of N.I. ACT
CNR NO: PBLD03-052311-2018
PESHI: 18-04-2020

Nahar Industrial Enterprises Ltd
V/s
Sanjeev Narula

[illegible]
JMIC LUDHIANA

एक हो या तीन, चलती रहे जिंदगी की रफ्तार

विश्व गुर्दा दिवस

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

हर इंसान के शरीर में दो गुर्दे होते हैं। यह तो सर्वविदित तथ्य है और यह भी सभी जानते हैं कि इंसान एक गुर्दा के सहारे भी सामान्य जीवन जी सकता है और यही वजह है कि लोग कई बार अपना एक गुर्दा दान भी कर देते हैं, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक ही गुर्दा के साथ पैदा हुए हैं। इससे भी अधिक विचित्र बात है कि कुछ लोग तीन गुर्दा के साथ और कुछ बिना गुर्दा के भी पैदा होते हैं।

श्री बालाजी एक्शन के डाक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि व्यक्ति का एक गुर्दा के साथ जन्म लेना असामान्य नहीं है। ऐसे लोग एक गुर्दा के साथ एकदम सामान्य और स्वस्थ जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रति एक हजार बच्चों में किसी एक का जन्म एक गुर्दा के साथ होता है। डा. अग्रवाल के अनुसार एक गुर्दा वालों को 'रेनल एजेनेसिस' कहते हैं, और तीन गुर्दा की स्थिति को 'सुपरन्युमरी' गुर्दा कहते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में जीवन अकसर इतना सामान्य होता है कि अमूमन लोगों को पता ही नहीं चलता। किसी दुर्घटनावश, बीमारी और महिलाओं में गर्भावस्था में जांच के दौरान उन्हें अपनी स्थिति के बारे में मालूम होता है। कई बार बच्चा किसी विकार के चलते बिना गुर्दा के भी पैदा होता है, लेकिन प्रति तीन हजार में ऐसे बच्चों की संख्या एक होती है और ऐसे बच्चे या तो मृत पैदा होते हैं और या फिर जन्म के कुछ ही घंटों तक जीवित रहते हैं।

जेपी अस्पताल नोएडा के डाक्टर अमित कुमार देवड़ा ने बताया कि दो गुर्दा वाले सामान्य लोगों को भी गुर्दा के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए, लेकिन एक गुर्दा के साथ पैदा होने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को दर्दनिवारक दवाएं खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी एंटी बायोटिक दवा का सेवन केवल अपने डाक्टर के निर्देश पर ही करें। रक्तचाप की स्थिति में अतिरिक्त सावधानी बरतें क्योंकि रक्तचाप सामान्य न होने पर रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे गुर्दा की नियमित प्रक्रिया पर असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि मधुमेह उन तमाम रोगों में से एक है जिसका सबसे ज्यादा असर गुर्दा के संचालन पर पड़ता है और यहां तक कि गुर्दा प्रत्यारोपण के बहुत से मामलों में मूल बीमारी मधुमेह ही होती है। शुगर का कम ज्यादा होना सीधे गुर्दा की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। एक गुर्दा के साथ पैदा होने वाले बच्चों के माता पिता को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। श्री बालाजी एक्शन के डाक्टर अतुल गोस्वामी ने तीन गुर्दा के साथ पैदा होने वाले लोगों की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के क्रम में गुर्दा बनते समय एक तरफ दो गुर्दा विकसित हो जाती हैं, और इस तरह व्यक्ति में कुल तीन गुर्दा हो जाती हैं।

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का अपमान'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता, गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को अपनाने के उनके मौलिक अधिकारों का अपमान है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं। जिसने एक बैंक की महिला कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया था। महिला ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के पीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के अलावा ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए लागू किया गया था। पीठ ने 25 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा– कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के तहत समानता के महिलाओं के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार व किसी भी पेशे, व्यापार या कारोबार को अपनाने के अधिकार का अपमान है।

पीठ ने कहा कि उसके सामने रखा गया मामला दिखाता है कि महिला अधिकारी को इंदौर शाखा में अपनी तैनाती के दौरान अधिकारियों को कई बार पत्र लिख कर शराब ठेकेदारों के खातों के प्रबंधन में गड़बड़ी की तरफ ध्यान खींचा था और भ्रष्टाचार के खास आरोप लगाए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी (महिला अधिकारी) को प्रताड़ित किया गया है। शाखा में अनियमितता की उनकी रिपोर्ट पर बदला लिया गया है। उनका स्थानांतरण कर दिया गया और ऐसी शाखा में भेजा गया जिसमें स्केल–1 के अधिकारी को जगह मिलनी चाहिए थी।

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई–नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **30.03.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	मैसर्स सीएस कंक्रीट प्रा. लि.	सम्पत्ति नं. 80/1, सैक्टर ईकोटेक– I, एक्सटेंशन– I, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा (यू.पी) में स्थित, क्षेत्रफल 6070 वर्ग मी.	30.03.2016 रु. 72,92,566/- प्लस भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	₹ 380.00 लाख ₹ 38.00 लाख ₹ 0.50 लाख	30-03-2020 को अपर्हा 01.00 बजे से अपर्हा 03.00 बजे तक	110911999999 BKDN0711109 (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री राहुल प्रताप मो. 9152941109

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें। धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 27.03.2020.

नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 25.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपर्ा. 04.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई–नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 27.03.2020) को अपर्ा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 27.03.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 11-03-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

दिनांक : 02-03-2020

1. मैसर्स श्रीमान फेरो प्रा. लि., पता :– (ए) बी–357, नया नंबर बी–1285, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096 (बी) पंजीकृत कार्यालय : बी–60, शिव विहार, शाहबाद, दौलतपुर, नई दिल्ली–110042 (सी) बी–1285, एस/एफ खसरा नंबर 389/263/1, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096
2. श्री अभिषेक सिंह (निदेशक), पता :– (ए) जी–1, ब्लॉक–बी, सेक्टर–39, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 (बी) बी–295, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096 (सी) डी–65, सेक्टर–7, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 (डी) बी–101, सेक्टर–28, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
3. श्रीमती नरगिजात लाखियाएवा (छतहपरंज सँपंमअं) (निदेशक), पता :– (ए) बी–1004, शिप्रानियो, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 (बी) जी–1, सेक्टर–39, नोएडा गोल्फ कोर्स, उत्तर प्रदेश–201301 (सी) बी–1104, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 (डी) 8213, द्वितीय तल एटीएस एडवांटेज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014

संदर्भ : मैसर्स श्रीमान फेरो प्रा. लि., इसके निदेशकों तथा गारंटरों श्री अभिषेक सिंह और श्रीमती नरगिजात लाखियाएवा (Mrs Nargizat lakhiaeva) (उपरिवर्णित अनुसार) को साभिप्राय चूककर्ता घोषित करने तथा उसके संबंध में अभिवेदन के लिए अवसर हेतु कारण बताओ सूचना।

हम आपके उपरोक्त खाते का उल्लेख कर रहे हैं और आपको सूचित करते हैं कि ब्याज/किश्त का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, उक्त खाता 13–03–2016 को बैंक की बहियों में अनार्जक आस्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है।

हम आगे आपको सूचित करते हैं कि आपके करण और अकरण के कृत्यों/प्रदर्शित/निष्पादित विलेखों/प्रलेखों तथा लेखन की सूक्ष्म परीक्षा के आधार पर हमारे बैंक की साभिप्राय चूककर्ताओं के संबंध में कार्यकारिणी समिति का मत है कि फर्म और इसके स्वामी/गारंटरों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर साभिप्राय चूककर्ता की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए :

1. खाता विवरण के अनुसार, आरटीजीएस से मैसर्स महाश्री स्टील्स प्रा. लि. और मैसर्स हरमन अलॉयज लि. को निधि अंतरण के विभिन्न उदाहरण मौजूद हैं, जहां श्री अभिषेक सिंह भी उपरोक्त कम्पनियों में निदेशक है।
2. फर्म ने कर्जदार को उधार दी गई निधि के प्रतिभुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में चूक की है। विभिन्न अवसरों पर, हमारे बैंक पदाधिकारी द्वारा आपको खाता नियमित करने के बारे में कहा गया परन्तु आपने बैंक की बकाया राशियों के भुगतान हेतु कोई कदम नहीं उठाया। यदि आपकी ओर से कोई गंभीरता होती तो आपने खाता नियमित कर दिया होता।
3. फर्म ने उधारदाता को भुगतान/प्रतिभुगतान के अपने दायित्वों को निभाने में चूक की है और निधियों की निकासी इस प्रकार की है कि न तो निधियों का उपयोग उनको प्राप्त करने के विशिष्ट प्रयोजन हेतु किया गया है, और न ही निधियां यूनिट में अन्य आस्तियों के रूप में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पालन हेतु, यदि आप चाहें, अपना निवेदन हमारे कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपका खाता और आपको बैंक द्वारा साभिप्राय चूककर्ता की श्रेणी में सूचीबद्ध क्यों नहीं किया जाए। समिति का, आपका निवेदन प्राप्त होने पर, आपको साभिप्राय चूककर्ता की श्रेणी में रखने के निर्णय के संबंध में आपको व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान करने अथवा नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है।

कृपया नोट करें कि बैंक द्वारा आपको साभिप्राय चूककर्ता घोषित करने के संबंध में आपका निवेदन इस पत्र की तिथि से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बैंक आगे कार्यवाही करेगा तथा आपका खाता एक साभिप्राय चूककर्ता घोषित किया जाएगा। बैंक का, समाचारपत्र में साभिप्राय चूककर्ता का नाम और फोटोग्राफ प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक वसूली कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

यह सूचना साभिप्राय चूककर्ताओं के विषय में कार्यकारिणी समिति (सीओई) के निर्देशों के अनुसार जारी की गई है।

(वेद प्रकाश)
सहायक महाप्रबंधक

प्रपत्र – 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**एफई एग्रोकैम प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29 अगस्त, 2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन : U01400DL2012PTC241254
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डब्ल्यू-19, ग्रेटर कैलाश- II, नई दिल्ली-110048, भारत
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	03 सितम्बर, 2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	12–03–2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की अर्हता	विस्तृत विवरण feaagrochem.cirp@gmail.com पर ई–मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड :	विस्तृत विवरण feaagrochem.cirp@gmail.com पर ई–मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	27–03–2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	28–03–2020
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02–04–2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	07–04–2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	02–04–2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	क्र. सं. 8 के अनुसार सूचीबद्ध प्रत्येक संभावित समाधान आवेदक गैर-प्रकटीकरण अनुबंध/वचनपत्र निष्पादित करने के पश्चात ई-मेल द्वारा अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02–05–2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	इलेक्ट्रॉनिक मोड फार्म में ई-मेल आईडी feaagrochem.cirp@gmail.com को तथा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा दस्ती सीलबंद लिफाफे में क्लॉज 21 में वर्णित पते पर
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	13–05–2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**आकर्ष कश्यप** IBBI/IPA-001/IP-P000566/2017-18/11042
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**आकर्ष कश्यप** डी-3,एलजीएफ, लाजपत नगर- I, नई दिल्ली-110024 ई-मेल : akashyap2002@yahoo.com
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**आकर्ष कश्यप** 903-906, 9वां तल, टावर-सी, यूनिटेक बिजनेस जोन, निर्वाणा कंट्री, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ई-मेल : feaagrochem.cirp@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	विस्तृत विवरण feaagrochem.cirp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	12–03–2020

तिथि : 09–03–2020
स्थान : नई दिल्ली

(आकर्ष कश्यप)
समाधान प्रोफेशनल
एफई एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
आईबीबीआई रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P000566/2017-18/11042
ई–मेल : feaagrochem.cirp@gmail.com

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

ई–नीलामी सूचना

अचल / चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल / चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **सांकेतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **21.04.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं.
1	जेडओ एसएआरबी, नई दिल्ली	1. मैसर्स एम.बी. मॉल प्रा. लि. 1. श्री श्री चंद केसवानी, निदेशक और गारंटर 2. श्री जय प्रकाश केसवानी, निदेशक और गारंटर 3. श्री ओम प्रकाश केसवानी, निदेशक और गारंटर 4. श्री हरीश केसवानी, निदेशक और गारंटर	साम्यिक बंधक पारी पासु प्रभार के तहत ओबीसी के साथ, भूमि एवं भवन (परियोजना स्थल) प्लॉट नं. 13/6, मुस्तातिल नं. 5, किला नंबर 8,9,10,11,12/1 मेवालाला महराजपुर, फरीदाबाद, में स्थित, क्षेत्रफल 3.6875 एकड़, यह सम्पत्ति मैसर्स एम.बी मॉल्स् प्रा. लि. के नाम पर है। (कुल 72 दुकानों / कॉर्यालय में से 38 – दुकाने/कॉर्यालय बिक चुके है।) पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – मुथरा रोड (एनएच–2), उत्तर में – हुंडई सेन्ट्रल ट्रेनिंग सेन्टर, दक्षिण में – मित्सुबिशी और पैनोरमा एक्सपोर्ट्स, एनएचपीसी चौक के पास, दिल्ली – मथुरा रोड	20-02-2015 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स – रु. 31,61,71,133.00 (रु. इकतीस करोड इकसठ लाख इकहत्तर एक सौ तैंतीस मात्र) + भविष्य का ब्याज + अन्य प्रभार / लागत इत्यादि मांग सूचना 13(2) के अनुसार वसूली घटाकर जमा करने के बाद और बैंक ऑफ बड़ौदा – रु. 23,02,69,788.89 (रु. तेईस करोड दो लाख उनहत्तर हजार सात सौ अट्ठासी और पैसे नवासी मात्र) + भविष्य का ब्याज + अन्य प्रभार / लागत इत्यादि मांग सूचना 13(2) के अनुसार वसूली घटाकर जमा करने के बाद	₹ 72.00 करोड़ ₹ 7.20 करोड़ ₹ 1.00 लाख	21-04-2020 को अपर्हा 01.00 बजे से अपर्हा 03.00 बजे तक	00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	श्री यश पाल चावला मो. 9584317482

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.bankofbaroda.com** पर दिए गए लिंक को देखें। धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 20.04.2020.

नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय : 09.04.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपर्ा. 04.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई–नीलामी का प्रस्ताव सांकेतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाऐ।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 20.04.2020) को अपर्ा. 05.00 तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 20.04.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झा, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैंक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतदद्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 11-03-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

खबर कोना

तोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाने के बाद कोच छोटे लाल यादव के साथ मुक्केबाज मैरी कॉम।

मैरी कॉम ने कहा, प्रदर्शन विरासत तैयार करता है

नई दिल्ली, 11 मार्च (भाषा)।

भारत की स्टार मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के बाद अपने आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग खेलों में राजनीति को लेकर आते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि आपका प्रदर्शन विरासत तैयार करता है, बड़े बयान नहीं। जोर्डन के अम्मान में चल रहे एशिया-ओसियाना क्वालीफायर टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में जगह बनाकर उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। मैरी कॉम (51 किग्रा) ने कहा कि उनका दो दशक से अधिक का अनुभव तोक्यो में युवा विरोधियों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। क्वालीफायर में कांस्य पदक हासिल करने वाली मैरी कॉम ने कहा कि यह मेरे लिए काफी मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को साबित कर दिया है। मैं राहत महसूस कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि इससे उन लोगों की मानसिकता बदलेगी जो मेरे खिलाफ हैं, जो चीजों में हेरफेर का प्रयास करते हैं और खेल में राजनीति को लेकर आते हैं।

तोक्यो ओलंपिक के लिए शिवपाल ने किया क्वालीफाई

पोटचेफस्ट्रूम (दक्षिण अफ्रीका), 11 मार्च (भाषा)।

भारत के भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह ने एक प्रतियोगिता के दौरान तोक्यो खेलों का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करके अपने पहले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया। स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बाद 24 साल के शिवपाल तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले भारत के दूसरे भाला फेंक खिलाड़ी हैं। शिवपाल ने मंगलवार को मैकआर्थर स्टेडियम में एसीएनडब्लू प्रतियोगिता के दौरान अपने पांचवें प्रयास में 85.47 मीटर के स्तर के साथ स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।

साई ने बंगलुरु में अपना दक्षिणी केंद्र किया बंद

बंगलुरु, 11 मार्च (भाषा)।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने शहर में दो दिन में कोरोना वायरस के चार मामले सामने आने के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए अपने दक्षिणी केंद्र को बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के चार नए मामले सामने आने के बाद साई के दक्षिण केंद्र ने मंगलवार को यहां केंद्र को बंद करने का फैसला किया। साथ ही यहां ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे इस असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिसर छोड़कर नहीं जाएं। एक सूत्र ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़ी स्थिति को देखते हुए यहां साई केंद्र को बंद करने का फैसला किया गया है।

मनोज-सुदीप ने बंगाल को मैच में लौटाया

रणजी ट्रॉफी फाइनल

राजकोट, 11 मार्च (भाषा)।

मनोज तिवारी और सुदीप चटर्जी की टूटती पिच पर संघर्षपूर्ण साझेदारी के बावजूद सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन बुधवार को अपना पलड़ा भारी रखा। चटर्जी (नाबाद 47) और तिवारी (35) ने चेतेश्वर पुजारा से प्रेरणा लेकर बल्लेबाजी की और 226 गेंदों पर 89 रन की साझेदारी करके बंगाल को दो विकेट पर 35 रन की खराब शुरुआत से उबारने का अच्छा प्रयास किया।

इस पिच पर पहले दिन से गेंद काफी नीचे रह रही है और ऐसे में बंगाल के सामने सौराष्ट्र के पहली पारी के 425 रन के स्कोर को पार करना बड़ी चुनौती है। बंगाल ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 65 ओवरों में तीन विकेट पर 134 रन बनाए है और वह सौराष्ट्र से 291 रन पीछे है। चटर्जी के साथ ऋद्धिमान साहा (चार रन) खेल रहे हैं।

सौराष्ट्र ने सुबह आठ विकेट पर 384 रन से आगे खेलना शुरू किया और सुबह के सत्र में एक घंटे दस मिनट तक बल्लेबाजी की। इस दौरान उसने 41 रन जोड़े। जयदेव उनादकट (20) और धर्मेंद्र सिंह जडेजा (नाबाद 33) ने आखिरी विकेट के लिए 38 रन जोड़े।

पुजारा और अर्पित बसावडा ने दूसरे दिन पांच घंटे तक बल्लेबाजी करके सौराष्ट्र को अच्छी स्थिति में पहुंचाया था। बंगाल को भी मैच में बने रहने के लिए कुछ खास करना होगा। सौराष्ट्र की निगाहें जहां अपने पहले रणजी खिताब पर टिकी हैं वहीं बंगाल ने 1989-90 से ट्रॉफी नहीं जीती है।

सौराष्ट्र के गेंदबाज चौथे दिन भी पिच से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तिवारी के आउट होने से पता चलता है कि इस असमान उछाल वाली पिच पर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल है। चिराग जानी ने नीची रहती गेंद पर उन्हें पगबाधा आउट किया।

59 रन जोड़े बंगाल ने दूसरे सत्र के दौरान

बंगाल के खिलाड़ी मनोज तिवारी का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते सौराष्ट्र के खिलाड़ी।

डीआरएस के सीमित इस्तेमाल पर दोशी ने जताई नाराजगी

राजकोट, 11 मार्च (भाषा)।

पूर्व भारतीय स्पिनर दिलीप दोशी ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में डीआरएस के सीमित इस्तेमाल के बीसीसीआइ के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस तकनीक को 'पूरी तरह या बिलकुल भी नहीं' लागू किया जाना चाहिए।

'बॉल ट्रेकिंग' तकनीक डीआरएस का अहम हिस्सा है लेकिन रणजी फाइनल में बीसीसीआइ इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। बोर्ड ने सेमी फाइनल से डीआरएस का सीमित इस्तेमाल शुरू किया है जिससे कि अंपायरों के बेहद खराब फैसलों को कम किया जा सके।

बंगाल और सौराष्ट्र के बीच तीसरे दिन का खेल देखने पहुंचे दोशी ने कहा, 'अगर आप डीआरएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसे उचित तरीके से और पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका कुछ फीसद हिस्सा इस्तेमाल करना समझदारी भरा नहीं है।

> "अगर आप डीआरएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसे उचित तरीके से और पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका कुछ फीसद हिस्सा इस्तेमाल करना समझदारी भरा नहीं है। -दिलीप दोशी

तीसरे अंपायर को डीआरएस में स्पिन विजन, स्प्लिट स्क्रीन, स्टंप माइक और जूम करने की सुविधा मिल रही है। अभिमन्यु मिथुन जैसे शीर्ष घरेलू खिलाड़ी हालांकि अगले सत्र से 'बॉल ट्रेकिंग' को शामिल करने की वकालत कर चुके हैं।

अरुण लाल ने जल्दबाजी करके गलती की : राजदेव

राजकोट, 11 मार्च (भाषा)।

रणजी फाइनल के पहले दिन 'बेहद खराब पिच' के अरुण लाल के बयान को खारिज करते हुए सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के क्यूरेटर महेंद्र राजदेव ने कहा कि यहां बंगाल के कोच ने जल्दबाजी करके गलती की।

राजदेव ने एससीए के बयान में कहा कि पिच पर शायद अतिरिक्त उछाल नहीं है जिसकी बंगाल के गेंदबाज उम्मीद कर रहे थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पिच खराब है।

कोरोना वायरस के कारण इंडियन ओपन गोल्फ स्थगित

गुरुग्राम, 11 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के विश्व स्तर पर फैलने के कारण प्रतिष्ठित इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को बुधवार को स्थगित कर दिया गया। इसके आयोजकों ने वादा किया कि इसे साल में बाद में किसी समय आयोजित किया जा सकता है। यह टूर्नामेंट 19 से 22 मार्च के बीच डीएलएफ गोल्फ एवं कंट्री क्लब में खेला जाना था।

एशियाई टूर ने बयान में कहा कि भारत सरकार द्वारा यात्रा को लेकर जारी किए गए लोक स्वास्थ्य परामर्श के बाद इंडियन गोल्फ यूनियन, टूर्नामेंट के सहभागी एशियाई टूर और यूरोपीय टूर व टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने यह फैसला किया।

कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर अभी तक 4000 लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। भारत में भी अब तक 50 लोगों पर इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। बयान में कहा गया है, 'सभी पक्ष साल में बाद में किसी समय टूर्नामेंट को फिर से आयोजित करने की संभावना पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं है।'

खाली स्टेडियम में खेला जाएगा इंडिया ओपन टूर्नामेंट

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 11 मार्च।

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट खाली स्टेडियम में कराया जाएगा। मैच के दौरान दर्शकों की मौजूदगी नहीं होगी। यह तोक्यो ओलंपिक क्वालीफिकेशन का अहम टूर्नामेंट है। इस विषाणु से दुनियाभर में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख से अधिक संक्रमण की चपेट में हैं।

बीएआइ और विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्लूएफ) ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह टूर्नामेंट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। इसके सुचारू आयोजन के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

बयान में कहा गया कि योनेक्स-सनराइज इंडिया ओपन 2020 का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 से 29 मार्च तक होगा। खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। आयोजकों ने एहतियात के तौर पर स्टेडियम के अंदर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

बीएआइ के महासचिव अजय के. सिंघानिया ने कहा कि इंडिया ओपन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में होगा। लेकिन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बार किसी दर्शक को आने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। शुरुआती दिनों में प्रशंसक यूट्यूब पर मैच देख सकते हैं जबकि क्वार्टर फाइनल से हॉटस्टार पर मैच दिखाए जाएंगे।स्वास्थ्य से जुड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने तीन मार्च से पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के उन नागरिकों को दिए नियमित और ई वीजा रद्द कर दिए हैं जिन्होंने अभी भारत में प्रवेश नहीं किया है। सरकार ने साथ ही दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान से आने वाले लोगों को 14 दिन तक पृथक रखना अनिवार्य कर दिया है।

पंड्या की वापसी से संतुलित भारतीय टीम की निगाहें वापसी पर

भारत-द. अफ्रीका में मुकाबला आज

मैच का समय
दोपहर 1:30 से

धर्मशाला, 11 मार्च (भाषा)।

हार्दिक पंड्या की बहुप्रतीक्षित वापसी से संतुलित हुई भारतीय टीम गुरुवार को एकदिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। कोरोना वायरस के खतरे और बारिश की आशंका के बीच शुरू हो रही इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में पंड्या की वापसी से कप्तान विराट कोहली को बेहतर विकल्प मिलेंगे। भारतीय टीम पिछली श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की करारी शिकस्त से उबरने की कोशिश भी करेगी।

पंड्या ने पिछला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमी फाइनल के रूप में खेला था। उनका पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच पिछले साल सितंबर में बंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 मुकाबला था।

फॉर्म से जूझ रहे कोहली

भारतीय टीम लगातार पांच अंतरराष्ट्रीय मैच (दो टैस्ट भी शामिल) हार चुकी है और कप्तान कोहली भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 75 रन बना पाए और अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए बेताब होंगे। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी से कागज पर भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार है।

भुवनेश्वर की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण मजबूत

भुवनेश्वर की वापसी से स्लाग ओवरों में भारत की गेंदबाजी मजबूत होगी जहां शारदुल ठाकुर बिलकुल भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टैस्ट के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को इस श्रृंखला से आराम दिया गया है। धर्मशाला की तेज गेंदबाजी की अनुकूल पिच पर रविंद्र जडेजा टीम में एकमात्र स्पिनर हो सकते हैं।

अफ्रीकी टीम के हौसले बुलंद

दक्षिण अफ्रीका की टीम तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में आस्ट्रेलिया का क्लीनस्वीप करने के बाद यहां आई है। आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस और रेसी वान डेर डुसेन को आराम दिया गया था लेकिन ये दोनों भारत दौरे पर टीम में शामिल हैं। कप्तानी को अलविदा कहने के बाद से डु प्लेसिस अच्छी फॉर्म में नहीं हैं और भारत के खिलाफ श्रृंखला के साथ फॉर्म में लौटने का प्रयास करेंगे।

84 मैच खेले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका ने | **44** में भारत जीता तो 35 में मेहमान को मिली जीत | **51** बार भिड़ी है दोनों टीमें भारत में | **27** में मेजबान को मिली जीत तो 21 में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी

भुवनेश्वर की नजर में सभी अंतरराष्ट्रीय मैच अहम

धर्मशाला, 11 मार्च (भाषा)।

टी20 विश्व कप साल में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के महत्व पर भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार कप्तान विराट कोहली से अलग विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अंतरराष्ट्रीय मैच महत्त्वपूर्ण हैं। एक और खराब श्रृंखला से टीम के आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा।

पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में 0-3 की हार के बाद कोहली ने कहा था कि उस कैलेंडर वर्ष में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की अहमियत अधिक नहीं है जब टी20 विश्व कप का आयोजन होना है।

भुवनेश्वर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच अहम होते हैं। हमने न्यूजीलैंड में श्रृंखला गंवाई है और आप सभी को इसके बाद की प्रतिक्रिया की जानकारी है। हमारा लक्ष्य श्रृंखला जीतना था क्योंकि अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर भी असर पड़ेगा।

भुवनेश्वर का मानना है कि इस श्रृंखला में अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ियों का 29 मार्च से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि टी20 अलग चीज है लेकिन अगर हम यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आइपीएल में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जाएंगे जो जरूरी है।

इस 31 वर्षीय गेंदबाज ने स्वीकार किया कि तेज गेंदबाजों के लिए वापसी करना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि चोट के बाद वापसी करते हुए तेजी को बरकरार रखना मुश्किल होता है क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा यह रहता है कि अगर आप तेज गति से गेंदबाजी की कोशिश करेंगे तो फिर चोटिल हो सकते हैं। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह है कि आप अधिक से अधिक मैच खेलें जिससे कि आत्मविश्वास बढ़े।

हम शॉर्ट पिच गेंदों के सामने खराब खिलाड़ी नहीं : रहाणे

मुंबई, 11 मार्च (भाषा)।

टैस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों के सामने खराब खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में उनकी असफलता का मुख्य कारण हवा का बहाव था।

रहाणे ने कहा कि यह आलोचना बेमतलब है कि वे शॉर्ट पिच गेंदों को अच्छी तरह से नहीं खेल पाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग शॉर्ट पिच गेंदों के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं।

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया मनीष कौशिक ने

अम्मान (जोर्डन), 11 मार्च (भाषा)।

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज मनीष कौशिक (63 किग्रा) ने एशियाई क्वालीफायर में आस्ट्रेलिया के हैरिसन गारसिडे को हराकर तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। कौशिक तोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की करने वाले नौवें भारतीय मुक्केबाज हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त गारसिडे को 4-1 से हराकर पहली बार खेल महाकुंभ में जगह बनाई।

भारतीय मुक्केबाज ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया और आस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी पर करारे प्रहार किए जिससे उनका खून भी निकल आया। यह 2018 के राष्ट्रमंडल फाइनल की पुनरावृत्ति थी। अंतर इतना था कि इस बार कौशिक विजेता बने। वर्तमान टूर्नामेंट से 63 किग्रा भार वर्ग में शीर्ष छह मुक्केबाज ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते थे। कौशिक और गारसिडे दोनों क्वार्टर फाइनल में हार गए थे।

इससे पहले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन विकास कृष्ण (69 किग्रा) बुधवार को आंख में चोट के कारण एशिया/ओसियाना मुक्केबाजी क्वालीफायर के फाइनल से बाहर हो गए जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। विश्व और एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विकास को खिताबी मुकाबले में जोर्डन के जेयाद ईशाश से भिड़ना था। इस मुक्केबाज के करीबी सूत्र ने बताया कि कट लगने के कारण वह मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें हटने को कहा है। कौशिक और विकास के अलावा जिन भारतीय मुक्केबाजों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है उनमें एमसी मैरी कॉम (51 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा), पूजा रानी (75 किग्रा), अमित पंघाल (52 किग्रा), आशीष कुमार (75 किग्रा) और सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) शामिल हैं।

सेमी फाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 मार्च।

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 महिला विश्व कप सेमी फाइनल की घटना से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सबक ली है। उसने न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 एकदिवसीय विश्व कप के दोनों सेमी फाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन रखा है। आइसीसी ने न्यूजीलैंड में छह फरवरी से सात मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया है। इसमें 31 मैच खेले जाएंगे। तीनों नॉकआउट मैचों के अगले दिन रिजर्व दिन का प्रावधान रखा गया है।

पिछले हफ्ते भारत के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप सेमी फाइनल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। भारत ने ग्रुप चरण में बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद इस टूर्नामेंट के लिए रिजर्व दिन नहीं रखने के कारण आइसीसी को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

जारी कार्यक्रम के मुताबिक महिला एकदिवसीय विश्व कप छह स्थलों पर खेला जाएगा। इसमें ऑकलैंड का ईडन पार्क, तौरंगा का बे ओवल, हैमिल्टन का सेडन पार्क, डुनेडिन का यूनिवर्सिटी ओवल, वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व और क्राइस्टचर्च का हेगले ओवल शामिल हैं।

मेजबान शहर की घोषणा के दौरान दक्षिण अफ्रीका की डेन वेन निकर्क और न्यूजीलैंड की सेफी डिवाइन के साथ मिताली राज।

55 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होगी इनामी राशि

टूर्नामेंट के सभी मैचों का सीधा प्रसारण होगा।

महिला वनडे विश्व कप 2021

टूर्नामेंट का पहला मैच ऑकलैंड में मेजबान और क्वालीफाइंग टीम के बीच खेला जाएगा।

सेमी फाइनल मुकाबले तौरंगा और हैमिल्टन में क्रमशः तीन और चार मार्च को खेले जाएंगे जबकि फाइनल सात मार्च को क्राइस्टचर्च में होगा। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका पहले ही विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। आइसीसी महिला चैंपियनशिप और इसके बाद जुलाई में श्रीलंका में क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद बाकी बची चार टीमें तय होंगी। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 55 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होगी और इसके सभी मैचों का सीधा प्रसारण होगा।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 115, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com